खण्ड-212, अंक-3
बुधवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1882
(6 अप्रैल, 1960 ई0)

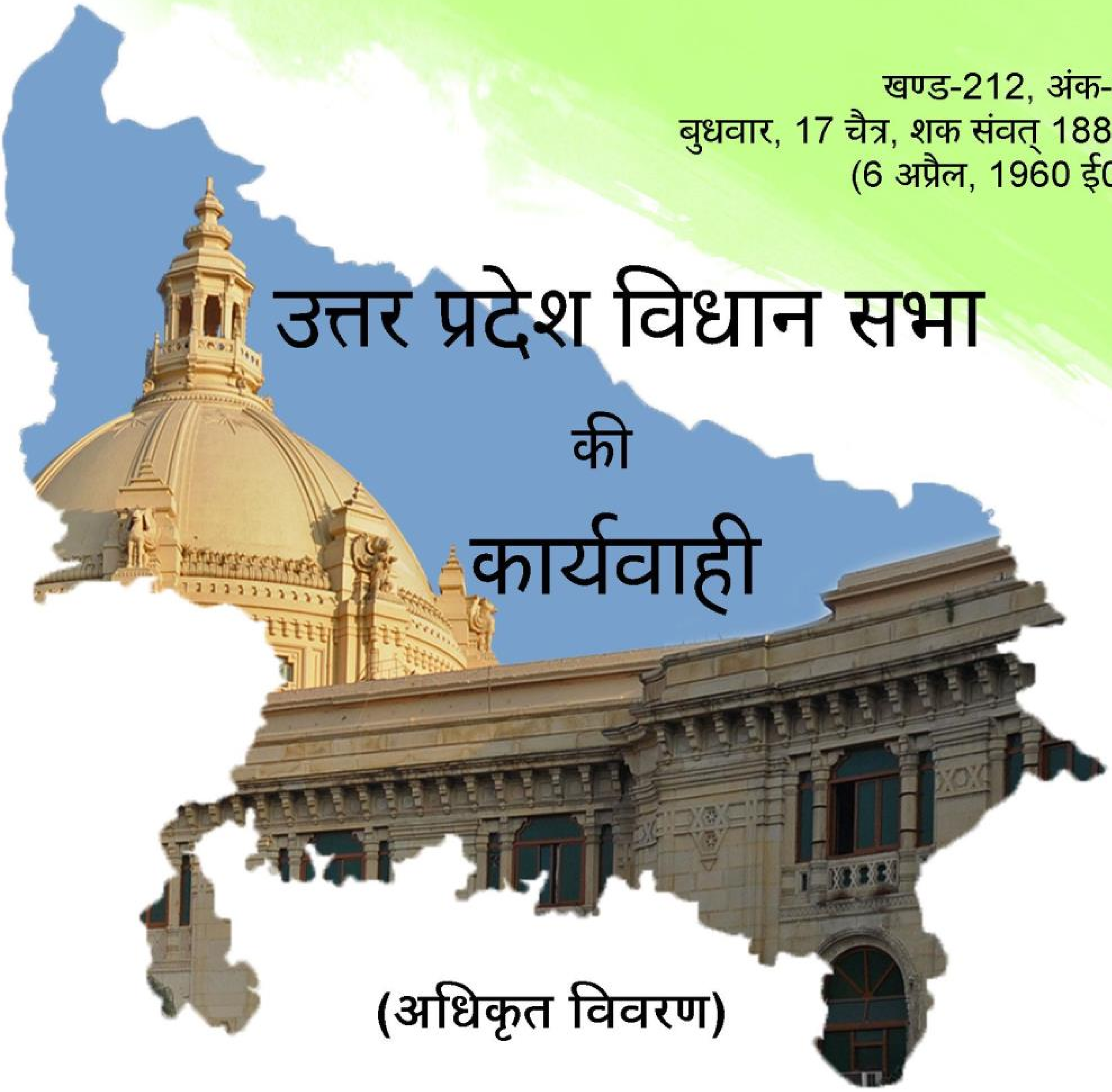

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुललतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारीगोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल , श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मदसुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदासआर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन श्री, (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंग बिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री

हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१-२—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये ।]

**३-४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये ।]

सादाबाद तहसील में फसल को कथित क्षति

**५—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ९ व १० मार्च को जिला मथुरा विशेष कर सादाबाद तहसील में आंधी-पानी के कारण किसानों की खड़ी फसल बरबाद हो गई तथा खलिहान में कई दिनों तक पानी में फसल पड़ी रही और सड़ गई ? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी नहीं। फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अतः सहायता का प्रश्न उठता ही नहीं।

पर्वतीय पेय जल योजना में जनता का अंशदान

**६—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास दिसम्बर, १९५९ से आज तक कोई सुझाव विभाग से और प्रस्ताव पर्वतीय जिला अन्तरिम परिषदों से आये हैं कि पर्वतीय जिलों में पीने के पानी की योजनाओं में जनता से १० प्रतिशत अनुदान या मदद ली जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा संचालक, पंचायत राज से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों का अंशदान (contribution) १० प्रतिशत तक ही सीमित रक्खा जाय। इस तरह का प्रस्ताव पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से न इन अधिकारियों से प्राप्त हुआ और न पर्वतीय जिला अन्तरिम परिषदों से। मुख्य अभियन्ता तथा संचालक पंचायत राज से प्राप्त सुझाव पर विचार हो रहा है और जैसा भी निर्णय होगा, वह पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू होगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग और डाइरेक्टर, पंचायत राज विभाग के सुझाव कब आये और उनका संक्षिप्त क्या रूप है ? उनको पढ़ने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—सुझाव यह है कि यह जो २५ फीसदी रुपया गांव वालों से लिया जाता है वह ज्यादा है और वह शर्त लगाने से सब योजनायें पूरी की पूरी सफल नहीं हो पा रही हैं, उसमें देर हो रही है। अतः उसको १० प्रतिशत कर देना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी पिछले वित्तीय वर्ष की पेय जल योजना को ध्यान में रखते हुये तथा यह ध्यान में रखते हुये कि यह १० प्रतिशत भी ग्रामीण जनता नहीं दे पा रही है और रुपया खर्च नहीं हो रहा है, तो सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि कुछ भी उस ग्रामीण जनता से न लिया जाय ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—कुछ भी न लिया जाय, यह तो सरकार शायद नहीं सोचेगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास विभाग तथा मुख्य अभियन्ता तथा अन्य क्षेत्रों से कब सुझाव आ गये थे और कब तक उन पर पूर्ण रुप से सरकार विचार कर लेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा कोई सुझाव नहीं आया जो अन्तिम रुप से आया हो। उन्होंने कहा है कि दिक्कत हो रही है। हमारी ऐसी सूचना है कि देहरादून में २० प्रतिशत हो गया है और शायद २५ प्रतिशत भी हो जाय। इसलिये देरी सरकार कर रही है कि इस पर विचार हो जाय।

न्याय एवं प्रशासन का बिलगाव

****७—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में प्रदेश के किन-किन जिलों में न्याय एवं प्रशासन का बिलगाव होने जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—निम्नलिखित १४ जिलों में:

१—सहारनपुर	२—मेरठ
३—अलीगढ़	४—आगरा
५—इलाहाबाद	६—हमीरपुर
७—बांदा	८—मिर्जापुर
९—गाजीपुर	१०—बलिया
११—गोरखपुर	१२—बस्ती
१३—फैजाबाद	१४—प्रतापगढ़

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि उनकी ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा न्याय विभाग जिलाधीश से अलग किया जा सके—जिलाधीश के प्रबन्ध में वह न रह कर उच्च न्यायलय के अधीन रहे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इस विषय में बजट के डिस्कशन के समय विचार हो चुका है, यह नीति संबंधी प्रश्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूरा होने की कब तक संभावना है, सारे प्रदेश में कब तक न्याय विभाग प्रशासन विभाग से अलग हो जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोशिश यह करेंगे कि बाकी जो जिले हैं, उनमें अगले साल से इस व्यवस्था को चालू करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पृथक्करण करने के लिये अलग से जुडीशियल आफिसर्स मुकर्रर किये जायंगे अथवा जिला-अधिकारियों को एलाउन्स देकर इसको किया जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक २० जिलों में काम हो रहा है उसी के अनुसार बाकी जिलों में काम होगा ।

टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें

८—श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित), **श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० में टैक्टसाइल वेज बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है, क्या उस पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से राय मांगी है ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी हां ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सारी सिफारिशों को लागू करने की राय दी है, जितनी सिफारिशें हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशें इस वक्त लागू करने जा रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लागू करना एम्प्लायर्स को है, सरकार का इसमें कोई सिलसिला नहीं है ।

नैनी कालोनी के नलकूप

९—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नैनी, इलाहाबाद (Idustrial Colony) में दो ट्यूबवेल लगाने की योजना थी किन्तु अभी तक केवल एक ही ट्यूबवेल लग पाया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नल-कूप तो दो बनाये गये थे परन्तु अभी एक ही नल-कूप कार्य कर रहा है ।

१०—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार मई, १९६० से पूर्व दूसरा ट्यूबवेल लगा देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग दूसरे नल-कूप की सफाई करवा रहा है और आशा की जाती है कि अगले महीने तक तैयार हो जायगा। पम्प इत्यादि भी वहां मौजूद है, परन्तु इस नल-कूप के संचालन के सम्बन्ध में कोई आश्वासन इसलिये नहीं दिया जा सकता क्योंकि ८ बजे दिन से १० बजे रात तक इसको चलाने के लिये आवश्यक विद्युत-शक्ति मिलने में कठिनाई हो रही है जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है ।

बागों के पुराने लगान की वसूली

११—श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ओर से हाल में कोई ऐसा आदेश निकला है जिसके अनुसार किसानों से उनके ऐसे बागों से, जिन पर लगान नहीं पड़ता था, पिछले सात वर्षों का लगान वसूल किया जा रहा है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ११–१२ श्री जगवीर सिंह ने पूछे।

राजस्व उपमन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी नहीं।

**१२—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त किसानों को बागों पर जमींदारी खातमे से पहले लगान नहीं पड़ता था लेकिन अब चालू फसली वर्ष में उनसे पिछले ७ वर्ष का लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन बागों की जमीन पर, जिन पर दरख्त नहीं र या काट डाले गये हैं, उन पर लगान लगाया गया है, नियमों के अनुसार ऐसा ही होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ऐसे बागों पर, जिनमें कि पेड़ चाहे कुछ कम हों लेकिन जोतने के काम नहीं आते, उन पर लगान लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। नियम में यह है कि जिस किसी के ऊपर लगान गलत लग गया हो, वह डिप्टी कलेक्टर के यहां आपत्ति करे तो जांच के बाद उसको ठीक कर दिया जायगा।

श्री जगवीरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ७ वर्ष का लगान उनसे लिया जा रहा है, वह इतनी देर से उन पर लगान लगाने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, मैंने यह उत्तर दिया कि बागों के ऊपर लगान नहीं लगाया जा रहा है। जो जमीन बागों से खाली हुई है उन पर लगान लगाया जा रहा है और उसकी वसूली मौजूदा करेंट ईयर के साथ एक साल बकाया की की जा रही है। पिछले ७ साल का लगान एक साथ नहीं लिया जा रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी, जो जमीन खाली है और जिस पर सरकारी आदेश द्वारा लगान की वसूली की जा रही है, उस आदेश की प्रति वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, ऐसा कोई आदेश प्रसारित नहीं हुआ है कहीं कहीं अभिलेखों में भूल चूक हो गयी हो तो उसको सुधारने के लिये एक ड्राइव किया गया और उसी ड्राइव के फलस्वरुप उसका सुधार हुआ और जो जमीन खाली पड़ी है, परती पड़ी है, बाग की जमीन खाली हुई है, उस पर लगान असेस किया गया है।

**१३—१५—श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में दो लाशों का रिक्शे पर मिलना

**१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के (जीरो रोड) कामता प्रसाद कक्कड़ रोड पर रोडवेज के स्टेशन के सामने एक स्त्री तथा एक पुरुष की लाश एक रिक्शे के ऊपर दिनांक १६-३-६० को पाई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृहमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां। रिक्शे में बैठे दो आदमी गिरफ्तार किये गये जो प्रतापगढ़ के थे। मामले की जांच प्रतापगढ़ की पुलिस कर रही है।

तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये।]

अर्द्धकुम्भी मेला, इलाहाबाद में टोल टैक्स

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के अर्द्धकुम्भी के मेले के अवसर पर (toll-tax) टोल टैक्स लगाया गया था? यदि हां, तो यह टैक्स स्थायी लगा था या अस्थायी?

श्री विचित्रनारायण वर्मा—जी हां। यह टैक्स स्थायी रुप से लगाया गया था।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अर्द्धकुम्भी के मेले में लगे हुए (toll-tax) से कितना धन वसूल हुआ और यह टोल टैक्स किस रेट से लगाया गया था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त टैक्स से २९–२–६० तक २३,३७२ रुपये की आय हुई। टैक्स की दरें निम्नलिखित हैं—

(१) निजी मोटर अथवा टैक्सी द्वारा यात्रा करने वाली सवारियों पर .. .. .. ३८ न० पै० प्रति यात्री

(२) बस या मोटर लारी द्वारा उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाली सवारियों पर .. .. .. १३ न० पै० प्रति यात्री

(३) बस या मोटर लारी द्वारा निम्न श्रेणी में यात्रा करने वाली सवारियों पर .. .. .. ६ न० पै० प्रति यात्री

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इलाहाबाद नगरपालिका ने कोई सुझाव भेजा था कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत रहने वालों से टैक्स न लिया जाय?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। नगरपालिका ने कोई ऐसा सुझाव नहीं भेजा था कि इलाहाबाद जिले के रहने वालों से टैक्स न लिया जाय। परन्तु इस प्रकार का सुझाव प्राप्त हुआ था कि जो व्यक्ति नगरपालिका की सीमा से ३० मील के अन्दर यात्रा करें उन्हें कर से मुक्त किया जाय और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था।

*७—९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१०–११—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव कराने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर सन् ६० तक अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव हो जावेगा?

नोट—तारांकित प्रश्न १२ श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने पूछा।

श्री जयराम वर्मा—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है जिसके अधीन अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव आवश्यक हो। अतः उक्त परिषदों का चुनाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिला बोर्डों के चुनाव हुए १२ वर्ष से ज्यादा हो गये, अन्तरिम जिला परिषदों के चुनाव किसी तरह से शीघ्र हो जाय, इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो बहुत कुछ विरोधी दल के नेताओं पर निर्भर करता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विरोधी दल के नेताओं से सरकार की ओर से इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, श्री गणेश हुआ है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी पक्ष और विरोधी दलों की मीटिंग जो पहली तारीख को साढ़े ५ बजे हुई, उसमें इस पर विचार किया गया कि अन्तरिम काल के लिये जिला बोर्डों का चुनाव फिर से उसी रूप में कराया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—थोड़ा विचार अवश्य हुआ था। स्पेसिफिक बात अभी इसलिये नहीं कही जा सकती कि विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से अभी कोई अन्तिम बात नहीं कही गयी। ११ तारीख को फिर हम मिल रहे हैं, कदाचित उस रोज सब बातें तय हो जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार ने कोई एजेंडा भेजा था यानी सरकार ने सोशलिस्ट पार्टी के पास यह लिख कर भेजा था कि किस सम्बन्ध में विचार होगा ? यदि भेजा था तो सोशलिस्ट पार्टी ने कोई उत्तर दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह जरुरी नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी के लिये कोई खास एजेंडा भेजा जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि सरकार सन् ६० में जिला अन्तरिम परिषदों का चुनाव नहीं कराना चाहती है और उस चुनाव को टालने की व्यवस्था पर ही वह विचार कराना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर भी आपने ही दे दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब कौंसिल आफ स्टेट के चुनावों का सरकार का लक्ष्य पूरा हो चुका है तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वहां के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार के कन्धे पर है, उसको विरोधी दलों के कंधे पर न डाल कर स्वयं उसको वहन करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आपका परामर्श मांग कर वह आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब सरकार स्वयं पहले यह घोषित कर चुकी है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे तो क्या सरकार ने विरोधी दलों के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है कि चुनाव सन् ६० में संभव नहीं हो सकेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने जैसा पहले कहा था, वह अब भी उसी पर आरूढ़ है। यह तो इसलिये सोचा जा रहा है कि जो दूसरा बिल सरकार ला रही है उसमें अगर देरी हो तो उस अन्तरिम समय में क्या प्रबन्ध किया जाय, इसके लिये विरोधी दल का परामर्श लिया जा रहा है।

श्री जगवीरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब सरकार के विचाराधीन यह बात थी तो यह बात सेलेक्ट कमेटी में न करके सरकार को क्या जरुरत पड़ी कि वह विरोधी दलों से परामर्श कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—आप विरोधी दलों में से हैं और आप ही यह प्रश्न कर रहे हैं ?

*१३—**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)—[नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४-१५—**श्री हरकेशबहादुर**—[नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८१-८२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

पंचायत मन्त्रियों के पद

*१६—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पंचायत मंत्रियों के पद स्थायी करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

गांव पंचायतों को दिये गये रेडियो

*१७—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो रेडियो, गांवों में पंचायतों को रियायती दामों पर दिये जाते हैं उनमें लखनऊ, दिल्ली के प्रोग्रामों के अलावा अन्य जगहों के प्रोग्रामों को सुनने पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। ये रेडियो इस प्रकार के बने होते हैं कि उनमें केवल दो स्टेशनों के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—हमारा कहना है कि रेडियो पर रोक क्यों लगायी गयी है कि जितने इस प्रकार के रेडियो दिये गये हैं उनसे सिवाय लखनऊ और दिल्ली के और कोई स्टेशन सुन ही नहीं सकते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—रोक लगाने का मंशा यह है कि हमारे सेटों का अधिक से अधिक उपयोग आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम सुनने में ही किया जाय।

श्री बंशीधर शुक्ल—हमारा कहना है कि—

श्री अध्यक्ष—आपका "प्रश्न" होना चाहिये, "कहना" नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार की रोक लगाने से कि लखनऊ और दिल्ली के प्रोग्राम ही सुने जायं, उन्हीं में कौन सा जादू है जिसको सुनाने के लिए ऐसा किया गया है और जहां पर लोग २५ रुपया लगा देते हैं तो वह पूरे विश्व का हो जाता है तो वह २०-२५ रुपया सरकार देने के लिये तैयार है ? और नहीं देना चाहती है तो क्या पंचायतों को इजाजत देगी कि वे स्वयं बना लेवें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये रेडियो जनता में प्रचार के लिये दिये गये हैं और ग्रांट इनमें दी जाती है और इनमें आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम प्रसारित किये जाते हैं। इनको न सुनकर पाकिस्तान या लंका का प्रोग्राम अगर वे सुनें तो सरकार उसके लिये ग्रांट किसी को देने के लिये तैयार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज देश के चारों तरफ जो चहल पहल है उसको सुनने के लिये, ग्रामवासियों को जो रेडियो सप्लाई किये गये हैं, वह उससे वंचित न रहें, ऐसा कोई प्रबन्ध सरकार करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जबाब दिया जा चुका है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि लखनऊ और दिल्ली की बंदिश इसलिये लगी है कि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों की कार्यविधि गांव वाले अधिक से अधिक जान सकें ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जबाब दे दिया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी के उत्तर से संबंधित—क्या सरकार के पास ऐसी ज्यादा शिकायतें आईं कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान का रेडियो सुनते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सेट इस दृष्टि से बनाये ही गये हैं, इसमें शिकायत का सवाल ही नहीं।

तराई डीह से शिकायती पत्र

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई डीह, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के नागरिकों का प्रार्थना पत्र उनके तथा जिलाधीश आजमगढ़ के पास ८–२–५८, १४–२–५९, २९–९–५९ तथा २७–१–६० का भेजा हुआ अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ की कर नीति के विरोध में आया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई तथा जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से इस बात की जांच करने की कृपा करेगी कि जिन तिथियों का जिक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है उन तिथियों को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और जिलाधीश के पास प्रार्थना पत्र भेजे गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मान्यवर, व्यक्तिगत रुप में एक प्रार्थना पत्र आया है गांधी आश्रम के संबंध में, लेकिन कोई आम तौर की शिकायत हो, ऐसा उससे पता नहीं चलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या दरख्वास्तें आईं ? तो उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया "जी नहीं" और फिर मैंने पूछा कि किससे जांच कराई गई, उसका भी उत्तर नहीं दिया गया, इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्योंकि यह उत्तर बिलकुल अस्पष्ट और गलत है।

श्री अध्यक्ष—(श्री विचित्र नारायण शर्मा से) आप स्पष्ट कर दें कि गांधी आश्रम के संबंध में किस व्यक्ति ने शिकायत भेजी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन् प्रश्न पूछा गया है कि "तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के नागरिकों का प्रार्थना पत्र उनके तथा जिलाधीश, आजमगढ़ के पास आया" तो नागरिकों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया, सिर्फ दो आदमियों की तरफ से दो शिकायतें अलग अलग की गई हैं। एक श्री रामधारी पान्डेय हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या वह नागरिक नहीं हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, सामूहिक रूप से नागरिकों की तरफ से कोई पत्र नहीं आया। एक श्री रामधारी पान्डेय का आया था, उनके लड़के गांधी आश्रम के मेम्बर हैं, उन्होंने मेरे पास आकर दिया। मैंने डी० एम० से जांच कराई, लेकिन मालूम हुआ कि सब शिकायतें सही नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो जांच कराई गई इसमें दरख्वास्त देने वालों से भी पूछ ताछ की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसकी जरुरत इसलिये नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने जो शिकायत की कि हमको सूचना ही नहीं है तो उनकी शिकायत के बावजूद भी वहां पर उनकी तरफ से आब्जेक्शन फाइल किये गये जिस पर टैक्स रेड्यूस किया गया। तो कतई उनको जानकारी नहीं थी, यह बात नहीं है, एक आध साल की बाबत कहा जा सकता है कि उनको जानकारी न रही हो लेकिन आम तौर से जो शिकायत है वह गलत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अभी उन्होंने जो उत्तर में कहा है कि एक दो शिकायतें ऐसी हैं जिसमें नोटिस नहीं दी गई, तो उनके इन शब्दों को ही सही मानकर मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह फिर से जांच करायेंगे कि जिस अधिकारी ने टैक्स का फैसला दिया उसने नोटिस नहीं दी और इसके संबंध में उन्होंने क्या किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न को माननीय सदस्य ध्यान से पढ़ें, उसमें है कि क्या "कर नीति के विरोध में आया है" तो उसका कर नीति से कोई ताल्लुक ही नहीं है।

*१९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

गुलावठी टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*२०—**श्री जगवीरसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री के पास ९-२-६० को कस्बा गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में हुई आम सभा के प्रस्ताव आये हैं, जिनमें गुलावठी टाउन एरिया के चेयरमैन की शिकायत की गयी है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

*२१—**श्री जगवीरसिंह**—यदि हां, तो उस शिकायत पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जयराम वर्मा—अतिरिक्त परगनाधीश, बुलन्दशहर द्वारा शिकायत पर जांच की जा रही है।

श्री जगवीरसिंह—क्या मंत्री जी कृपया बतलावेंगे कि मुख्य मुख्य शिकायतें क्या थीं?

श्री जयराम वर्मा—टैक्स सूची के बारे में पक्षपात करना, सड़कों के बारे में कि जहां अध्यक्ष के दल के लोग रहते हैं वहां बनाई जाती हैं, दूसरे हिस्सों में नहीं बनाई जाती हैं, इसी तरह से रोशनी सफाई और पानी के निकास के बारे में हैं, सदस्यों के भ्रष्टाचार के बारे में भी हैं।

श्री जगवीरसिंह—अन्दाजन कब तक इस जांच की रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—जल्दी ही आने की संभावना है ।

उन्नाव जिले में एक ही स्थान पर काम करने वाले पंचायत मन्त्री

*२२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कितने पंचायत मंत्री १ वर्ष से अधिक समय से, २ वर्ष से अधिक समय से, ३ वर्ष से अधिक समय से और अपनी नियुक्ति के समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—वांछित सूचना इस प्रकार है—

	पंचायत मंत्री की संख्या
१ वर्ष से अधिक समय से	२९
२ वर्ष से अधिक समय से	१४
३ वर्ष से अधिक समय से	३०
नियुक्ति के समय से	१५

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये १५ पंचायत मंत्री नियुक्ति के समय से क्यों अपने ही स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—यह आदेश नहीं है कि सभी को २५ मील दूर कर दिया जाय । जिनका काम बहुत अच्छा है, वे नजदीक रह सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी को पता है कि इन १५ पंचायत मंत्रियों के विरुद्ध शिकायत होने पर भी और उनके नियुक्ति के समय से अपने स्थान पर होते हुए भी उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी सूचना शासन के पास नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—साधारणतया ८० फी सदी आदमी हटा दिये जाते हैं, तो क्या मंत्री जी का यह विश्वास है कि प्रदेश भर में ८० फी सदी आदमी बुरा काम करते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—कुछ का काम बहुत ही अच्छा होने के मानी यह नहीं हैं कि और बुरा ही काम करते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा जाता है ताकि वहां भी अच्छा काम हो सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मंत्री के हटाने से काम में हानि का अन्देशा रहता है, इसलिये भी नहीं हटाये जाते हैं ।

*२३—श्री शिवप्रसाद नागर [१३ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४–२५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित किये गये ।]

*२६–२७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[१७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थापित किये गये ।]

*२८—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२९—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित किया गया।]

यमुना पर शेरगढ़ घाट का पुल

*३१—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जो शेरगढ़ घाट पुल, जिला जालौन, इटावा में जमुना नदी पर है वह इस वर्ष इतना खराब बनाया गया है कि उससे लारी-मोटर का निकलना नहीं होता तथा क्या इस पुल के हर साल देर से बनाने की शिकायत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सही नहीं है कि शेरगढ़ घाट का पुल खराब बनाया गया है जिसके कारण लारी-मोटरों का निकलना नहीं होता। इस पुल में कुछ कमी अवश्य है जिसको तुरन्त दूर करने के लिये ठेकेदार को आदेश दिये जा चुके हैं। यह पुल ठेकेदार द्वारा बनवाया जाता है और चूंकि जमुना नदी का पाट शेरगढ़ घाट पर बहुत चौड़ा है, इसलिये पुल बनाने में कभी-कभी पानी अधिक होने के कारण विलम्ब हो जाता है।

*३२—राजा वीरेन्द्रशाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस शेरगढ़ घाट को सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्लू० डी०) में लेकर इस पर पीपों का पुल बनाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*३३—श्री राजनारायण—[हटा दिया गया।]

लखनऊ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीमें

*३४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में यू० पी० नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की प्रवृत्ति के समय कितनी स्कीम ऐसी थीं जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के मातहत विज्ञापित की गई थीं ?

श्री जयराम वर्मा—यू० पी० नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की प्रवृत्ति के समय ११ स्कीमें ऐसी थीं जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के मातहत विज्ञापित की गई थीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे स्कीमें कौन कौन सी हैं ?

श्री जयराम वर्मा—खयालीगंज जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम राणा प्रताप मार्ग स्ट्रीट स्कीम, बरफखाना जनरल इम्प्रूवमेंट ऐन्ड रिबिल्डिंग स्कीम, कूपर रोड (विवकानन्द मार्ग) स्ट्रीट स्कीम, नेपियर रोड जनरल इम्प्रूवमेंट ऐन्ड हाउसिंग एकमोडेशन स्कीम, शाहनजफ रोड स्ट्रीट स्कीम, सरक्युलर रोड डेवलपमेंट ऐन्ड हाउसिंग एकमोडेशन स्कीम, मिलिंग टोनिया एवन्यू स्ट्रीट स्कीम, टैगोर मार्ग डेवलपमेंट ऐन्ड हाउसिंग एकमोडेशन स्कीम, गूंगेनवाब पार्क जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, फतेहपुर, इरादतनगर, कुतुबपुर और हसनगंज हाउसिंग एकमोडेशन स्कीम।

श्री शिवप्रसाद नागर—इनमें से कितनी स्कीमें ऐसी हैं जो स्थगित होने जा रही हैं और जो कार्यान्वित होने जा रही हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह भविष्य ही बतलावेगा ।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अनुदान का व्यय

*३५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में गृह ऋणों के सम्बन्ध में जो धनराशि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को गत पांच वर्षों में दी गई उनमें से कितनी-कितनी धनराशि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं, कितनी डेवलपमेंट ट्रस्ट की योजनाओं तथा अन्य लोगों को दी गई ?

श्री जयराम वर्मा—गत पांच वर्षों में गृह ऋणों के सम्बन्ध में आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो धनराशि दी गई है उसमें से २७,८९,२०० रु० इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने स्वयं अपनी गृह निर्माण योजनाओं पर व्यय किया और ६३,५०० रु० डेवलपमेंट ट्रस्ट की योजानाओं हेतु तथा २,४७,३००रू० अन्य लोगों को गृह निर्माण हेतु दिया ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समान रूप से सभी आवेदकों के आवेदन-पत्रों पर विचार हो सके और सभी को समान, बिना भेदभाव के वह लोन मिल सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा कोई विचार नहीं है ।

खटिमा व टनकपुर में पेय जल व्यवस्था

*३६—श्री प्रतापसिंह—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खटिमा, नैनीताल व टाउन एरिया, टनकपुर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब २७ फरवरी, १९६० को इस प्रश्न की सूचना सरकार को दे दी गई थी तो तब से अब तक केवल २ तहसीलों के पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री जयराम वर्मा—कई जगह से सूचना इकट्ठी करनी है, इसलिये समय लगना आवश्यक है ।

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया ।]

फैजाबाद नगरपालिका में मेहतर कर्मचारियों का वेतन

*३८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ सितम्बर, सन् १९५७ के जी० ओ के मुताबिक १ अक्तूबर, १९५७ से फैजाबाद नगर-पालिका के कर्मचारियों को ए० ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—२६ सितम्बर, सन् १९५७ का शासकीय आदेश केवल मेहतर कर्मचारियों पर लागू होता है, अन्य कर्मचारियों पर नहीं । जो सूचना शासन को नगरपालिका, फैजाबाद से प्राप्त हुई है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि नगरपालिका अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण उक्त आदेश को लागू नहीं कर सकी है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था वेतन देने की कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका को आदेश दे दिया गया है कि आदेश के अनुसार उन्हें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—यह आदेश ढाई साल पहले भेजा गया और उसके बाद सफाई कर्मचारी भी मंत्री जी से रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं । तो क्या पिछला वेतन भी सब दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—आशा यही की जाती है कि जिस समय से लागू करना था उस समय से पूरा वेतन उनको दिया जायगा ।

महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में डेपुटेशन पर लिये गये आफिस सुपरिण्टेण्डेन्ट

*३९—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश से किन-किन नगर महापालिकाओं तथा नगर-पालिकाओं में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्य करने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—प्रदेश की किसी महानगरपालिका में कोई ऐसा आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं कार्य कर रहा है जो किसी दूसरे सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिया गया हो ।

जहां तक नगरपालिकाओं का प्रश्न है, अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल गोरखपुर नगरपालिका में श्री त्रिजुगी नारायण दुबे ऐसे व्यक्ति हैं जो कमिश्नर गोरखपुर डिवीजन के आफिस से डेपूटेशन पर बुलाये गये और आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त किये गये । गोरखपुर नगरपालिका में इनका कार्यकाल सितम्बर, १९५८ से मार्च, १९६० तक रहा । अब वे जिलाधीश, देवरिया के कार्यालय में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

*४०—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि उक्त डेपूटेशन में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

श्री जयराम वर्मा—श्री दुबे के मामले में स्वीकृति अभी नहीं दी गई है, क्योंकि डेपूटेशन पर दिये जाने वाले भत्ते तथा वेतन अभी शासन के विचाराधीन है । वित्त विभाग से परामर्श लिया गया है । इसमें उनकी स्वीकृति (concurrence) भी आवश्यक है । स्वीकृति प्राप्त होते ही यहां से आदेश पारित कर दिये जायेंगे । आशा है कि आदेश दो सप्ताह में भेज दिये जावेंगे ।

*४१—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर इस सूचना के साथ रखेंगे कि उनमें से प्रत्येक कितने दिनों से किस सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—सूची की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तीन नगरपालिकाओं से सूचना आनी बाकी है । श्री दुबे के बारे में पहले ही बताया जा चुका है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामस्वरूप वर्मा—(जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—जो नहीं । आप बैठ जायं । एक बार स्थगित हो जाने के बाद भी इत्तफाक से यदि कोई सज्जन अपने प्रश्नों को मुल्तवी करा लेते हैं या कभी कोई मंत्री बीमारी आदि कारणों से किसी प्रश्न को मुल्तवी करा लेते हैं तो उसके लिये मेरे पास कोई उपाय नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष—अब विधान सभा के सचिव घोषणा करेंगे ।

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ मार्च, १९६० की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २८ मार्च, १९६० को वापस प्राप्त हो गया, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति ३१ मार्च, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का ९ वां अधिनियम बन गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अनुसार ४ प्रश्न ४ घटनाओं के सम्बन्ध में आये हैं, इनमें से दो तो आग लगने के सम्बन्ध में हैं । आग तो गर्मी के दिनों में खलियानों में और घरों में बहुत-सी लगती रहती हैं । इस विषय पर मैं समझता हूं कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन करके काम चलाया जा सकता है । इसी तरह से एक प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव का है । एक कहीं काली मन्दिर में एक व्यक्ति का वह समझते हैं कि बलिदान दिया गया, मर्डर हो या बलिदान, इसके विषय में भी जानकारी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा उत्तर पाकर की जा सकती है । एक श्री रामस्वरूप वर्मा का है, वह महत्व का अवश्य है लेकिन वह निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत से आक्षेप कई अफसरों पर उसमें किये हैं और यह भी नहीं बताया कि कितने ऐसे नोटिस निकले हैं । जब तक निश्चितता नहीं होगी तब तक नियम ५२ के अनुसार वक्तव्य देने के लिये मैं मंत्री जी से नहीं कह सकता, उसमें काफी निश्चितता होनी चाहिये । कई नोटिस हैं, वह नोटिस उन्हें दिखाने चाहिये थे और इस प्रकार का वक्तव्य देने के लिये एकदम से आक्षेप किन्हीं अफसरों पर नहीं होना चाहिये । मैं इसको भी निश्चित न होने के कारण स्वीकार नहीं करता ।

सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के ४०० मजदूरों की छटनी के कारण श्री रमापति दुबे द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम ५२ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना उपस्थित करता हूं । यह सत्य है कि दिसम्बर, १९५८ में काम समाप्त होने के कारण मशीनों की आवश्यकता नहीं रही और उन पर काम करने वाले ३३५ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी । यह सभी कर्मचारी वर्कचार्ज स्टाफ के थे । इनकी छटनी किसी बहाने से नहीं, वरन् डिवीजन का कार्य समाप्त हो जाने के कारण की गई थी । अर्थमूविंग मशीनें जिन पर यह मजदूर काम करते थे दूसरी योजनाओं पर भेज दी जातीं किन्तु रामगंगा, जमुना, मेजा आदि योजनाओं के स्थगित हो जाने के कारण वैसा करना सम्भव न हो सका और अन्ततः मशीनों की आवश्यकता न रह जाने के कारण उन पर जो स्टाफ लगा हुआ था उनकी छटनी अनिवार्य हो गई । उनको १-१२-५८ को एक मास का नोटिस देकर १-१-५९ से नौकरी से अलग कर दिया गया । इस छटनी में उक्त डिवीजन

के सभी वर्कचार्ज कर्मचारी जिनकी कुल संख्या ३३५ थी नौकरी से पृथक कर दिये गये । श्री दुबे को ही अकेले नोटिस देकर नहीं हटाया गया वरन् वर्कचार्ज स्टाफ के सभी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया जिसमें श्री दुबे भी शामिल थे ।

श्री दुबे के सम्बन्ध में संक्षेप में यह निवेदन कर देना उचित ही होगा कि १८-९-५६ को अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार के कारण इनसे जवाब तलब किया गया था और उनका उत्तर सुनने के बाद अधिशासी अभियन्ता ने २६-९-५६ को उनकी सेवायें समाप्त करने का आदेश दिया था, इस सम्बन्ध में श्री दुबे ने हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर की जिस में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अधिशासी अभियन्ता अप्वाइंटिंग अथारिटी न होने के कारण नौकरी से पृथक करने का उन्हें अधिकार न था । इस निर्णय के अनुसार २९-९-५८ को सूचना मिलने पर विभाग ने श्री दुबे को मेकेनिक, सिरसी डाम डिवीजन, मिर्जापुर के पद पर वापस रख लिया और इस हटाये हुये समय का १०५ रुपया मासिक के हिसाब से वेतन भी दिया गया वह काटकर जो अन्य स्थान पर अदा किया था ।

नौकरी से हटाये जाने एवं रखे जाने के बीच के काल में श्री दुबे ने वाराणसी डिवीजन में दो भिन्न पदों पर काम किया । वाराणसी डिवीजन को यह पता नहीं था कि श्री दुबे सिरसी डाम डिवीजन से निकाले गये हैं और न ही श्री दुबे ने यह बात बताई । यही नहीं, वाराणसी डिवीजन में भी श्री दुबे का काम संतोषजनक नहीं था । जून, १९५८ में इनका एक इन्क्रीमेंट रोकने के आदेश हुये थे । एक दिन (११-९-५८) अचानक ही सरकारी कागजात एक ग्रामीण श्री खरपट्टू के हवाले कर श्री दुबे बिना किसी सूचना अथवा आज्ञा के अपनी ड्यूटी से गयब हो गये । इन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि नौकरी के मामले में श्री दुबे का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा है और उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया गया ।

सब निष्काषित कर्मचारियों की सूची मुख्य अभियन्ताओं, सारे डिवीजनों, दूसरे प्रदेशों के योजनाधिकारियों एवं कामदिलाऊ दफ्तरों में जनवरी, १९५९ में भेज दी गई थी जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों को नौकरी पर लगाने की चेष्टा की जाय ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सूची के अनुसार जितने मजदूर काम से निकाले गये उनमें से कितनों को अब तक कहीं न कहीं एब्जार्ब किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---हमारे पास इस प्रकार की कोई सूची नहीं है । लेकिन विभाग को कुछ पता अवश्य है इस बात का कि जहां-जहां लिस्ट इत्यादि भेजी गई थीं, कुछ लोग काम पर लिये गये हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि जब से ये ३३५ मजदूर निकाले गये तबसे जिन ट्रेड्स में ये थे उन्हीं ट्रेड्स में प्रान्त में अन्य नये मजदूर रखे गये और पुराने कम रखे गये ?

श्री धर्मसिंह---पुराने और नये का तो सवाल नहीं है । जैसा कि मैंने उत्तर में निवेदन किया, क्योंकि काम समाप्त हो गया था और जहां-जहां पर यह काम करते थे वहां पर यह वर्क चार्ज्ड में काम करते थे और वहां पर आवश्यकता नहीं रही । इसलिये पुरानों का तो कोई सवाल ही नहीं है । जब आवश्यकता पड़ेगी तो रखे जायेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कोई ऐसा आदेश देने की कृपा करेगी कि जिन पदों पर ये लोग काम कर रहे थे और जो काम कर रहे थे यदि इस प्रकार के मजदूर रखे जायं तो इन निकाले हुये मजदूरों को प्राथमिकता दी जाय तब दूसरों को रखा जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---यह अलग से हिदायत देने की अब जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी बतलाया, एक लिस्ट बना करके जितनी भी इस प्रकार की एजेन्सीज हैं उनको भेजी गई हैं। उसके साफ माने हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि बावजूद इसके कि ३३५ निकाले हुये मजदूरों की लिस्ट सब जगह भेज दी गई है फिर भी जो ऐसे काम हैं जैसे दोहरीघाट नानक सागर, तुमरिया डैम वगैरह बन रहे हैं इनके अफसरान इस लिस्ट की परवाह नहीं करते हैं? यदि हां, तो सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उनको पहले लिया जाय?

श्री गिरधारीलाल---मेरे पास इस प्रकार की कोई इत्तला नहीं आयी। लेकिन यह जरूर है कि वहां पर जब काम चल रहे हैं तो वहां पहले से ही आदमी काम कर रहे होंगे, जैसे तुमरिया डैम वगैरह हैं। तो उनको हटा कर तो रखेंगे नहीं।

श्री झारखंडेराय---यह दुबे जी जो भूख हड़ताल कर रहे थे, इस समय कहां हैं और उनकी क्या हालत है?

श्री धर्मसिंह---वह जेल में हैं और उनकी हालत अच्छी है।

श्री झारखंडेराय---इस समय भी वह भूख हड़ताल जारी किये हुये हैं या तोड़ दिये हैं?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---निकाले हुये कर्मचारियों को रखने के लिये दूसरे मेकैनिकल डिवीजनों के अभियन्ताओं के पास कोई आदेशपत्र भेजा है? उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री धर्मसिंह---वह आदेश भेजा गया है---इसी प्रान्त में नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों में भी---यह उनके ऊपर है कि रखें चाहे न रखें। वर्क चार्ज्ड के बारे में यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि यह डिवीजनवाइज लिये जाते हैं। तभी लिये जाते हैं जब काम होता है और काम समाप्त होने पर निकाल दिये जाते हैं।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुये कि सरकार के आदेश के अनुसार जो मजदूर निकाले गये थे उनमें से कुछ अब तक रख लिये गये होंगे और जो अब बाकी रह गये हैं और सालों से जिन्हें काम नहीं मिला है उनके बारे में सरकार कोई विशेष कृपा करने की चेष्टा करेगी ताकि उनको कहीं न कहीं काम मिल जाय?

श्री धर्मसिंह---मान्यवर, सरकार को उनके साथ पूरी तरह से हमदर्दी है और इसीलिये आदेश भेज दिये गये हैं कि जहां-जहां आवश्यकता हो वहां उनको रखा जाय और कई साल नहीं हुये केवल एक साल का किस्सा है।

जालौन जिले के पुलिस कप्तान द्वारा बस ड्राइवर, श्री विश्वनाथ, के पीटे जाने के फलस्वरूप बस कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय गृह मंत्री, श्री गोविन्दनारायण तिवारी द्वारा दी गई सूचना के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे।

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---मान्यवर, २९ मार्च, १९६० को सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, जालौन दोपहर को साढ़े ११ बजे ग्रामीण क्षेत्रों के थानों की चेकिंग करके लौट रहे थे।

मील नम्बर १४ और १५ उरई--कालपी रोड पर उन्होंने एक बस यू० एस० ई० २ को उरई की तरफ से आते हुये देखा, जिसमें सवारियां ज्यादा मालूम पड़ीं। उन्होंने सिगनल दिया ताकि बस रुक जाय लेकिन २ फर्लांग के बाद वह बस रुकी। जब उसमें गिनती की गई तो पाया गया कि ६६ सवारियां हैं जब कि उसमें केवल ३० सवारियां ले जाने की इजाजत थी। ७ सवारियां छत पर थीं और ३, ४ फुट बोर्ड पर खड़ी हुई थीं। बस के ब्रेक भी ठीक नहीं थे। इस वजह से एस० पी० ने ठीक समझा कि इतनी सवारियों को आगे ले जाने की उसे इजाजत न दी जाय। उन्होंने दस आदमियों को अपनी पिक-अप में बैठाया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वह धीरे धीरे उनके पीछे चले। उरई में जाकर बस का मुआयना कराया गया जिसमें पाया कि अलावा खराब ब्रेक के उसके स्टीयरिंग में भी कुछ खराबी थी। उन्होंने दफा ११२, १२१ और १२३ मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्दर एक मुकदमा कायम किया। उसी समय एक सज्जन, श्री राम रतन मैयार, वकील जो स्थानीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, आये और उन्होंने ड्राइवर और क्लीनर की जमानत के लिये कहा जो उसी वक्त ले ली गई।

जहां तक यह शिकायत है कि एस० पी० ने ड्राइवर को मारा तो एस० पी० का कहना है कि यह बात ठीक नहीं है। जिलाधीश से भी शाम को श्री गोविन्द नारायण तिवारी २९ मार्च को मिले थे और जिलाधीश का कहना है कि उन्होंने भी मारपीट का कोई जिक्र नहीं किया था। साथ ही ३० मार्च, १९६० को कुछ बसेज नहीं चली थीं, हड़ताल की गई थी लेकिन ३१ मार्च, १९६० को शाम से बसेज ने अपना काम शुरू कर दिया और पहली अप्रैल को जितनी बसेज चलती थीं उतनी चल रही हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---मंत्री जी बतायेंगे कि श्री विश्वनाथ ड्राइवर को चोटें थीं जिसका उरई सदर अस्पताल में मेडिकल ऐग्जामिनेशन हुआ? यदि हां, तो मंत्री जी बतायेंगे कि क्या चोटें थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ड्राइवर ने अपनी चोटों का मुआयना कराया था जिसमें दो सूजन दिखायी गयी थीं जो डाक्टर की राय में गिरने से और अपने आप भी पहुंचायी जा सकती हैं और कुंदाले से भी हो सकती हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---जिस ड्राइवर का जिक्र किया गया वह उस बस का ड्राइवर है जो श्री राम रतन की थी?

श्री अध्यक्ष---श्री रामरतन क्या कोई प्रसिद्ध आदमी हैं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, एक साहब हैं जिनकी तीन-तीन बसेज चलती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हीं का ड्राइवर है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, यह सूचना तो नहीं है लेकिन यह सूचना है जिस दिन बस पकड़ी गई थी श्री रामरतन थाने भी गये जमानत के लिये और वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी मिले थे।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या यह सही है कि जब विश्वनाथ की चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ तो डाक्टर चौधरी ने लिखा है "Caused by blunt weapon"?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, मैंने डाक्टर की ओपीनियन के बारे में कहा भी है कि उन्होंने लिखा है "Caused by blunt weapon", लेकिन उनकी राय यह भी है कि यह गिरने से और सेल्फ इन्फिलिक्टेड भी हो सकती हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इन पुलिस कप्तान साहब ने इससे पहले दो ड्राइवरों को अपने हाथ से मारा था जिसके सिलसिले में उन्होंने ड्राइवर यूनियन से माफी मांगी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो सूचना नहीं है, लेकिन यह सूचना है कि इस बस का पहले भी ओवरलोडिंग में चालान हुआ था।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---घटना को देखते हुये और माननीय सदस्यों द्वारा कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाओं का जिक्र आने पर क्या माननीय मंत्री उक्त अधिकारी को तुरन्त वहां से स्थानान्तरित करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उरई-कालपी रोड पर जो यातायात है उस पर पूरी मानोपोली विश्वनाथ के मालिक की है और इस सड़क पर ओवरलोडिंग की शिकायत इससे पूर्व भी सरकार को काफी प्राप्त हो चुकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् ५९ में उनका चालान हुआ और उसमें सजा भी हुई। फिर ३-१-६० को ५४ पैसेंजर्स वे ले जा रहे थे, फिर चालान हुआ जो कि अदालत में विचाराधीन है।

श्री शिवराज सिंह यादव---मेरे प्रश्न का पहला हिस्सा यह था कि कालपी-उरई रोड पर विश्वनाथ के मालिक की यातायात पर पूरी मानोपाली है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---माननीय मंत्री ने अभी यह बतलाया कि यह चोट गिरने से भी आ सकती है तो क्या उनके पास इस बात की जानकारी है कि जब एस० पी० ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बन्द कर दिया तो इस बीच में चोट कहां से आ गई ?

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में कोई मुकदमा चल रहा है क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव---मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में तो प्रश्न के लिये वह बाधक नहीं हो सकता। माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दें।

श्री रामस्वरूप यादव---यह रिपोर्ट जो दर्ज हुई थी वह १२.२५ मिनट पर दर्ज हुई थी। डाक्टरी मुआयना हुआ ३.४५ दोपहर के बाद और जमानत पर उसी वक्त उसको छोड़ दिया गया, जिस वक्त श्री रामरतन थाने में गये। जमानत के बाद और ३.४५ मिनट के बीच में कोई बात हो तो उसकी जिम्मेदारी किसी तरह नहीं ली जा सकती। लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त रिपोर्ट लिखी गयी थी उस वक्त कोई चोट दर्ज नहीं हुई थी। फिर रामरतन जब स्वयं पहुंच गये थे तो उन्होंने मार-पीट की कोई शिकायत नहीं की। तार जो आया है उसमें पुलिस सुपरिन्टेंडेंट द्वारा मारने की शिकायत है और यहां सदन में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें सुपरिंटेंडेंट पुलिस और स्थानीय पुलिस के मारने की शिकायत की गई है।

श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)---जिन बसों ने हड़ताल की उसमें ज्यादातर ऐसी बसें थीं जो रामरतन तथा उनके खानदान की थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना नहीं है, लेकिन सिर्फ उरई-जालौन और उरई-कालपी रोड की जो बसें थीं उन्होंने कुछ देर के लिये हड़ताल की थी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार जो विश्वनाथ को चोटें आयी हैं वे कितनी आयी हैं और कहां कहां पर आयी हैं? मेडिकल रिपोर्ट इस बारे में क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि ड्राइवर ने स्वयं अपना डाक्टरी मुआयना कराया और जो सर्टिफिकेट हासिल किया उसमें दो सूजन लिखी थीं, एक लेफ्ट थम्ब के दोनों तरफ और दूसरी राइट थम्ब में।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह शिकायत है कि एस० पी० ने खुद अपने हाथ से ड्राइवर को मारा तो ऐसी हालत में इस चीज की जानकारी के लिये किसी और बड़े अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह उचित नहीं समझा जाता है, क्योंकि एस० पी० का कहना है कि मैंने नहीं मारा और डी० एम० की भी जो उस वक्त उन्होंने राय कायम की है वह यह है कि मार पीट नहीं हुई। साथ में मुकदमा भी विचाराधीन हो गया है जिसमें मुल्जिम अपनी सफाई इस तरह की ले सकता है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस की बाबत स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे कि यदि विश्वनाथ अपनी मारपीट का इस्तगासा एस० पी० के ऊपर दायर करे तो जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत क्या सरकार प्रासीक्यूशन सैंक्शन करने की दया करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप शर्तिया सवाल कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी ने इस कारण का पता लगाने का भी कष्ट किया है कि जब विश्वनाथ के अंगूठे में चोट लगी है तो उसने अपने हाथ से कैसे मार लिया?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस ड्राइवर को चोट लगी है उसका अपना भी कहीं पर कोई बयान हुआ है? यदि हां, तो उसने क्या बताया कि कैसे चोट लगी है?

श्री रामस्वरूप यादव—उसके बयान की जरूरत नहीं है, जो उसकी तरफ से तार आया था और यहां तक कि श्री रामरतन मैय्यर ने डी० एम० से यह भी कहा था कि आप चालान वापस ले लें और हम यह हड़ताल जो ३१ तारीख को शुरू हुई थी वह वापस ले लेंगे।

कई सदस्य—ड्राइवर ने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष—वह उनके पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत की है उसमें एक तो एस० पी० का कथन है जो स्वयं इस केस में मुद्दई हैं और दूसरे जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है जिन्होंने कोई जांच नहीं की बल्कि यह कहा कि माननीय गोविन्द नारायण जी तिवारी उनसे मिले थे, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ड्राइवर का स्वयं कथन है कि एस० पी० महोदय ने मारा, किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराना उचित नहीं समझती है?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो विस्तार से उत्तर दे दिया। डी० एम० की भी ऐसी राय आ गई है कि ऐसा नहीं हुआ है, एस० पी० ने भी जाहिरा कह दिया है और मुकदमा चल रहा है। लिहाजा इस वक्त यह उचित नहीं होगा कि इसमें और कोई कार्यवाही की जाय।

१७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न २५ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब १७ फरवरी, १९६० को विधान सभा के सदस्य श्री कल्याण चन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या २५ से सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से विधान सभा के द्वितीय सत्र १९५९ के चौथे बुधवार (१७ फरवरी, १९६०) को श्री कल्याण चन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप में संशोधन करता हूं :—

मूल प्रश्न था—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की महापालिकाओं को स्थापित करने के लिये जो ऋण सरकार ने पांचों महापालिकाओं को दिया था उसमें किन-किन महापालिकाओं ने कितना-कितना धन व्यय किया और यह किस कार्य में व्यय किया गया ?

उत्तर यह दिया गया था:—

"महापालिकाओं को स्थापित करने के लिये किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। परन्तु नगरपालिका, वाराणसी को २०,००,००० रुपये इलाहाबाद को २,७५,००० रुपये तथा आगरा को ६,००,००० रुपये उनके महापालिका भवन निर्माण के हेतु ऋण दिया गया।

इन महापालिकाओं में से इलाहाबाद तथा आगरा से अभी तक कोई भी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। केवल वाराणसी ने १,२०,५४१.०७ नये पैसे की धनराशि अपने महापालिका भवन निर्माण में व्यय की है।"

इस पर अनुपूरक प्रश्न यह था—"क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह धन जो दिया गया है वह नये भवन बनाने के लिये दिया गया है या पुराने भवनों की मरम्मत कराने के लिये दिया गया है?"

इसका उत्तर यह दिया गया था कि "नये भवन बनाने के लिये दिया गया है"। इसमें मैं निम्नलिखित संशोधन करना चाहता हूं:—

"जहां तक महापालिका वाराणसी तथा आगरा का सम्बन्ध है, उनको यह धन नये भवन के निर्माण हेतु दिया गया है। परन्तु महापालिका इलाहाबाद को उसके पुराने भवन में कतिपय परिवर्द्धन तथा परिवर्तन करने के लिये दिया गया है।"

दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह था कि—"क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह धन जो नगर महापालिकाओं ने मांगा था, वह नये भवन के लिये मांगा था या पुराने भवनों की मरम्मत कराने के लिये मांगा था ?"

उस समय यह उत्तर दिया गया था कि—"नये भवन बनाने के लिये मांगा था" इसको मैं इस रूप में संशोधित करना चाहता हूं कि—"महापालिका, वाराणसी तथा आगरा ने यह धन नये भवन बनाने के लिये मांगा था, परन्तु महापालिका इलाहाबाद ने अपने पुराने भवन में कतिपय परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करने के लिये मांगा था।"

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० पर विचारार्थ कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी ६ अप्रैल की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० के लिये ६ और ७ अप्रैल के दिन निश्चित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० पर विचारार्थ कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प करता हूं कि यह सदन, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय से सहमत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—ऐसे प्रश्नों का विरोध नहीं होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि इसको पुनर्विचार के लिये कार्य मंत्रणा समिति के पास वापस भेज दिया जाय। इसके कारण मैं आप के सामने रख देना चाहता हूं। यह विधेयक "उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०, पिछले शुक्रवार के दिन पुरःस्थापित हुआ था और शनिवार के दिन से चार दिन की लगातार छुट्टी रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इसके सम्बन्ध में जो भी लिटरेचर था वह उपलब्ध नहीं हो सका है। संशोधनों के उपस्थित करने के लिये ३६ घन्टे का समय मिलना चाहिये था, लेकिन कागजात के उपलब्ध न होने के कारण वह उपस्थित नहीं किये जा सके। अतः मैं चाहूंगा कि जो दो दिन की अवधि रखी गयी है, वह कम है। इसलिये कुछ समय बढ़ा दिया जाय जिससे संशोधन दिये जा सकें। इसलिये मैं इस निश्चय पर आपत्ति करता हूं और इसको पुनर्विचार के लिये वापस कार्य मंत्रणा समिति को भेजा जाय जिससे समय बढ़ सके और संशोधन दिये जा सकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने, अपनी ६ अप्रैल की बैठक में, जो समय निर्धारण किया है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए यह विधेयक समिति के पास वापस भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९

विपक्ष में—१३०।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० पर कार्य मंत्रण समिति ने अपनी ६ अप्रैल, १९६० की बैठक में, सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिए जो समय निर्धारित किया है, यह सदन उसे स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक दूसरी सूचना यह देता हूं। यह सूचना दी गयी थी कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक के बाद ही लिया जायगा। वह नहीं लिया जायगा। वह कब लिया जायगा, बाद में बताया जायगा।

दूसरे, उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० को १३ तारीख को लेने के लिए लिखा हुआ था। वह किस रोज लिया जायगा, बाद में बता दिया जायगा।

१३ तारीख को असरकारी दिन हमने स्वीकार किया है। बाकी सूचना कल दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं माननीय नेता सदन से यह सदन की जानकारी के लिए, निवेदन करना चाहता हूं कि इस हफ्ते का कार्यक्रम वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—इस हफ्ते का कार्यक्रम बहुत सीधा है। आज और कल खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक होगा। ८ को असरकारी दिन है, ९, १० को छुट्टी है। उसके आगे का कार्यक्रम आयेगा, अगले हफ्ते में वे बतायेंगे।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०*

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Bill, 1960) पर विचार किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि मैं आपका ध्यान नियम १३१ पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें विधेयक से सम्बन्धित पत्र मांगे जाने की शक्ति की व्याख्या की गई है। उसमें लिखा है कि—"ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं"। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में जो लिखा है उसको भी आप देखने की कृपा करें। उसमें भी लिखा है पंक्ति ६ में कि—"प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब से बचने तथा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को ग्राम उद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग संघटित किया है जो एक परिनियत निकाय (स्टैटयूटरी बाडी) है"। यानी इसके सम्बन्ध में स्टैटयूटरी बाडी केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियत है। इसमें आगे यह भी लिखा हुआ है कि "यह अनुभव किया जाता है कि ग्राम उद्योग कार्यक्रम को शीघ्रता से सम्पादित करने और रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि यह राज्य भी एक परिनियत खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड संघटित करें"। इसका अर्थ यह निकला कि यह जो बोर्ड संघटित हो रहा है यह केन्द्रीय सरकार के बोर्ड के आधार पर है और उससे काफी सम्बन्धित है। इसलिये मैं, इस विधेयक के सम्बन्ध में जितने सम्बन्धित कागजात हैं, उनको चाहता हूं कि वे यहां पर रखे जायं।

दूसरी बात यह है कि मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १२२ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि "विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन—जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें

---

*१ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा तथा यह भी बताया जायगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की"। अब आप इसको देखें कि इसमें नियम १२२ के अनुसार जो ज्ञापन देना चाहिये, जो सूचना देनी चाहिये वह उचित ही है। इसके साथ एक भी सूचना नहीं है। केवल मात्र विधेयक का खंड ३६ और ३७ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले बोर्ड के लिये शक्ति ले ली गई है। बस इतनी बात ही गई है। न तो कोई ज्ञापन है और न उससे सम्बन्धित पत्र ही हैं। विधेयक के सम्बन्ध में समय भी उतना नहीं दिया जा रहा है कि संशोधन दिये जा सकें, केवल इस विधेयक को बहुत जल्द पारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—१३१ नियम के सम्बन्ध में जो कागजात, जिन पर यह बिल आधारित है, माननीय मंत्री जी के पास हों तो वे माननीय सदस्य को दे देना चाहिये। यह नियम के अनुसार ठीक है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेटयूटरी बोर्ड गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है खादी के सम्बन्ध में, उसका जो विधान है और जिस ढंग से वह बना है उसका गजट नोटिफिकेशन बराबर गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से छपा है। यू० पी० गवर्नमेंट के गजट में भी उसकी प्रतिलिपि छपी है। जो उसके सम्बन्ध में कागज हैं उनको ढूंढ़ कर निकालने के लिये बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सारे देश की यह आम धारणा है कि उस खादी बोर्ड ने अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इसमें आपको क्या आपत्ति है। माननीय सदस्य उनको बीच में भी मांग सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं कोशिश करूंगा कि वे कागजात मिल जायं।

श्री अध्यक्ष—आज ही मिलने की बात नहीं है। आप ढूंढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं। जब माननीय सदस्य मांगते हैं तो उनको जानकारी आप करा दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मेरा निवेदन यह है कि जो बिल लाया गया है उसके सम्बन्ध में इनके पास सब कागजात होने चाहिये, लेकिन मंत्री महोदय जल्दी में ही इस पर विचार कर लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर आपको वे मिल जायं तो आप उनको दे दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब तक वे कागजात नहीं आते तब तक हम विचार कैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष—हम अक्ल को घर पर छोड़ कर नहीं आते। हम सब कामन सेंस से विचार करेंगे।

दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया है नियम १२२ के अनुसार, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जितना आवश्यक मेमोरेन्डम देना चाहिये था विधेयक में क्या आपने दे दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, उतना हमने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—जब आप कहते हैं कि उस विशिष्ट डेलीगेशन की बात जितनी आप आवश्यक समझते हैं उतनी दे दी है तो मैं उनके उस आक्षेप को स्वीकार नहीं करता और मैं समझता हूं कि वह आक्षेप निराधार है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--प्रश्न यह है कि क्या माननीय अध्यक्ष के लिये यह उचित है कि वे इस प्रकार के रिमार्क कसें कि हम अक्ल घर पर छोड़ आते हैं। यह सदस्यों पर आक्षेप है और यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---अगर आप में ह्यूमर हो तो आप उसको पी जायंगे। ऐसा रिमार्क कोई आक्षेप के लिये नहीं होता। अक्ल तो आप रख कर आये ही हैं, कहीं छोड़ कर नहीं आये। अगर मैं यह कहता कि अक्ल नहीं है, तो बात दूसरी थी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, ग्रामीण और लघु उद्योगों का हमारे देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा स्थान है इस सत्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं। इन ग्रामीण और लघु उद्योगों को पनपाने की चेष्टा करना सरकार की बराबर नीति रही है, न केवल इसलिये कि उससे हमारे जीवन के आर्थिक ढांचे और आर्थिक प्रगति को बल मिलता है, बल्कि इसलिये कि जिन सिद्धान्तों पर हम अपने देश की रचना करना चाहते हैं उन सिद्धान्तों को इस प्रकार के उद्योगीकरण से बल मिलता है। प्रजातन्त्र प्रणाली में विकेन्द्रीकरण का एक प्रमुख स्थान है और इन उद्योगों के द्वारा हम धन की पूर्ति और प्राप्ति का जो माध्यम है उसका विकेन्द्रीकरण करते हैं और इसलिये इनको बल देने की हमारी बराबर कोशिश रही है।

हमारे देश में खेती के उद्योग को, ग्रामोद्योगों को इस बात के बावजूद भी कि सारे देश की चेष्टा रही कि इनको बढ़ावा दिया जाय, हम उतना बढ़ावा नहीं दे पाये हैं, उनमें इतनी प्रगति नहीं कर पाये हैं जितनी कि हम चाहते थे। जिन कारणों से यह बात सम्भव नहीं हो पायी उनमें जहां एक ओर इस प्रकार के उद्योगों से बनी हुई चीजों की लोकप्रियता का सवाल है, उन काम करने वालों की बेकारी का सवाल है, या फैले हुए गांवों में जानकारी की कमी का जो सवाल है या टेक्निकल नो-हाउ की जो कमी है, उसके साथ-साथ यह भी एक कारण है कि सरकारी यंत्र द्वारा जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, कर्मचारी और हमारे दूसरे भाई हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं और जो स्वराज्य आन्दोलन को देन है, उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का एक स्टैट्यूटरी आयोग बनाया था और उसने देश में जिस ढंग से काम किया उसको सभी लोगों और दलों ने प्रशंसा की और यह पाया कि उसके हाथ से काम तेजी से होता है और सरकारी नियमों के चक्कर में वह नहीं पड़ता, हमारी सरकार ने भी यह स्वीकार किया कि हम अपने प्रदेश में एक खादी ग्रामोद्योग कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बाडी, एक रेप्लिका छोटा-मोटा उस चीज का जो केन्द्र में है, बनायें और उसे बनाने की हमने कोशिश की है और उसके लिये एक यंत्र बनाने की यह चेष्टा की गयी है।

मैं यह जरूर कहता हूं और इसका मुझे अफसोस है कि इस बोर्ड के सम्बन्ध में जो विधेयक हमारे सामने है उसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था और उसे हम नहीं ला पाये। सरकार का इसमें केवल इतना ही दोष है। हमारी यह चेष्टा थी पिछले ८-१० महीनों में कि हम इसको ले आवें लेकिन कैबिनेट के सामने जो और महत्वपूर्ण मसले थे---चाहे वह भूमिसुधार से सम्बन्धित रहे हों, चाहे सीमा सम्बन्धी रहे हों, चाहे अन्तरिम जिला परिषद् का रहा हो, या अन्य दूसरे मसले रहे हों, उनको प्राथमिकता दी गयी और इस कारण यह बिल अब सदन के सामने आ पाया है। इस बिल को हमने जिस रूप में आपके सामने रखा है उसमें खादी कमीशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका परामर्श है और उन्हीं के परामर्श से तथा हमारे प्रदेश में जितने खादी का काम करने वाले रचनात्मक लोग हैं, जो गांधी जी के जमाने से ही इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करते रहे हैं, जैसे सेवा आश्रम वगैरा संस्थायें हैं, और भी नाना प्रकार की संस्थायें हैं, उनकी राय से हमने इस विधेयक को बनाया है और इस तरह के बोर्ड को बनाने का सुझाव है।

खादी ग्रामोद्योग को प्राण प्रतिष्ठा रखने वाले भाइयों से भी हमने परामर्श किया है और फिर भी अगर कोई त्रुटि इसमें रह गयी है और उस सम्बन्ध में कोई सुझाव माननीय सदस्य हमें देते हैं, तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं, यह जो विधेयक है, इसमें जो कोई बात माननीय सदस्यों को खटकेगी उसे हमें निकाल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बिल को लाने से पूर्व, जिन लोगों के द्वारा हमें इस बिल के उद्देश्यों को पारित कराना है, उनसे परामर्श किया है और उन रचनात्मक लोगों की राय के आधार पर ही हमने इस बिल को बनाया है और इस कार्य को पूरा किया है। इसको पूरा करके हमें औद्योगीकरण की दिशा में एक नया रुख और नयी दिशा मिलेगी। प्रदेश के सभी रचनात्मक कार्य-कर्ताओं की तथा अन्य सभी लोगों की जो इच्छा है कि एक स्टैट्युटरी बोर्ड बने, उसे पूरा किया गया है और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर यह सदन विचार करने की कृपा करे।

(इस समय १२ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर देवे।

श्रीमन्, यह जो विधेयक हमारे सामने है, मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है, कि इस सम्बन्ध में सारी सूचना व सामग्री इकट्ठा करने के लिये हमारे पास केवल ४ दिन ही रहे। उसके पूर्व हमें इस विधेयक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। हमारे स्वप्न तक में यह नहीं था कि कभी इस प्रकार का विधेयक हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि यह विधेयक गजट में प्रकाशित न होकर सीधे-सीधे हाउस में आ गया। इस सम्बन्ध में मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। मैं चाहता था कि उद्योग मंत्री जी द्वारा मैं इसका विशेष विश्लेषण सुनता, लेकिन वह न सुन कर जो कुछ भी सुना उससे मेरा भ्रम बना ही रहा।

मैं समझता हूं कि खादी और ग्राम उद्योग के समर्थक सभी पक्ष के लोग होंगे--चाहे इधर के हों या उधर के। किन्तु बात यह देखनी है कि इसके लिए संरक्षण या इसके संचालन के लिए एक सरकारी बोर्ड बनना कहां तक आवश्यक है, यानी इसका हम सरकारीकरण क्यों करें, इसकी आवश्यकता हमें जानना है। मैं अपनी भी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि मेरे प्रमुख जीवन का सम्बन्ध खादी की उत्पत्ति के कार्य से रहा है और जिस स्थान से मैं आ रहा हूं--नरवल स्थान से--वहां एक बड़ा खादी उत्पत्ति केन्द्र १९३१ में अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्थापित किया था। उसको कार्य करते हुए ३० साल हो गये और उसी में उपमंत्री होने के नाते मेरा सम्बन्ध भी खादी से रहा, तो इसकी उत्पत्ति और अन्य ग्रामीण उद्योगों की वृद्धि के पक्ष में मैं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आज इसके सरकारीकरण करने के क्या कारण हैं?

यह खादी का कार्य आज हमारे इस प्रदेश में बहुत सी संस्थाएं बड़ी सफलतापूर्वक कई साल से कर रही हैं। शिवपुरी, स्वाराज्य आश्रम, जिनको हम सारे भारतवर्ष में विख्यात किये हैं, उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसमें खादी के अलावा बहुत से गृह उद्योग भी शामिल कर दिये गये हैं जिनकी वृद्धि और संचालन बोर्ड के द्वारा होने की बात कही गयी है। इन गृह उद्योगों में, जो हमारे सामने सूची है, उसमें मधु-मक्खीपालन, कुटीर दियासलाई-उद्योग, मिट्टी की वस्तुओं का कुटीर उद्योग, कुटीर साबुन उद्योग, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

साथ ही साथ गन्ने का गुड़ और खांडसारी शक्कर बनाना भी इसमें शामिल है। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह उद्योग जो इस बोर्ड में शामिल किये जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे उद्योग भी इसके संरक्षण में शामिल कर लिये हैं जो नितान्त इस बोर्ड के अन्तर्गत आ भी नहीं पायेंगे। क्योंकि गन्ना और खांडसारी का उद्योग इस प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। इसी तरह से और भी उद्योग हैं जो इसमें शामिल किये जा रहे हैं।

इस बोर्ड के संगठन, उसके कार्य, योजनाएं और उसके सम्बन्ध में वित्तीय लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन इत्यादि जितने भी खंड रखे गये हैं उन सब के बारे में अगर सिंहावलोकन रूप में कुछ कह सकूं तो आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह बोर्ड एक प्रकार से सरकारी बोर्ड होकर रहेगा। बोर्ड के संगठन की जैसी इसमें व्याख्या की गयी है अगर उसको देखा जाय तो कुछ गैर-सरकारी सदस्य रखने की व्यवस्था है, लेकिन इस बोर्ड में जब कि १५ से अधिक सदस्य न होंगे---१२, १३ होंगे---तो उसमें ५ सरकारी होंगे। इस प्रकार आधे गैर-सरकारी होंगे, इससे वह बोर्ड नितान्त एक सरकारी बोर्ड होगा। और उसकी जो शक्तियां हैं वह भी करीब-करीब इसी तरह से हैं।

दफ्तर लखनऊ में होगा और एक प्रकार से खादी उत्पादन उद्योग या अन्य ग्रामीण उद्योगों को आज एक सरकारी बोर्ड के अधीन रखकर उन्हें नैशनलाइजेशन करने का अधिकार हमें इसमें दिखाई पड़ता है। इसमें आश्चर्य न होना चाहिये, क्योंकि सरकार नैशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन किस चीज को उसने उठाया है? खादी उत्पत्ति को उठाया है, इसमें मुझे हिचक पैदा हो रही है। गांधी जी द्वारा बताये हुए रचनात्मक उद्योगों में यह मुख्य खादी उत्पत्ति रही है और इसकी उत्पत्ति करने वाले विशेष तौर से देश के वह राजनीतिक कार्यकर्ता, या शान्ति कार्यकर्ता या देश की लगन से लगे हुए मूक कार्यकर्ता हो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लगन और शांति से इस कार्य को अपने त्याग और तपस्या से आगे बढ़ाया है।

इस कार्य को जब हम बिना सरकारी सहायता के आगे बढ़ते हुये जनता में लोकप्रियता प्राप्त करते हुये देखते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि यह काम तब बढ़ पाया है जबकि यह बिलकुल गैर सरकारी रूप से किया गया है और निःस्वार्थ सेवा से किया गया है और यदि अब इसमें सरकार की संरक्षता लाई जाय तो मैं नहीं समझ पाता कि इसमें वही लगन अब भी मौजूद रहेगी.....

श्री अधिष्ठाता---आपका अमेंडमेंट इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये है, इस लिये आप अपना भाषण इसी पर आधारित करें कि वहां इसे क्यों भेजना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा था कि प्रवर समिति में भेजने पर इन सभी बातों पर विचार करना सम्भव होगा। मैं इस बिल का नितान्त विरोधी नहीं हूं। मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया जा रहा है उसकी कई बातों का मैं समर्थक हूं। इसमें सरकार कुछ सहायता देना चाहती है, लेकिन बोर्ड के द्वारा ही यह सहायता हो सकेगी, इस पर मेरी आपत्ति है। अगर मेरे इस संशोधन के द्वारा यह बिल प्रवर समिति में गया तो वहां पर इन तमाम बातों का विश्लेषण हो सकेगा।

मैं यह कह रहा था कि खादी उत्पत्ति के कार्य में सरकार इसमें जो नये विचार लाई है, अर्थात् वह जो इसका सरकारीकरण करना चाहती है, उससे मुझे चिन्ता हो रही है। इसका सरकारीकरण ही करने के साथ ही साथ सरकार ने सारी शक्ति अपने हाथ में रखी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो स्वशासन सम्बन्धी संस्थायें हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड या जो और बहुत सी सरकारी संस्थायें स्कूल आदि हैं, उन सब में सरकार ने सारी शक्ति अपने हाथ में रखी है

उसी प्रकार इस खादी उत्पत्ति में और ग्रामोद्योग उत्पत्ति में भी सरकार यदि अपनी निरंकुश शक्ति रख लेगी तो शायद यह उद्योग भी फिर पनप न पावें या निःस्वार्थ सेवा न कर सकें जैसी कि अब तक करते रहे हैं। यह मेरी विशेष आपत्ति है।

आप यह भी देखें कि इस बोर्ड आदि की स्थापना के क्या कारण बताये गये हैं। उद्देश्य और कारणों में बताया गया है: "ग्राम उद्योगों ने देश की अर्थ व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है, जिसका कारण केवल यही नहीं है कि उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है, बल्कि यह भी है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।" तो केवल यह कह देने से ही यह भावना पैदा नहीं होती कि इस पर सरकार अपनी निरंकुश शक्ति लगा दे और वह सरकारी हो जाय।

इसके आगे इसमें यह लिखा है: "कम काम वाले गरीब किसान और भूमिहीन श्रमिक के लिये अनुपूरक आय के साधन के रूप में इन उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।" यह एक भूमिका है जो कि सही भी है लेकिन इसके साथ यह जो कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में स्टैट्यूटरी बोर्ड कायम किया है, वह एक ऐसा कार्य है जिसकी हम नकल कर सकते हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने जो स्टैट्यूटरी बोर्ड कायम किया वह किस आशय और किस पृष्ठभूमि में किया, यह भी देखने योग्य है।

किसी समय देश में इस बात की आवश्यकता समझी गई कि उन्नतिशील साधनों द्वारा खादी उत्पत्ति की जाय, चरखे वैज्ञानिक और उन्नतिशील बनाये जायं जिससे उत्पादन सरल, सस्ता और सुलभ हो सके, यह मंशा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिल में थी। तो सबसे प्रथम खादी उत्पत्ति के संबंध में यांत्रिक ढंग से सही और सुलभ रीति से उसका उत्पादन किया जा सके, इसका आविष्कार करने के लिये लोगों को सहायता देने के आधार पर कुछ पुरस्कार भी घोषित किये गये थे। और किर्लोस्कर ब्रदर्स ने एक लाख रुपया पुरस्कार प्राप्त करके एक चरखे का आविष्कार किया था। अब तो अंबर चर्खे के नाम से भी एक चर्खे का अविष्कार हो चुका है। यह भी खादी के उत्पादन में सहायक हो रहा है। इस अंबर चर्खे के द्वारा जो खादी का अधिक उत्पादन होगा उसका मूल कारण क्या है? देश की मांग के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने १० करोड़ में से कुछ रुपया देना आरंभ किया सहायता के रूप में और केन्द्रीय सरकार की ओर से इसके लिये एक बोर्ड का निर्माण किया गया।

श्री अधिष्ठाता—आप काफी विषयान्तर कर रहे हैं। आप अपने भाषण को अमेंडमेंट तक ही सीमित रखें। आप यह बतायें कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक क्यों है। आप जो सुझाव देना चाहते हैं उनको हाउस में ही अमेंडमेंट के जरिये क्यों नहीं दे सकते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—जब तक मैं सब बातों को साफ न कर दूं तब तक उन ग्राउन्ड्स को कैसे बता सकता हूं कि उसको क्यों सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। केवल मैं यही कह दूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो एक सैकिंड में ही सब खत्म हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप पहले यह बताइये कि सदन में अमेंडमेंट के द्वारा आप इन बातों को क्यों नहीं रख सकते हैं कि उसके लिये प्रवर समिति की आवश्यकता है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन चेअर में भी कुछ पेशेंस हो तभी तो मैं बता सकता हूं। तो मैं आपकी आज्ञा से कह रहा था कि वह बोर्ड जिसके आधार पर यह विधेयक लाया गया है और जिसमें रूपान्तर लाने के लिये मैं चाहता हूं कि वह प्रवर समिति में जांच के लिये जाय, उसके लिये यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसा बोर्ड बनाया है और अन्य सरकारों ने भी ऐसे बोर्ड बनाये हैं, और उनका पदानुगामी होकर यह सरकार भी ऐसा बोर्ड बनाने जा रही है लेकिन केन्द्रीय सरकार के बोर्ड बनाने के कारण और थे, लेकिन हमारी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सरकार के द्वारा जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसके कारण स्पष्ट नहीं हैं, जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इन सभी बातों का स्पष्टीकरण तभी होगा जब हम इसको प्रवर समिति में भेजेंगे।

मैं यह कह रहा था कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो स्टेट्युटरी बाडी है खादी कमीशन के नाम से, वह खादी में सहयोग दे रही है, यद्यपि उसके संबंध में कोई विधान हमें नहीं बताया गया है और शायद उस वक्त तक बताया भी न जायगा जब तक यह विधेयक यहां से पास न हो जाय। इससे यह मालूम होता है कि सरकार का यह कदम उसके अनुरूप नहीं है।

खादी में सहयोग देना चाहिये, मैं इसको मानता हूं। इसलिये सरकार कोई सही कदम उठाये। लेकिन जब इस सरकार के कदम को हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इससे खादी के उत्पादन में कोई सहायता नमिलेगी, लेकिन येन-केन प्रकारेण जो मूक कार्यकर्त्ता हैं, उनके लिये एक बहाना मिल जायगा, और वे केवल मात्र सरकारी कर्मचारी होकर रह जायेंगे। इसमें दफा ३ में लिखा हुआ है "बोर्ड के सभी सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे।" इन कर्मचारियों में वे भी आ सकते हैं जिनके द्वारा इस बोर्ड का संचालन हो। लेकिन बोर्ड में कर्मचारी कौन-कौन होंगे इसमें इसकी कोई परिभाषा दी हुई नहीं है। अतः एक एक खादी के इंस्ट्रक्टर या खादी की उत्पत्ति करने वाले जो कार्यकर्त्ता हैं वे सब सरकारी कर्मचारी के रूप में माने जा सकेंगे और उनको १८०६ आई०पी०सी० के मुताबिक सारी संरक्षता देनी होगी। इस तरह से ये सारे छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता भी पब्लिक सर्वेन्ट्स हो जायेंगे और यह कहना अनुचित न होगा कि जब ये सरकारी नौकर के रूप में हो जायेंगे तो उनके अन्दर जो एक स्वसेवा व स्वचिन्ता से काम करने की भावना थी वह समाप्त हो जायगी। मुझे आशंका है कि उनके अन्दर वह चीज जो कि पहले थी वह रह नहीं जायगी जिससे वे पूरी लगन से खादी के काम को करें।

मैं आपका ध्यान इस विधेयक के उस अंश की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके आधार पर यह सम्पूर्ण विधेयक बना है। सर्वप्रथम इसके अन्दर यह बात आती है कि यह सारा संचालन एक बोर्ड के द्वारा हो। गृह उद्योगों को संचालन के लिये सरकार की ओर से पहले एक डाइरेक्टोरेट तो था ही, कुछ लोन्स ऐंड ग्रांट्स कमेटी तो थी ही, इसके अलावा कुछ कारपोरेशंस भी थे जो इन उद्योगों की वृद्धि के लिये सहायक थे। हां, एक डेवलपमेंट कमेटी भी थी जो अभी हाल ही में तोड़ दी गयी, मुझे मालूम नहीं है कि उसके स्थान पर अभी कोई बोर्ड बना है या नहीं बना है।

ग्रामीण उद्योगों के लिये जो बोर्ड बनाया जायगा उसके दो भाग होंगे। उसमें एक हिस्सा तो खादी उत्पत्ति के ऊपर ध्यान देगा और दूसरा ग्रामीण-उद्योगों के ऊपर। इन बोर्डों के निर्माण में सरकारीकरण होगा या इसमें गैर सरकारी सदस्य होंगे, मालूम नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि जिनको ऐसे मामलों का अनुभव होगा, वही रखे जायेंगे। सरकार ही उनको नामजद करेगी। मैं समझता हूं कि यह नामजदगी का तरीका गलत है। उसमें अच्छे से अच्छे जो उद्योगों के अनुभवी होंगे उनको तो रखा नहीं जायगा और जो सरकार के प्रिय पात्र होंगे, चाहे वे अयोग्य भी हों, उनको उस बोर्ड में रखा जायगा।

श्रीमन्, मैं विरोधीपक्ष का हूं और जीवनपर्यन्त खादी का प्रयोग करता रहा हूं, लेकिन मुझे उसके लिये अयोग्य माना जायगा। क्योंकि इस बात को विरोधी पक्ष के लोग जानते हैं कि खादी की सेवा करने के नाम पर मैं ठीक पात्र नहीं समझा जाऊंगा क्योंकि मैं अनुभवी नहीं हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह नामजदगी का तरीका गलत है। यह कहा गया है कि ६ से कम न होंगे और ९ से अधिक न होंगे, लेकिन यह कह भी नहीं सकते कि इस बोर्ड के द्वारा जो एक सर्वे-सर्वा संस्था बनेगी उसके लिये कोई निर्वाचन की प्रथा भी होगी, यह इसमें कहीं भी नहीं बताया गया है, जिससे वह एक डेमोक्रैटिक संस्था हो जाय। इसके लिये मैं चाहता हूं कि

यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जहां पर इस हर प्रकार से विचार हो सकें। अगर यह प्रवर समिति में जायगा तो जो सारे लेक्युनाज मैंने बताये हैं वे दूर हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त खादी के विकास में जो अनुरक्षण की बात रह गयी है, उसकी भी पूर्ति हो जायगी।

खादी के विकास के लिये सभी लोग उत्सुक हैं, लेकिन जो लाखों और करोड़ों रुपये की खादी की उत्पत्ति हो रही है, और इसके लिये जो सैकड़ों संस्थायें हैं . . . .

एक सदस्य—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई)

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप मुझे आज्ञा दें, श्रीमन्, तो मैं कहूं कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि यह बिल श्री बहुगुणा जी द्वारा उपस्थित किया गया है जिनकी योग्यता खादी के बारे में ०/५० होगी मुश्किल से और हमारे माननीय विचित्र नारायण जी जो खादी से आदि से ही सम्बन्धित रहे हैं वह इस सम्बन्ध में न जाने क्यों इतने शांत और तटस्थ हैं कि वह अनुपस्थित रहते हैं जबकि यह विषय यहां चल रहा है।

मैं यह कह रहा था कि बोर्ड के कृत्यों में खादी अथवा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये स्थापित, संस्थाओं का अनुरक्षण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता देना, खादी का उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों का विकास आरम्भ करना, उसमें सहायता देना अथवा उसे प्रोत्साहित करना, यही बोर्ड के विशेष काम बताये गये हैं लेकिन इन संस्थाओं को अनुरक्षण कैसे देंगे जब तक कि आप उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं करेंगे? आप सहायता देने के इच्छुक भले ही हों लेकिन इसमें उनके जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क की बात कहीं भी नहीं रखी गई है। संस्थायें सैकड़ों होंगी और बहुत व्यवस्थित रूप से काम भी कर रही हैं, जिनकी टाप से बाटम तक, ऊपर से नीचे तक हर चीज व्यवस्थित है, जिनकी नियमावली भी ठीक है, व्यवस्थित रूप से उनका संचालन भी हो रहा है, अगर उनका प्रतिनिधित्व भी प्राप्त कर लिया जाय तो बेजा न होगा।

जब हम लोकल बाडीज के प्रतिनिधि यहां विधान परिषदों में लेते हैं तो हमारे लिये यह भी मान्य होना चाहिये कि इन संगठित और अव्यवस्थित संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य बोर्ड में लिये जायं। मुझे दुख है कि यह चीज सरकार की निगाह में इसलिये नहीं आती कि सरकार केवल अपने कलम में तो विश्वास रखती है और दूसरों पर वह विश्वास नहीं करती। उसी के नामजद आदमी, उसी के बोर्ड, उसी का संचालन ऐसा वह चाहते हैं ताकि उसमें सार्वजनिकता की कोई बात न हो, वह जो चाहें किया करें। जो उनके विचारों से भिन्नता न रखते हों जो हर काम में योग दें सकें उन्हीं को वह रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनके विचार से भिन्न विचार रखते हैं उनको दूर रखने की कोशिश की जाती है।

इसमें आप देखें कि लिखा है कि "बोर्ड के सभापति और उस के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी अवधि या अवधियों के लिये होगी जो नियत की जायं। इसका अर्थ यह है कि हर एक की अवधि सरकार की इच्छानुसार बढ़ाई या कम की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये, मेडिकल बोर्ड आदि हमारे जितने भी बोर्ड हैं उन सबमें टर्म्स होती हैं कि इतने समय तक एक आदमी रहेगा। इसी प्रकार आवश्यकता है कि सरकार समय देकर देखे कि एक पदावधि इतने दिन तक रहेगी। इस संशोधन की जरूरत है, इसके लिये भी इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है।

ऐसी अनर्हता जो बताई गई हैं उनमें से कौन-कौन सी हटाई जा सकती हैं, उसमें एक बात यह जो बताई गई है कि जिसने राज्य सरकार की राय में बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्य न किया हो या जो इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो गया हो या जिसने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका इस प्रकार बना रहना बोर्ड तथा जनसाधारण के हितों के लिये हानिकर हो गया हो। देखा यह गया है कि बहुत से लोग जहां कुछ धन की बात

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आती है वहां अपने स्वार्थ को लेकर धन का अनर्गल रूप से प्रयोग करते हैं, उनको हटाने की व्यवस्था है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह भी व्यवस्था होती कि जो खादी संस्थाओं में कम से कम ५ साल काम करने का अनुभव न रखते हों उन्हें इसका पात्र ही न माना जाय।

इस बोर्ड के जो कृत्य हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन हमारी अनुसूची में जो व्यापक स्थिति बतलाई गई है उससे समझ में आता है कि गृह उद्योग और ग्रामोद्योग में बड़ी स्पर्धा होती जाएगी। जो सूची है उसमें अनाज एवं दाल की कुटाई, छंटाई और सफाई आदि भी है। मैं चाहता था कि हाथ के पिसे आटे की भी बात बढ़ाई जाती। लेकिन जैसे हमारे कानपुर के दाल के व्यापारियों की संस्थाएं हैं उनको इससे आशंका होगी कि वह बोर्ड के अंकुश में आ जाएंगे।

इस विधेयक में जहां सरकार ने वित्त संबंधी सारा अधिकार अपने हाथ में रखा है, वहां मुझे यह शंका होती है कि---बोर्ड को अनुदान, आर्थिक सहायता आदि प्राप्त हो सकेगी, इसका अर्थ यह हुआ कि---बोर्ड किसी भी समय अपने आय-व्ययक में हानि देखते ही सरकार के पास सहायता के लिये दौड़ सकता है। मुझे यह थोड़ा-सा अनुभव है कि इस समय खादी मंहगी पड़ रही है और इसके मंहगे होने का कारण यह भी है कि उत्पादन व्यय ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले अल्प वेतन में काम करते थे आज वह कई गुना बढ़ गया है। खादी का उत्पादन या प्रयोग इस सिद्धान्त पर आधारित है कि इसका उत्पादन सस्ता हो.....

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोरम फिर पूरा नहीं है।

(कोरम की घंटी बजाई गई)

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक व्यवस्था यह थी कि तीन दफा कोरम न होने पर हाउस उठ जाएगा।

श्री अधिष्ठाता---एक-दो बजे के बीच में तो यह प्रणाली रही है....

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अभी तो एक नहीं बजा।

श्री अधिष्ठाता---इसीलिये घंटी बज रही है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं कह रहा था कि खादी अब उतनी सस्ती नहीं रह गई जितनी की होनी चाहिये थी। खादी के जन्मदाता महात्मा गांधी ने सस्ती खादी होने की ही बात कही थी और खादी बनाने वालों को धन देने वाली तथा उनकी बेरोजगारी को दूर करने वाली वस्तु माना था। लेकिन अब वह खादी केवल उन्हीं के प्रयोग के वास्ते रह गई जो पैसे वाले हैं, निर्धन बनी हुई खादी को नहीं खरीद सकता। बनाने वाला अगर स्वयं प्रयोग करेगा तो उनको उत्पादन का लाभ ही क्या मिलेगा? खण्ड २७ में दिया हुआ है कि सरकार से खादी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, दान, उपहार आदि मिलने की संभावना है तो कहा जा सकता है कि जो खादी संस्थायें कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो रही थीं उनको आशा हो गई कि सरकार से पैसा मिलेगा और अब वे मनमाने ढंग से अनुदान ले सकें।

सरकार ने बहुत से बोर्ड बनाये, जैसे बिजली बोर्ड जिसको बिजली का सारा काम दे दिया गया। उसमें अभी भी शंका की जाती है कि उस बोर्ड के द्वारा ऐसी बहुत सी बातें की जायंगी जिन पर सरकार का अंकुश नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि खादी संस्थाओं के ऊपर अब उस प्रकार का अंकुश नहीं रह पायेगा जब वे सरकारी हो जायेंगी जैसी वे स्वतः पहले थीं।

दफा २८ में कहा गया कि समय-समय पर ऐसी शर्तों के मुताबिक सहायता, अनुदान आदि करेगी सरकार। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना अनुदान दिया जा सकेगा? मूलधन उनके पास कितना ही हो, उससे भी चौगुना तक दिया जा सकता है —

श्री अधिष्ठाता—यह तो डिटेल की बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने उदाहरण दिया। इसमें ऐसी-ऐसी बातें हैं जिन पर ठंडे दिल से विचार होना चाहिये।

श्री हरदयालसिंह—श्रीमन्, अब भी कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—अब तो एक बज गया, इसलिये कोरम का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार अपने हाथ में सारी ताकत लेकर निरंकुश शासन करने की कोशिश करती है। यह बोर्ड खादी का जो उत्पादन होगा उसका सारा संचालन करेगा। बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जायगी, संरक्षण दिया जायगा, आदि आदि। इस बोर्ड में सरकार द्वारा नामजद ही आदमी रहेंगे। लेकिन सरकार ने एक और हथियार अपने हाथ में ले रखा है जो हमेशा वह स्वायत्त शासन संस्थाओं में लेती रही है। वह अधिकार यह होता है कि जब कोई तरीका हस्तक्षेप करने का सरकार के पास नहीं होता तो फिर विघटन करने का अधिकार उसके पास होता है। यहां भी हमको देखने को मिल रहा है कि सरकार विघटित करने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह बोर्ड से विघटित करने का स्पष्टीकरण भी मांगेगी या नहीं। विघटन करने के कारण हुआ करते हैं लेकिन सरकार ने इसके लिये कहीं भी कोई गुंजायश नहीं रखी है कि पहले वह स्पष्टीकरण मांगेगी और समुचित कारण न मिलने पर ही वह बोर्ड को विघटित कर सकेगी। इसमें यह नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार की वृत्ति निरंकुश काम करने की है। प्रजातांत्रिक पद्धति से काम करने की वृत्ति तो उसकी कभी दिखाई ही नहीं देती।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि बहुत सी खादी संस्थायें अब भी अपना काम दिवालियेपन से कर रही हैं। तेज खादी उत्पन्न करती हैं और तेजी ही बेचती हैं। असंतुलित आय-व्यय होने के कारण ऐसा होता है और अगर सरकार उसे सुधारना चाहती है तो जिसका आय-व्यय ज्यादा असंतुलित हो उसे विघटित करके अपने हाथ में ले ले ताकि वह संस्था अपने आय-व्यय को संतुलित कर सके।

जहां तक अन्य उद्योगों की बात है उसका मैं इसी रूप में समर्थक हूं कि यदि अन्य उद्योग उतने ही उद्योग माने जायं जितने खादी के साथ अभी लग रहे हैं। यदि इन उद्योगों में वृद्धि करने की बात सरकार की निगाह में है तो यह मेरे लिये चिन्ता की बात है और इस सरकारी अंकुश के अन्दर बहुत से ऐसे उद्योग आ सकते हैं जो खादी समिति में न रहे हों। इसलिये सरकार अनुसूची में यह परिभषा दे कि इस प्रकार के उद्योगों के अलावा दूसरे उद्योगों को नहीं लिया जा सकेगा। जैसे परिभाषा में एक शब्द आया है कि ऐसे उद्योग जो पावर से चलेंगे उनको नहीं लिया जायगा, चर्खे की उत्पत्ति को छोड़कर। लेकिन गृह उद्योगों में कई प्रकार के उद्योग हैं। कुछ उद्योग सामूहिक रूप से चलते हैं। कुछ कुटीर उद्योग अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से चलते हैं। तो इनमें अन्तर होना चाहिये और इसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिये।

जो विधेयक है इस पर माननीय सदस्यों को सोचने का अवसर नहीं मिला। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक यही है कि चाहते हुए भी माननीय सदस्य संशोधन नहीं दे पाये और मैंने थोड़े से संशोधन भेजे हैं, लेकिन वह मंत्री जी की इच्छा पर हैं। वे नियम के अन्तर्गत कह सकते हैं कि ३६ घंटे के पहले आने चाहिये थे, इसलिये वे उनको मंजूर नहीं करते।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उनको इसे जल्दी से पास करना है, इसलिये वे ऐसा कर सकते हैं। विधेयक से संबंधित कागजात न देकर, सोचने के लिये मौका न देकर और खुद भी उसका स्पष्टीकरण न देकर वे इसे जल्दी में पास कराना चाहते हैं।

विज्ञापन की बात नियमावली में दी हुई है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, खाली यह हवाला लिख दिया गया है कि यह अधिकार ३५ और ३६ में हमने ले रखे हैं। बस, सभी विधेयकों में ज्ञापन सामने आया है, लेकिन इसमें उसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गयी। तो मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति को भेजने का यही एक प्रस्ताव है, इसको सदन पास करे। यह दूसरी बात है कि उसमें एक मास की जगह एक हफ्ता का समय उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिये दिया जाय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा, या उससे भी कम कर दिया जाय, लेकिन जल्दबाजी में इसे पास न किया जाय। कम से कम मैं अपने उद्योग उपमंत्री जी से यह अपील करूंगा कि अगर वह सचमुच ही इसको अच्छे ढंग से विचार करने के बाद पास कराना चाहते हैं तो जो संशोधन मैंने भेजे हैं उनको उपस्थित करने की स्वीकृति दें, अवधि का प्रतिबन्ध उसमें न लगावें। उससे विवाद उन अंशों पर भी हो सकेगा जो अनुपयुक्त हैं और गैर जरूरी हैं। इतना कहने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि हाउस इसको प्रवर समिति को वापस भेजे ताकि अच्छी तरह से इस पर वहां विचार विनिमय हो सके और उसके बाद यह पारित किया जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर अपना मत रखने का अवसर आपने मुझे दिया। मैं आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस निश्चित मत का हूं कि ऐसे विधेयक को सदन में लाने की नितान्त आवश्यकता थी, क्योंकि आज हमारे देश और प्रदेश में जो विकास का वातावरण चल रहा है उसमें जहां सारे कार्य हो रहे हैं वहां यह भी नितान्त आवश्यक है कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज को सहारा देने के लिये सरकारें विभिन्न कदम उठायें। तो आज, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो रही है और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी हमारे देश और प्रदेश में चल रही है।

आज जब कि हमारी बढ़ती हुई आबादी का प्रश्न है, यहां की गरीब जनता का प्रश्न है जिसके पास रोजी, रोटी का कोई साधन नहीं है और जब कि अधिकतर लोग भूमिहीन हैं या ऐसे हैं कि जिनके पास मेहनत तो बहुत है, लेकिन उसका वे इस्तेमाल कहां करें, उसक लिय कोई साधन नहीं है, तो ऐसी दशा में यह विधेयक निश्चय ही एक प्रयास है कि खादी और ग्रामोद्योग इसके द्वारा संचालित हों और लोगों को उस दिशा में सुधार करने के लिये एक सहारा मिल सके। मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक बहुत ही पवित्र और ऊंची भावना से सदन के सामने प्रस्तुत है। जहां तक मैं समझा हूं, यद्यपि इस संबंध में जो सरकारी नीति है वह एक विधेयक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, लेकिन इसी नीति के आधार पर हमारे प्रदेश में एक खादी बोर्ड पहले से बना हुआ था और वह सरकार के एक जी० ओ० के अनुसार संचालित होता था।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाकर सरकार ने जनतंत्र प्रणाली को प्रश्रय ही दिया है, क्योंकि केवल राजाज्ञा से ही यह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बना रहा और इसके गठन तथा संचालन का सारा काम उठाया जाता रहा है तो यह नया कदम स्वागत करने की बात है।

हमारे माननीय अवस्थी जी ने प्रस्ताव रखा है कि इस पर यहां विचार न होकर इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय और जब वहां से संशोधित होकर यह विधेयक आये तो सदन उस पर विचार करे, उस प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने कुछ भी तर्क दिये हों लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधेयक की जो धारायें हैं वह बहुत ही स्पष्ट हैं और उनमें

कोई ऐसी बात छिपी हुई मालूम नहीं होती है जिसके लिये ऐसा महसूस हो कि वह प्रवर समिति में जाय और उसमें आमूल परिवर्तन की बात आये। उन्होंने एक ऐसी मौलिक बात उठाई है कि इस बोर्ड के अन्तर्गत जो संस्थायें काम करेंगी उनके कर्मचारी जो हैं वह पब्लिक सर्वेन्ट माने जायंगे। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की और मैं अपने साथी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अगर इसको पढ़ेंगे तो इसी नतीजे पर आयेंगे कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों को पब्लिक सर्वेंट माने जाने का कहीं भी प्राविजन नहीं है। केवल बोर्ड के कर्मचारी व सदस्यों को पब्लिक सर्वेन्ट मानने का प्रस्ताव है, इसलिये मैं समझता हूं कि उनका यह तर्क गलत है।

इसके साथ ही साथ एक बात माननीय अवस्थी जी ने यह कही कि जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसका गठन इसके द्वारा न होकर निर्वाचन के द्वारा होना चाहिये था और सारी संस्थायें जो खादी तथा ग्रामोद्योग की चल रही हैं उनके द्वारा इसका निर्वाचन होना चाहिये था। लेकिन इस विधेयक की मंशा यह है कि इस बोर्ड में अच्छे से अच्छे आदमी तथा योग्य से योग्य आदमी आ सकें जिनको खादी तथा ग्रामोद्योगों के बारे में काफी अनुभव हो। जो लोग इसके संबंध में नई-नई स्कीमें और आयोजना रख सकें उनके आने की इस बोर्ड में नितान्त आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि इन सारी संस्थाओं को इलेक्शनबाजी में डाल देना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जहां पर निर्वाचन का तरीका हो जाता है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि योग्य आदमी पीछे चले जाते हैं और कम योग्यता के आदमी भी आगे आ सकते हैं या पार्टीबन्दी के आधार पर लोग आ सकते हैं। तो जब पार्टीबन्दी के आधार पर लोग आयेंगे तो बोर्ड के संचालन में आपस में टसल पैदा हो सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहां पर उसको बचाया गया है। एक खण्ड में यह स्पष्ट कर दिया है कि काफी अनुभवी और योग्य आदमियों को जो कि उसके सुसंचालन की क्षमता रखते हों, उनको उस बोर्ड में रखा जायगा। यह काफी संतोष की बात है। जो सदस्य होंगे वह उस समाज से आयेंगे जो उन संस्थाओं का संचालन करता होगा और उसका उसके संचालन में योग होगा। बाहर से आने का सवाल नहीं। तो कोई खतरा नहीं है।

मैं माफी चाहूंगा अवस्थी जी से। जब वह कह रहे थे, तो मुझको थोड़ा दुख इस बात पर जरूर हुआ जब उन्होंने अपने तर्कों में असंगत सी बात कही। मैं उसका जवाब न देता मगर चूंकि मुझे उससे तकलीफ हुई इसलिये कहना चाहता हूं ताकि इस सदन में उसकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब जो बिल पेश कर रहे हैं, उनको इस मामले में तनिक भी जानकारी नहीं है। माननीय अवस्थी जी ने अपने हिसाब से बात कही, लेकिन यह जस्टीफाइड बात नहीं है। कोई भी विद्वान समाज इसको जस्टीफाई नहीं कर सकता। मैं अवस्थी जी से ही पूछूं कि अवस्थी जी कितने विषयों के ज्ञाता हैं जब कि वह असेम्बली पर खड़े होकर हर विषय पर अपना कमांड जाहिर करते हुए ऐसे बोलते हैं जैसे कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा है जिसकी डाक्टरेट की डिग्री उन्होंने न ली हो? मैं जानना चाहता हूं कि उनकी जानकारी इस संबंध में कितनी है? उन्होंने बहुगुणा जी पर आक्षेप कर दिया। मैं समझता हूं कि हर आदमी को अपने से देखना चाहिए। इतना ही कहना मैं इस बात के लिये काफी समझता हूं।

कहा गया कि सरकार अपनी सत्ता को इस कानून में लादना चाहती है। शायद उन साथियों का यह मतलब है कि इस बिल में सरकार ने सारी सत्ता अपने हाथ में हथियाने की कोशिश की है। मैंने इस बिल को बड़े गौर से पढ़ा। इस बिल में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। काफी डेमोक्रैटिक विचारधारा को लेकर यह बिल आधारित है। यद्यपि इस बोर्ड के सदस्यों का चयन सरकार द्वारा होगा, उसका काफी संचालन भी सरकार द्वारा होगा, लेकिन इसलिये मैं इसको डेमोक्रैटिक कहता हूं कि इसका जो सालाना हिसाब-किताब

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

है हर वर्ष का, इसकी आडिट रिपोर्टें होंगी और इस विधेयक में यह प्राविजन किया गया है कि यह सब सारी बातें विधान मंडल के सामने प्रति वर्ष रखी जायंगी। इसके मानी यह हुए कि सरकार को मनमाने तौर पर सत्ता का दुरुपयोग करने में कोई गुंजायश इस विधेयक के अन्दर नहीं है।

बोर्ड जो भी कार्य करेगा उसकी प्रतिलिपि सरकार को हर साल पेश करेगा। जो भी वह खर्चा करेगा उसका लेखा जोखा सरकार के सामने पेश करेगा। और इसका जो आडिट होगा, इसका जो खर्चा होगा उसका नियंत्रण एक तरफ से यहां पर बैठा हुआ हमारा यह सदन करेगा। हर साल जब इसका खर्चा और इसके आंकड़े हमारे सदन के सामने पेश होंगे तो इसके माने यह हुए कि इस विधेयक में काफी डेमोक्रेटिक पहलू है। इस बोर्ड का नियंत्रण अगर यह कहा जाय कि सीधे इस विधान मंडल का होगा तो यह ठीक ही हमारी बात होगी। मैं समझता हूं कि यह काफी अच्छा और काफी ऊंचा उदाहरण है कि इस तरह का बोर्ड जिसको एक परपज पूरा करने के लिये लाया जा रहा हो उसका नियंत्रण और उसका संचालन और उसकी देखरेख विधान मंडल की निगाह के नीचे हो और यह बहुत ही उचित बात है। इसमें किसी तरह का डर या खतरा नहीं है कि सरकार निरंकुश होकर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिये इस बिल को यहां पर लाई है। ऐसा भ्रम यदि किसी माननीय सदस्य के दिल में है तो मैं समझता हूं उसका कोई आधार नहीं है। ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक में, अधिष्ठाता महोदय, ग्राम उद्योग की सूची दी हुई है। अभी तक अपने प्रदेश के गांव में जितने भी ग्रामोद्योग पाये गये हैं और चल रहे हैं और जिनकी महत्ता समझी गई है उनकी सूची इस विधेयक में दी गई है, लेकिन साथ ही साथ यह भी इस विधेयक में प्राबीजन है, जैसा कि अवस्थी जी ने मांग की है कि इस अनुसूची में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिये, कि अगर और ग्रामउद्योग बढ़ाये जाने की जरूरत समझी जाय तो उनको बढ़ाया जाय, तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी गुंजाइश है। एक धारा में यह प्राविजन है और यह कहा गया है कि अगर वह बोर्ड यह उचित समझता है कि किसी स्टेज पर नये ग्राम उद्योग को प्रदेश में कहीं पर पनपाने की बात है और लगाये जा सकते हैं तो वह उससे बंधा हुआ नहीं है, वह बोर्ड उस ग्राम उद्योग के बारे में स्कीम बनायेगा। स्कीम बनने के बाद जिस ग्रामउद्योग को वह जोड़ना चाहता है, उसके सजेशन या इत्तिला सरकार को देगा। गजट में सूचना देकर वह अनुसूची में दिखाये या बढ़ाये जा सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। सरकार का मन्शा यह है कि अगर हमारे यहां १२ किस्म के ग्राम उद्योग अनुसूची में हैं, और हर एक आदमी का यह मकसद है कि इन १२ के बजाय जितने और एक्सपर्ट या नागरिक और उद्योग बतलावें जो यहां पर लगाये जा सकते हैं तो उनको इसमें जोड़ा जा सकता है। यदि ऐसे कई सौ भी हो जायं तो यह हमारे प्रदेश के लिये भाग्य की बात होगी और इससे हमारी खुशहाली मजबूत होगी।

इसके साथ-साथ और एक बात जो अवस्थी जी ने बड़े जोर देकर और बल देकर कही है वह यह है कि इस विधेयक का अध्ययन करने के लिये माननीय सदस्यों को केवल चार दिन का समय मिला है जो कि बहुत कम समय है और सरकार इस बिल को जल्दी जल्दी में पास कर लेना चाहती है। मैं समझता हूं पहले दिन भी अवस्थी जी ने यही एतराज किया था कि जब यह यहां पर पेश हुआ था लेकिन ४ दिन का समय बहुत काफी समय होता है। ४ दिन से यह बिल हमारी टेबिल पर रखा हुआ है। इसको हमने काफी पढ़ा है और काफी सदस्यों ने इसको पढ़ा होगा और पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जो माननीय सदस्य यहां पर अपना विचार रखना चाहते हों वे न पढ़ें। इतनी इसमें धारायें भी नहीं हैं कि जिसकी वजह से यह न कहा जा सके कि यह इतना बड़ा बिल है, पढ़ा नहीं जा सका।

मैं समझता हूं यह थोड़ी सी धाराओं का बिल है। यह बहुत साफ है। हर माननीय सदस्य ने इस बिल के संबंध में जरूर स्टडी कर ली होगी और कर ली है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से यह बिल हमारे सामने पेश किया गया है, एक सीधा-सादा बिल है। इस रूप में अगर सरकार इसको लाई है तो सरकार का मन्शा यही है कि इस तरह का काम, इस तरह का कानून, जो कि ग्राम जनता की भलाई के लिये आया है, इसके लिये सरकार को पास करने में शीघ्रता करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि सदन का हर एक सदस्य इसके लिये उतावला होगा कि जल्दी से जल्दी इस तरह की चीज हमारे प्रदेश में लागू हो। मैं तो शिकायत करूंगा कि इसे और पहले पेश होना चाहिये था, लेकिन अभी भी जितनी जल्दी पास होकर इस बोर्ड का संगठन हो और तृतीय पंचवर्षीय योजना के साथ इन योजनाओं का भी संचालन हो सके उतना ही अच्छा है।

अवस्थी जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया। वे इसकी मंशा से, उद्देश्य से सहमत हैं। उन्होंने इसको रिएक्शनरी नहीं कहा और वे चाहते हैं कि यह जल्दी पास हो जाय, और अमल में आये, तो ऐसी हालत में इसे प्रवर समिति में भेजने की बात उन्हें कहना ज्यादा वाजिब नहीं है। आल इन्डिया बोर्ड बन गया है, सारे प्रदेशों में अपने यहां बोर्ड बना लिया है और अब यह हमारी असेम्बली के सामने बिल आया है। हम इसकी पवित्र भावना का स्वागत करते हैं और देखते हैं कि इसके द्वारा गरीबों और श्रमिकों की मदद होगी जिनको समाजवादी युग में मदद की आवश्यकता है। मैं इस बिल का हर प्रकार से स्वागत करता हूं और चूंकि और बहुत से सदस्यों को बोलना है इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देते हुये मैं अधिक समय नहीं लेता और इसका पुनः स्वागत करता हूं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—आज बड़ा अच्छा बिल आया है जो हमारे काम का है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस बिल को देखा और इसमें यह दिखाई दिया कि सरकार एक बोर्ड बनाने जा रही है और वे ऐसे लोगों का यह बोर्ड बनायेगी कि जिन्होंने कभी चरखा भी नहीं काता होगा और न खादी पहनी होगी। (व्यवधान) कितने डिप्टी कलेक्टर ऐसे होंगे कि जिन्होंने कपास बोई होगी और चरखा काता होगा ? वे ही यह बोर्ड बनायेंगे। जब वे खेत की मेड़ पर जायंगे तो पूछेंगे कि गेहूं का पेड़ कैसा होता है। इस बोर्ड को सरकार बनायेगी और अधिकार अपने हाथ में लेगी। गांधी जी के जमाने से चर्खा चला और सरकार ने इस रोजगार को सहायता दी और यह रोजगार अवाम पर छोड़ दिया गया।

अब सरकार इस उद्योग पर अपना कंट्रोल करने जा रही है और इसका नतीजा यह होगा कि वह यह कंट्रोल ऐसे लोगों को दे देगी जो उससे नौकरियां कमायेंगे और बैठ कर खायेंगे। हमारे गांव में एक भंडार बना हुआ है। वहां एक अफसर रहता है और उसके कुछ साथी रहते हैं। वहां १० अम्बर चर्खे चल रहे थे और जो लड़कियां वहां सूत कातने बैठी थीं उनसे बेहतर वह चर्खा नहीं चला सके। प्रभुदास गांधी जी गुलरियां गांव में २२ महीने रहे और चरखा चलाया, तमाम गांव में वे और उनकी स्त्री घूमे, तो वहां की स्त्रियां कहती थीं कि ५० रुपया महीना पाय रहे हैं, इसलिये घूम रहे हैं। हमारे घर आय कर गोबर करें, चूल्हा करें और तब चरखा कातें तो हम जानें। तो चर्खे टके से चल रहे हैं। आप ग्राम उद्योग को बिलकुल पट कर रहे हैं। जो आप के गांव में खादी का काम करने वाले लोग हैं उनके तरीकों से आप को चलाना चाहिये।

आप इसमें रख रहे हैं कि इतने आदमी इस बोर्ड में होंगे। १५ आपने रखे हैं। इसमें ६ सरकारी होंगे और बाकी आप नामजद करेंगे और नामजद वे होंगे जिनका ताल्लुक सरकार से होगा। तो ऐसा बोर्ड काम क्या करेगा ? इसका काम होगा—खादी तथा ग्रामोद्योग की आयोजना बनाना तथा उनका संगठन, विकास एवं विनियमन करना। यह तीन काम इसके होंगे। तो यह क्या करेंगे—आयोजना बनायेंगे। आयोजना कैसी ? अभी किसानों से कहा गया भाई, तुम लोग अमरीकन कपास बोओ। उनको बताया गया कि उसका रेशा ऐसा होगा, उसका तागा ऐसा होगा, उसका पत्ता ऐसा होगा, यह सब उनको बताया गया। जब उनसे

[श्री टीकाराम]

कहा गया कि भाई तुम १० नम्बर का या १५ नम्बर को सूत निकाल कर दिखाओ वे खुद न निकाल सके। तो ऐसे आफिसर्स आपके होंगे? यह क्या आयोजना बनायेंगे, मेरी समझ में तो नहीं आता?

जो कपास इन्सपेक्टर होंगे वे देखेंगे कि कपास का बीज बोया जाय, दूसरे देखेंगे कि उसका पेड़ कैसा होता है, तीसरे देखेंगे कि उसमें फल कैसे लगते हैं। तो यह देखने के लिये—कपास का फल, कपास का पेड़ और कपास का पत्ता—आप के तीन तरह के आप के आफिसर्स खड़े होंगे और किसान ज कर चरखा कातेगा। भाई, अगर आप जो रुपया उनको देते हैं अगर वही रुपया किसान को दें तो उससे कहीं अधिक फायदा हो सकता है। जो लोग इस काम को करते हैं और चर्खा कातते हैं उनसे अधिक फायदा होगा बमुकाबले उनसे जो इस काम को जानते ही नहीं। इस तरह से खानापुरी आप चाहे कितनी कर लें इससे भला होने वाला नहीं।

अब इसका कार्यालय कहां होगा? वह लखनऊ में होगा। जो चीज जहां पैदा होती है वहां तो होगी नहीं, जहां बहुगुणा जी रहते हैं वहां होगी। भइया, इस काम को तो उन भूमिहीन गांव वालों पर ही छोड़ो और उनके काम में कोई दखल न डालो। खादी की जो आपकी नीति है उसमें और अम्बर चर्खे में बड़ा अन्तर है। देशी चर्खे से सूत कात कर एक स्त्री तीन छटांक सूत कातती है।

आपका जो अम्बर चर्खा है उसपर तीन गुन्डी कातती हैं। अब उसको भी आप ३ आने रोज मजदूरी देते हैं और इसको भी ३ आने देते हैं। इस तरफ भी तो आप को ध्यान देना चाहिये। गरीबों की रोजी चर्खे से बहुत कम निकल रही है। जब रोजी इसमें कम निकल रही है तो उसमें कोई साधन आप ऐसे बढ़ायें जिसके जरिये से कातने वालों को ज्यादा फायदा हो सके। तभी हमारे चर्खे मुफीद साबित हो सकेंगे वरना नहीं होंगे। अगर आप मेरे गांव में चलें तो आपको चर्खे भी दिखाऊं और कताई भी दिखाऊं। मैं आप को दोनों चर्खे दिखाऊं क्योंकि खादी का आश्रम मेरे गांव में रहा है। हमारे यहां सूत लिया जाता है और सूत लेकर कपड़ा दिया जाता है। कपड़ा देने में बुनाई ४ आने की और ली जाती है।

६० जुलाहे हमारे यहां थे, वह अब हल जोतते हैं और खादी वाले बैठे बैठे रोजगार को पट कर रहे हैं। यह खादी की हालत है। क्योंकि खादी की कीमत में जो मेहनत और उजरत लगती है उतने दाम नहीं बैठते हैं इससे वह बेचारा परेशान हो जाता है और करघा चलाने में भी परेशानी होती है। इसलिये इसके साथ अम्बर चर्खे का प्रचार कीजिये। लेकिन अम्बर चर्खे पर मेहनत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि मशीन है, तो ऐसे साधन लगाइये जिससे वह ज्यादा आसान हो जाय। जैसे कि गांव के चर्खे में आसानी पड़ती है। इस तरीके से सम्भलवाइये और यह भी देखिये कि वहां और भी रोजगार हैं, जैसे सनई, मूंज है, उनको भी प्रोत्साहन दीजिये। मूंज का बुनने वाला उसे ऐंठ कर डालता है तो रुपया रोज भी प्राप्त नहीं कर सकता, न खादी वाला कर सकता है। तो ऐसे मजदूरों के साधन जुटाइये जिनकी वजह से आगे को तरक्की वह कर सकें और ऐसे लोगों के हाथों में काम दीजिये जिन्होंने वह काम किया हो। आप का हाल तो यह है कि जैसा हुमायूं की बादशाहत का था कि फौज में जो न लड़ सके उन्हें फौज में नौकरी और जो लड़ सकते हैं उन्हें अलग हटा दो। यही हाल आप के अफसरों का है, तभी तो सब चौपट हो रहा है।

आपके प्लान सब कागजी होते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। देश की नब्ज हिन्दुस्तानी बन कर देखो। जरा गांव में घुस कर देखो कि वहां की क्या असली हालत है?

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। मान्यवर, बहुत

दिनों की प्रतीक्षा के बाद इस तरह का विधेयक सदन के सामने आया। इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से इस विधेयक के आने में इतना विलम्ब हुआ।

खादी और ग्रामोद्योग का हमारे स्वराज्य में आन्दोलन के समय से ही बहुत प्रचार रहा है और उससे गहरा सम्बन्ध रहा है और उस आन्दोलन में काम करने वालों की बहुत बड़ी संख्या इस काम में लगी हुई है। हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले और स्वराज्य दिलाने वाले महात्मा जी का ध्यान इस पर बराबर रहता था और इसको इतना महत्व वह देते थे कि इसके सामने दूसरों कामों को गौड़ समझते थे। उन्होंने कई अवसरों पर कहा था कि यदि खादी और ग्रामउद्योग को हम अच्छी तरह से अपना लें तो स्वराज्य हमारे लिये बायें हाथ का खेल हो जायगा। उस समय यद्यपि समुचित ध्यान, जितना देना चाहिये, नहीं दिया गया फिर भी देश में इसकी एक लहर सी दौड़ गई, देश के कोने-कोने में खादी और ग्रामोद्योग ने अपना एक स्थान बनाया अपना महत्व बनाया और उसके द्वारा इसमें सन्देह नहीं कि हमारी आजादी की प्राप्ति में काफी सहायता मिली और इससे देश के अन्दर बहुत बड़ी जागृति हुई।

स्वराज्य की प्राप्ति के बाद इस काम की तरफ कुछ ढिलाई आयी, क्योंकि कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि अब इसकी वह आवश्यकता नहीं रही जो स्वराज्य के समय में थी लेकिन धीरे-धीरे देश की बढ़ती हुई बेकारी ने, ग्रामोत्थान की भावना ने और स्वावलम्बन की भावना ने इस बात के लिये देश के कर्णधारों को मजबूर किया यह सोचने के लिये कि इसको बढ़ावा दिया जाय, प्रोत्साहन दिया जाय। यद्यपि आजादी के बाद तत्काल इस पर ध्यान नहीं गया लेकिन कुछ दिनों बाद इस तरफ लोगों का ध्यान गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर महत्व नहीं दिया गया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको काफी महत्व दिया गया और इसका व्यापक मात्रा में प्रचार हुआ और आज इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे प्रान्त में भी एक ऐसा बोर्ड बनाया जाय जिसके माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग को अधिक बल दिया जाय और उसमें लगे हुये कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया जाय और साथ-साथ व्यापक पैमाने पर बेकारी की समस्या का समाधान किया जाय और उसको हल किया जाय।

इस ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान कुछ दिनों पहले गया था और उसने इस कार्य के लिये एक खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन कायम करके बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर वह खादी आयोग न कायम किया गया होता तो जो देश की हालत हो रही थी उस दशा में तमाम सार्वजनिक संस्थायें और रचनात्मक संस्थायें जो इस काम में लगी हुई थीं, अपने काम को बढ़ावा न दे पातीं जितना कि आज वह दे पायी हैं। उनको सहारा देने की जरूरत थी। यह सहयोग केवल खादी के लिये ही नहीं बल्कि आज दूसरे जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं उनको भी सरकार बहुत बड़ी सहायता करती है और उनके लिये भी सरकार बहुत धन व्यय करती है तभी वे आज टिके हुये हैं। मैं तो कहता हूं कि खादी तथा ग्राम उद्योगों के मुकाबले में जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं उनको भी सरकार सहायता न दे और तब वह टिक जायं तो मैं समझूं कि वह भी कुछ कर निकलेंगे।

वास्तविकता तो यह है कि खादी और ग्रामोद्योगों की बनिस्बत उन उद्योगों को सरकार ने जितनी सहायता पिछले सैकड़ों सालों में दी और साथ ही साथ इन ग्रामोद्योगों की अंग्रेजी राज्य में जिस तरह से उपेक्षा की गई और उपेक्षा ही नहीं, बल्कि उनको बर्बाद करने के लिये उनको हतोत्साहित करने के लिये जो तरीके अपनाये गये वह ऐतिहासिक बातें हैं, और धीरे-धीरे वह उद्योग समाप्त प्राय हुये हैं, केवल यत्र तत्र वे चलते थे बल्कि मैं यह कहूं कि वास्तव में देश में लोग चर्खा चलाने को ही भूल गये-नाम भले ही जानते रहे हों, लेकिन काम तो भूल ही गये थे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में, इस तरफ पूज्य बापू जी का ध्यान गया। उन्होंने इसका अलख

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

जगाया, देश के कोने कोने में दौरा किया और इस तरह से यह चीज देश के सामने आई। और आज यह इस स्थिति में आई कि व्यापक रूप में यह फैल रही है और आज इसकी आवश्यकता किसानों के लिए, गांवों में रहने वालों के लिये बड़ी वांछनीय हो गई है।

किसानों के पास साल में पूरे दिनों के लिये काम नहीं रहता, वह कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिन बेकार रहते हैं और इसके अलावा सूखे और बाढ़ से भी उनका नुकसान होता रहता है। तो अगर वह अपने खाली वक्त में थोड़ा बहुत काम कर सकें, इसको अपना सकें तो इससे देश के धन की वृद्धि होगी। जो लोग गांवों में पूरे समय अथवा थोड़े समय बेकार रहने वाले हैं, उनको इससे काम मिलेगा। गांवों में कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, इसलिये अगर वहीं उनसे पक्का सामान भी तैयार किया जाय तो खर्चा भी कम होगा और लोगों को अपनी आवश्यकता का सामान भी वहीं आसानी से मिल जायगा। इस उपयोगिता की दृष्टि से इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं यह मानता हूं कि हमारी प्रान्तीय सरकार का ध्यान पहले से भी इस ओर था लेकिन वास्तव में जितना ध्यान उसे देना चाहिये था वह नहीं था? इस बोर्ड के बन जाने से उसकी पूर्ति होगी। अपने प्रान्त में गांधी आश्रम जैसी बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं जिनका काम हमारे प्रान्त में ही नहीं बाहर भी है। पिछले जमाने की खादी में और आज की खादी में जो अन्तर आया है जो अच्छाई, जो बारीकी, जो सुन्दरता उसमें आयी है, उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके पीछे रह कर दूसरी संस्थाओं की भी काफी तरक्की हुई है। ऊनी और रेशमी माल जो खादी की संस्थाओं से मिलता है, वैसा सामान खुले बाजार में नहीं मिलता, परिणामतः उसकी बड़ी मांग रहती है और कभी-कभी लोगों को वापस आना पड़ता है। क्योंकि इस प्रकार के माल की कमी हो जाती है। वास्तव में इसके द्वारा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन मिला है, दूसरे लोगों को सामान भी अच्छा मिला है तथा खादी के माल की बिक्री की समस्या भी पूरी हुई है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को बना कर ऐसी बात नहीं है कि सरकार इस उद्योग पर अपना नियन्त्रण करना चाहती है। माननीय अवस्थी जी ने इस पर शंका प्रकट की, लेकिन उन की शंका निराधार है। आज हमारे प्रान्त में बहुत सी संस्थायें हैं जो ग्रामोद्योग कमीशन से प्रमाणित होकर कार्य कर रही हैं लेकिन उनको पूरा बल उससे नहीं मिल पाता है और अपने आर्थिक संकट के कारण वे अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं चला पाती हैं और न उनको पूरा अनुदान ही मिल पाता है, न आवश्यक लोन ही मिल पाता है, क्योंकि खादी कमीशन अपने ढंग से काम करता है। उनको सहायता देने के लिये ही इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ी है।

माननीय अवस्थी जी ने कहा कि बोर्ड को सरकारी हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। उसमें सरकार को ऐसे आदमियों को रखना होगा जो पूरी तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व करें और उसको ठीक तरह से चलाने में सहायता कर सकें। बोर्ड में १५ सदस्य होंगे जिनमें से ९ तक गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में अच्छी जानकारी होगी। ऐसे लोगों को रख कर जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सरकारी होने जा रहा है। अगर सब गैर सरकारी आदमी ही रखे जाते तो लोग कहते कि इसका कोई महत्व ही नहीं रहा।

इसमें यह दिया हुआ है कि जो बोर्ड के कर्मचारी होंगे वे लोक सेवक होंगे। इसका भी अर्थ लगाया गया कि सार्वजनिक कार्यकर्ता लोक सेवक हो जायंगे। जो सार्वजनिक संस्थायें हैं उनके सरकारीकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है वे तो स्वतन्त्र संगठन की तरह ही काम करेंगी और उनको बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर सहायता मिला करेगी। उनको बोर्ड जो सहायता दे सकेगा, वह देगा। मैं समझता हूं जिस

प्रकार से अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रान्त भर की रचनात्मक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को बुला कर सम्मेलन करके उनकी राय समय-समय पर लिया करता है उसी तरह से मैं समझता हूं कि यह बोर्ड भी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी कठिनाइयों को सुनेगा और उनके कार्य में सहूलियत पैदा करेगा और इस तरह से इस उद्योग को, जो सरकार की सहायता के अभाव में पीछे पड़ा हुआ है और मन्द गति से चल रहा है, बल मिलेगा और इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश की जायगी। केवल इन्हीं विचारों को लेकर यह बोर्ड संगठित किया जा रहा है।

इसमें ग्रामोद्योगों को जैसे मधु-मक्खी पालन, मिट्टी के खिलौने तथा बर्तन बनाना, चमड़े का कार्य, रस्सी वाले उद्योग जिनमें सन, सनई और मूंज के कार्य हैं, बल मिलेगा। कहीं कहीं ऐसे भी कार्य हैं जिनकी चर्चा इसमें न की गई हो, लेकिन वे भी आ सकते हैं। अगर माननीय सदस्य उन्हें बतावेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। इस मंशा से इस काम को और धन्धों से अलग करके खासतौर से इस पर ध्यान देने के लिये वह बोर्ड बनाया जा रहा है। वैसे तो उद्योग विभाग है और वह छोटे बड़े सभी उद्योगों को देखता है लेकिन खादी और ग्राम उद्योग के काम को अधिक महत्व देने के लिये इस बोर्ड के बनाने की बात सामने आई है। यह बोर्ड स्वागत करने योग्य है और इसके लिये सरकार की तारीफ करनी चाहिये.....

श्री टीकाराम--क्या सरकार इम्तिहान लेकर बोर्ड के मेम्बर चुनेगी ?

श्री नागेश्वरप्रसाद--नहीं, लेकिन रचनात्मक संस्थाओं से सरकार भलीभांति परिचित है। वह जानती है कि कौन लोग इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन बनाया है और उसमें हमारे प्रदेश के ऐसे लोग रखे गये हैं जिनका गांधी जी के जमाने से बहुत अनुभव रहा है और बहुत खूबी के साथ वे उसे चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की निगाह में वे लोग होंगे और उन्हीं को निगाह में रख कर इस प्रकार का बोर्ड बनाने की बात सरकार ने सोची है। यह खानापूर्ति के लिये नहीं है।

विधेयक में भी चर्चा है कि कैसे लोगों को इस बोर्ड में रखा जायगा। इस कार्य के जानने वालों के अनुभव के आधार पर ही यह विधेयक लाया गया है। मुमकिन है कि कुछ बातें छूट गई हों और अगर सदन के सदस्य उस तरफ ध्यान दिलावेंगे तो वे भी की जा सकती हैं। बहुत सी बातें नियमावली में भी आ सकती हैं। हमारे प्रान्त में गांधी आश्रम अपने स्थान पर एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके अलावा स्वराज्य आश्रम, सेवापुरी की संस्था और दूसरी छोटी बड़ी संस्थायें जो सभी जिलों में कुल मिलाकर लगभग १०० के होंगी यह काम कर रही हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां भी हैं। उन्हें सरकार ने और उसके उद्योग विभाग ने अनुभव किया होगा। इस सब अनुभव के आधार पर ही यह विधेयक लाया गया है और इससे एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति होने जा रही है। मैं सरकार को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में इसे भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक पर सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के वे लोग जिनका राजनीति में अपने क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रह गया है, अगर वे अपने क्षेत्र की जनता की नजर से गिरे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहुंच गये और अगर वहां भी टर्म खत्म हो गया तो उनके लिये फिर यह बोर्ड बनाया जा रहा है। हमारे माननीय बहुगुणा जी आश्चर्य करते हैं, मगर दुर्भाग्य से जैसे इन परिस्थितियों को हमने देखा है उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं। मुमकिन है कि सदन के दूसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

सदस्यों को और बहुगुणा जी को दूसरी तरह का अनुभव हो। इस माने में सरकार जरूर बधाई की पात्र है कि अपने साथियों को, अपनी पार्टी के लोगों को भत्ते, ओहदे और वेतन दे दे। मैं समझता हूं कि यह बिल केवल इसीलिये बनाया गया है।

मुझे दुख इस बात का है कि इस विधेयक के प्रस्तावना में हमारे मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के दस्तखत हैं। बहुगुणा जी ने इसे पेश किया था। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में खादी का सरकारीकरण हो रहा है। खादी को जितना बड़ा धक्का इस विधेयक से लगेगा उसका यह सरकार अन्दाजा भी नहीं कर सकती। आज देशमें सभी पार्टियों के लोग खादी का काम करते हैं और उन्होंने इसे अपना बाना बना रखा है, मगर इस बोर्ड पर नामजदगी सरकार ने अपने हाथ में रखी है। मेरे पास यह एक कागज में लिखा है, बहुगुणा जी देखें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं। सभापति की नामजदगी हो जाय, तब देखिये कि वही नाम निकलता है या नहीं जो इसमें है। आज खादी में काम करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी की सारी जिन्दगी कुरबान कर दी है। देश में और प्रदेश में उन लोगों ने अपने आपको राजनीति से अलग कर लिया है। वे अपनी गरीबी में गुजर कर रहे हैं और खादी के काम को करते हैं।

मैं यह बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर के बैठने वाले सभी सदस्यों का यह विचार है कि जब यह सरकार नामजदगी करेगी तो उसके सामने दो ही दृष्टिकोण होंगे, तीसरा दृष्टिकोण इसका नहीं होगा। पहले तो उसके अन्दर पार्टीबन्दी के नाम पर किसी को नामजद कर दिया और दूसरी बार फिर पार्टी के रूप में देखें तो किसी आदमी को नामजद कर दिया। उत्तर प्रदेश में जितनी कमेटीज हैं, जहां-जहां सरकार नामांकन करती है वहां यही बात देखने को मिलेगी।

मैं इस सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सबसे पहला उदाहरण मैं रखूं कि जैसे-ट्रांसपोर्ट कमेटी है, रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी है या जो और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कमेटीज हैं या प्राविंशियल लेविल पर कमेटीज हैं, उन सब कमेटीज में सरकार की ओर से जो नामजदगी होती है वह एक दलीय होती है। नतीजा यह होता है कि आजकल के राजनीतिक और डेमोक्रेटिक युग में जब एकदलीय नामजदगी हो जाती है तो उससे दूसरे दल को नुकसान पहुंचेगा और इसलिये विरोधी दल उस बात का विरोध भी करता है। तो इस वजह से जो यह बोर्ड बन रहा है, इस बोर्ड से यह भी हो सकता है कि खद्दर का सरकारीकरण हो जाय और जहां खादी को प्रोत्साहन देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि उससे उसे कोई लाभ नहीं होगा।

आज देश में बड़ी-बड़ी संस्थायें मौजूद हैं, खादी कमीशन मौजूद है, ग्रामोद्योग कमीशन मौजूद है, खादी बोर्ड मौजूद है, और ये संस्थायें खादी का काम तथा ग्रामोद्योग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं क्योंकि उनको उन कामों से बड़ी दिलचस्पी है। फिर इसकी क्या जरूरत है कि उनके पैरेलल एक और इंस्टीटयूशन बनाया जाय। जब दूसरे इंस्टीटयूशंस बने हुए हैं तो फिर सरकार इसको अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है जब कि इन संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता दी जा सकती है ? सरकार का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, क्या उसके जरिये ये सब काम नहीं होते हैं या हो सकते हैं ? आपकी जगह जगह इंडस्ट्रीज कमेटी बनी हुई हैं, उन कमेटियों के जरिये, लोहारगीरी के काम के लिये या मिट्टी की वस्तुओं के लिये या और भी बहुत से कुटीर उद्योगों के लिये रुपया मिलता है। तो आखिर जब उत्तर प्रदेश में ये सब संस्थायें काम करती हैं तो इनको थोड़ी बहुत और सहायता देकर यह काम विशेष रूप से कराया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि जिस रूप में बोर्ड को बनाने की बात विधेयक में रखी गयी है उससे मुझे यह निश्चय है कि आगे चल कर इन संस्थाओं तक इस बोर्ड का सम्बन्ध अच्छा नहीं रहेगा। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि थोड़े समय बाद —इन संस्थाओं तथा इस बोर्ड में क्लेश होगा

और इस क्लेश की वजह से खादी के काम को नुकसान होगा। ये जो संस्थायें मौजूद हैं वे खादी के काम को कर रही हैं और जो बोर्ड बनने वाला है, इस बोर्ड के बनने से किसी तरह से भी खादी के काम को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक में दिया हुआ है कि यदि ५०० रु० की तनख्वाह वाली जगह बोर्ड के अन्तर्गत होगी तो उसके लिये पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे मालूम होता है कि इस बोर्ड में हजार रुपये से अधिक तनख्वाह पाने वाले लोग भी होंगे। इसी तरह से इसमें यह भी दिया हुआ है कि बोर्ड के सदस्य अपना भत्ता पायेंगे। इससे पहले खादी के काम करने वाले अपने लिये कोई भत्ता आदि नहीं लिया करते थे, केवल अपनी गुजर बसर के लिये थोड़ा सा रुपया ले लिया करते थे, लेकिन अब इस विधेयक के जरिये सरकार नये पेंशनर्स की जगह स्थापित करने जा रही है। इसलिये यह जो विधेयक सरकार की ओर से आज इस सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा और माननीय बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा वे कम से कम खादी के काम को तथा ग्रामोद्योग के काम को पार्टीबन्दी के झमेले में न डालें। अगर वे खादी तथा ग्रामोद्योग के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को मान लें। क्योंकि अगर यह बोर्ड बना तो मेरा निश्चित मत है कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर खादी और ग्रामोद्योग के काम को नुकसान पहुंचेगा।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—मान्यवर, आज आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अभी उधर से हमारे विरोधी दल के भाई ने विरोध किया है, उनकी बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है कि उन्होंने उद्योग-धंधों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की है और वह उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। इस कदर विरोध करना कि मालूम होता था कि कोई गांधी आश्रम खत्म हो रहे हैं या कोई उद्योग विभाग ही खत्म हो रहा है, अच्छा होता कि वह पहले पूरी जानकारी कर लेते तभी विरोध करते। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते इसीलिये हम बोर्ड बनाकर अपनी पावर चलाने के लिये ऐसा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहती हूं कि हमारे यहां तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में आप चलें और देखें कि वहां एक-एक घर में सात-सात और आठ-आठ चर्खे चलते हैं और जिनके घर में पहले बच्चों को पढ़ाने तक की व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास एक बैल था उनके पास अब दो दो बैल हैं और उनके यहां चर्खे से ऊन कात कर ऊनी कपड़े बनाये जा रहे हैं। उनके घरों से जो बहिनें बाहर नहीं निकलती थीं वह आज सब अपने घरों में चर्खे चला रही हैं और जो इस काम को बुरी निगाह से देखती थीं वह आज अपने घरों में हमें ले जाकर दिखाती हैं कि यह सूत हम तैयार कर रही हैं।

मैं भाई मोतीलाल जी से कहूंगी कि विरोधी दल के माने यह नहीं हैं कि वह हर एक चीज का विरोध ही करें, यह ठीक नहीं है कि कोई भी बिल हो सभी का विरोध किया जाय। मुझे कम से कम खादी के विषय में जब विरोध किया जाता है तो अफसोस होता है। खादी आज वर्दी के रूप में अपनाया जा रहा है। यह सरकार उसे सस्ता नहीं करा सकती। सेन्ट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, हम आप करा सकते हैं। क्या वह भाई बता सकते हैं कि आज किसके घर में कितने चर्खे चलते हैं? मैं बता दूं कि एक आदमी के खादी पहनने के माने यह होते हैं कि वह ८ आदमी को रोजी देता है लेकिन आज तो खादी इसलिये आप पहनते हैं कि आपको लीडर माना जाय। जहां तक खादी की बात है चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों जब तक गांव-गांव में कपास बोने का प्रचार न होगा, जब तक उसका उत्पादन न बढ़ेगा हर घर में चर्खे नहीं चलाये जायंगे, जब तक गांव-गांव में खद्दर की बुनाई न होगी तब तक खादी, गांवों का उत्थान और महात्मा गांधी के सिद्धान्त की सफलता न होगी।

हर एक बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, कल को वह यह भी कहेंगे कि हमारे घर का चूल्हा टेढ़ा हो गया है उसे भी सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, यही कसर बाकी है। मैं अपने भाइयों से यह प्रार्थना अवश्य करूंगी कि बोर्ड बनाया जाय, मैं भी कहती हूं कि उसमें ऐसे आदमी आयें कि जिनका खादी और ग्राम उद्योगों से सम्बन्ध हो, मैं आपको ही

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

नहीं कहती मैं भी उसमें आ जाऊंगी, उसमें स्त्री पुरुष का कोई अन्तर नहीं है। प्रश्न यह है कि कभी उन भाइयों ने अपने गांवों में खादी का प्रचार किया है? आज खादी बोर्ड की तरफ से या सेंट्रल कमीशन की तरफ से अगर ग्रान्ट नहीं मिलती तो गांवों में कैसे यह चर्खे पहुंचते और काम चलता? आज गांधी आश्रम ने थोड़ा-थोड़ा करके बहुत काम किया है। जब चर्खे के पैसे तक देने के लिये गांव के गरीब आदमी के पास नहीं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग वहां कायम होंगे। इसलिये मैं तो इतना ही निवेदन करूंगी कि हमारा पहला प्रश्न यही है कि गांव में जो चर्खे चलें वहां उनसे बनी हुई खादी की खपत होनी चाहिये। और जो मोतीलाल जी ने प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव किया है उसका विरोध करती हूं और मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

*श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है उस पर बोलते हुए अभी माननीया सदस्या ने कहा कि विरोधी लोगों का विरोध करने का स्वभाव सा बन गया है और हर बात में विरोध करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह और उनके सभी साथी स्पष्ट रूप से समझ लें कि विरोधी पक्ष के लोगों का विरोध करने का स्वभाव नहीं है और न हर बात का वह विरोध ही करना चाहते हैं बल्कि समय-समय पर सरकार को सही बात बताने का प्रयत्न करते हैं। हम नहीं चाहते कि खादी और ग्रामोद्योग में कोई तरक्की न हो या जिनका रोटी-रोजी का सवाल मुश्किल है वह हल न हो। लेकिन जो विधेयक है और जो इसके उद्देश्य और कारण बताये गये हैं हमारी समझ में सरकार उस उद्देश्य को ही खत्म किये देती है।

यों तो खादी और ग्रामोद्योग के सिलसिले में वर्षों से काम होता चला आ रहा है। मधुमक्खी-पालन, कुटीर दियासलाई-उद्योग, मिट्टी की वस्तुओं का कुटीर उद्योग, कुटीर साबुन उद्योग, खाल उतारना आदि जितने भी ये उद्योग दिये गये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले १२ वर्षों में—इंडस्ट्रीज विभाग हमारे प्रदेश में है, उसकी कमेटी है—इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया है? जो तरक्की १२ वर्ष में नहीं कर पाये, इस विधेयक को लाकर एकदम पूरी कर देना चाहते हैं? हो सकता है कि मंत्री जी ने सोचा हो कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अन्दर ऐसे लोग हैं जो हमारे हमदर्द हैं, शायद उनको संतुष्ट करने के लिये या अपने बड़े लम्बे परिवार के लोगों को रोजी दिलाने के लिये इस विधेयक को लाकर उनके मसले को हल कर रहे हों।

चमड़े के काम के सिलसिले में मैं जलालाबाद जिला शाहजहांपुर का उदाहरण देता हूं। एक सोसायटी बनाई गई। चर्मकार लोगों ने मिलकर बनाई। इंडस्ट्रीज विभाग से रजिस्ट्रेशन के लिये कोशिश की गई। एक साल हो गया, उसे एक पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं मिला। बड़े-बड़े उद्योगों को तो सरकार पैसा दे देती है, छोटे-छोटे उद्योगों के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। जब १२ वर्ष में सरकार कुछ नहीं कर पाई तो इस विधेयक को लाकर क्या कर सकेगी?

भूमि व्यवस्था के बारे में अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक प्रस्तुत किया है, इससे कितनी जमीन मिलती है? उसी प्रकार से सरकार इस विधेयक को लाकर कहती है कि उन लोगों को जो कि देहातों में बेकार हैं आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। शायद आगे चल कर यह साबित हो जायगा कि न आत्मनिर्भरता हो सकेगी और न रोजगार मिलेगा। बल्कि सही चीज यह है कि बोर्ड बन जाने के बाद में जहां ५०० रु० तक के मुलाजिम बोर्ड स्वयं नियुक्त कर सकता है उसके ऊपर राज्य सरकार की अनुमति से बोर्ड नियुक्त कर सकेगा, तो इससे पता चलता है कि बड़ी-बड़ी तनख्वाहों वाले लोग नियुक्त किये जायंगे जिसका भार भी जनता के ऊपर पड़ेगा। इसलिये जो उद्देश्य इस बिल का है वह इस तरह से पूरा नहीं हो पायेगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुड़, गन्ना, खांडसारी, शकर बनाने के सिलसिले में भी बोर्ड से प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो अब तक जो खंडसारी वाले शकर बनाते रहे हैं उसमें और आगे विधेयक बन जाने के बाद में कौन-सा फ़र्क आयेगा इसको मंत्री जी अपने जवाब में बतायें। इस बोर्ड के द्वारा खांडसारी वालों को कौन-सी विशेष सहायता दी जायगी जिससे खंडसारी को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा यह भी मंत्री जी बता दें। मैं जो समझा हूं वह यह है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार उन लोगों को जो वर्षों से खादी के काम में लगे हुए हैं, और जैसी कि माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी की रुचि भी रही है उन्हीं के लिये और उन्हीं के कहने पर यह विधेयक आया है जिससे सरकार उनके लिये भी कुछ कर सके और उनको खुश भी रख सके। वैसे मैं जानता हूं गैर सरकारी तौर पर जितने खादी के काम प्रदेश में चलते रहे हैं अच्छी तरह से चले। लेकिन अब सरकार की छाप लग जाने के बाद जितनी संस्थायें चलती होंगी उनको अपने घाटे की अब चिन्ता नहीं रहेगी क्योंकि वह तो सरकार पूरा करेगी। नतीजा यह होगा कि उस भाव से अब काम नहीं होगा जिस भाव से पहले होता रहा। तो इस विधेयक से सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो पुराना तरीका चला आ रहा है गांवों में उसी को सरकार प्रोत्साहन दे और चमड़ा, लकड़ी, लोहे आदि के जो छोटे-छोटे ग्राम उद्योग हैं उनको सहायता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—सदन में माननीय सदस्य आपस में बात न करें। मैं देख रहा हूं कि सदन में शोर काफी हो रहा है, इस तरह से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ती है।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—उधर के पक्ष के लोगों के जो भाषण मैंने सुने उनसे मुझे एक विस्मय सा हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि वे शंकायें जो इस बिल से पैदा नहीं होनी चाहिये उनका अनुभव जब माननीय सदस्य करते हैं तो वे डिबेट के स्तर को कुछ ऊंचा नहीं करते। सरकार ने यह जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया वह एक उचित ही कदम है और सोशलिस्ट प्रणाली को मानने वाली सरकारों में भी इस तरह का कानून ले आना एक अच्छा कदम माना गया है।

अभी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट छोटे उद्योग-धन्धों की सहायता करता रहा है। तब यह शिकायत आम तौर से होती रही है कि मनमाने तौर पर जिन लोगों के ऊपर कृपा होगी उन लोगों को अनुदान या कर्ज मिल जाते हैं। फिर इसको कोई देखने वाला नहीं रहता कि वह पैसा उन कामों में लगा, उससे वह उन्नति हुई या नहीं हुई। तब यह पूछा जाता है सरकार से कि इस मद पर इतना पैसा खर्च किया, क्या उससे पूरा-पूरा उत्पादन बढ़ा या नहीं? अब जब इस समस्या को थोड़ा काबू में ले आने के लिये सरकार कदम उठाती है तब एक दूसरी शंका पैदा कर दी जाती है और सरकार की नीयत पर हमले होने शुरू हो जाते हैं कि वह तो अपने गुट के लोगों को मदद करना चाहती है या और लोगों को मदद करना चाहती है। यह बात अभी एक माननीय सदस्य ने कही। मेरा उनसे बड़ा नम्र निवेदन है कि सरकारी पक्ष में क्या गुटबन्दी है, क्या वे आपस में करते हैं कि इसकी चिन्ता अगर वे छोड़ कर अपनी चिन्ता करते तो ज्यादा अच्छा होता। यह जो सरकारी पक्ष में जो लोग हैं उनके घर की बातें हैं। आपस में चाहे कोई भी झगड़ा हो लेकिन वैसे वे एक हैं। जो भी चक्कर होंगे उनके सुलझाने के लिये वे उधर के माननीय सदस्यों की कोई सहायता नहीं चाहते।

जहां तक इस विधेयक की बातों का सम्बन्ध है मैं माननीय बहुगुणा जी को उनके इस कदम के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह शिकायत मेरी उनसे जरूर है कि जरा उनका कदम कुछ रुक-रुक कर पड़ रहा है। जितनी तेजी के साथ, जितनी मजबूती के साथ इस कदम को उन्हें उठाना चाहिये था उसमें पता नहीं वे किन कारणों से उतनी तेजी के साथ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसा कि हमारे इस तरफ के और उस तरफ के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस देश व इस प्रदेश का, खास तौर से यहां की गरीबी का एक ही हल है। और वह हल है कृषि की उन्नति के साथ छोटे-छोटे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की उन्नति करना और इन्हीं

[श्री उदयशंकर]

के जरिये हमें लोगों की आर्थिक स्थिति को सम्हालना है। तो ऐसी हालत में किसी व्यवस्थित रूप में ही इनका चलाना उचित मालूम पड़ता है और उस व्यवस्था के लिये हमने एक ढांचा भारत सरकार से लिया।

उनके यहां भी इसके लिये एक बोर्ड है। कुटीर उद्योगों में जाने वाले धन को उस बोर्ड के सामने रखा जायगा जो इस बात को देखेगा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कुटीर उद्योग अच्छी तरह पनपें, उनको पैसे की कमजोरी न रहे और उनका पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाय तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जहां तक मैं पढ़ सका हूं इस विधेयक का यही उद्देश्य है। हां, एक चीज की कमी इसमें मुझे नजर आयी और मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जायगा। वह यह है कि कुटीर उद्योगों से बनी हुई चीजों की किस प्रकार खपत हो और किस प्रकार उनका उचित दाम मिले। मैं हमेशा इस विचार का रहा हूं कि जब तक बड़े और छोटे उद्योग-धंधों से पैदा होने वाली चीजों का क्षेत्र अलग-अलग नहीं बनाया जाता, जब तक यह निश्चित नहीं कर दिया जाता कि जो चीज छोटे उद्योग-धन्धों के जरिये बनेगी बड़े उद्योग-धन्धे उस क्षेत्र में कदम नहीं रख सकेंगे और जब तक हम बड़े और छोटे उद्योग-धंधों के बीच होने वाले कम्पटीशन का दरवाजा बन्द नहीं कर देते तब तक छोटे उद्योग-धन्धों के जरिये हम इस देश की अधिक सेवा नहीं कर सकेंगे और न हम छोटे उद्योग वालों को कोई विशेष स्तर दे सकेंगे।

अभी उधर के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जहां तक बड़े उद्योग-धन्धों का सम्बन्ध है उनको सरकार सहायता भी बड़ी देती है और छोटे उद्योग धन्धों को वह पूरी सहायता नहीं देती है। मैं एक हद तक, या यों कहिये कि बहुत हद तक उनकी इस बात से सहमत हूं।

श्री हरदयालसिंह—श्रीमन्, हाउस में कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह तीसरी बार है जब कि कोरम के लिये घंटी बजायी गयी है और यह व्यवस्था हो चुकी है कि तीन बार अगर कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ी तो चौथी बार हाउस स्थगित कर दिया जायगा। तो इसके लिये आप मंत्री जी को तम्बीह कर दें।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है।

श्री अधिष्ठाता—वह मैंने पता लगा लिया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अगर मैं समझूंगा कि सदन का कार्य कोरम की वजह से नहीं चल सकता है तो मैं स्थगित कर दूंगा लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि सदन का कार्य चल सकता है।

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उदयशंकर—छोटे और बड़े उद्योग-धंधों के बारे में सरकार की नीति जो अब तक रही है उसमें ये जो आंकड़े सामने आये हैं उनके हिसाब से बड़ी आसानी से यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर हिस्सा उस पैसे का जो सरकार उद्योगों के विकास में लगाती है, वह बड़े उद्योग-धंधे वाले किसी न किसी रूप में ले जाते हैं। बिजली आदि का जो उत्पादन होता है उसका हिस्सा भी वही ले जाते हैं और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे पनप नहीं पाते हैं। इसलिये इस बोर्ड को बनाकर अगर ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा है जिसमें हम उद्योगों के क्षेत्र को अलग करके एक नई लीड अपने प्रदेश को दे सकें जिसमें देहात के जो हमारे किसान हैं या अन्य आदमी जिनको पूरे समय काम नहीं मिलता है उनको ऐसी चीजों में लगा सकें, चाहे वह कोआपरेटिव

बनाकर हो या छोटे छोटे यूनिट्स अलग बनाकर हो, जो उनकी आवश्यकतायें हैं वह कुटीर उद्योगों के जरिये बनाई जायं और जो चीजें उनके द्वारा बनाई जायं उनको सरकार अपने काम में लाये चाहे वह कुछ खराब ही क्यों न हों। इससे उनको राहत मिलेगी और उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो जायगा।

खादी को जहां तक मैं समझता हूं कि व्यवसायिक उद्योग के तौर पर चला पाना या मिल के मुकाबले में चला पाना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। जब तक लोग इसको पैदा करके अपनी खपत में नहीं लायेंगे और यह रूप जब तक कुटीर उद्योगों में नहीं बना देते हैं तब तक केवल अनुदान देकर एक तरफ से पैसा देना और दूसरी तरफ पहनने वालों को छूट देने से तीसरे तरीके से जनता के ऊपर बोझ डालना है। इन उद्योगों को अपने पैरों पर अगर खड़ा करना है तो जरूरत इस बात की है कि वह इकोनोमिक यूनिट्स हों और जब तक यह इकोनोमिक यूनिट्स नहीं होंगे तब तक वह हमारा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकेंगे।

अभी एक सज्जन ने जो खांडसारी उद्योग में लोग चल रहे हैं उनके लिये कहा कि सरकार क्या करेगी और आखिर उनकी वह क्या सहायता करेगी? उन्होंने इसका जवाब बहुगुणा जी से मांगा है। वह जवाब देंगे लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह बड़ी आसान सी बात है कि खांडसारी जैसे छोटे-छोटे उद्योग साधारण से ऊंचे उठे हुये पैसे वालों के हाथ में हैं और वह इस चीज की कोशिश करते हैं कि अपने पैसे से अपने स्तर को बनाये रख सकें। गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है वह भी मिल के मुकाबले में अपनी खांडसारी अलग बना सके और सहकारी समिति बनाकर इस उद्योग को चलाये। उस खांडसारी उद्योग में, गुड़ उद्योग में लोगों को सहायता दे कर बोर्ड, उन लोगों के शोषण से भी बचा सकता है जो खांडसारी और छोटे उद्योग के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, चाहे उस हद तक न करते हों जिस हद तक मिल वाले करते हैं लेकिन कुछ हद तक तो करते ही हैं। इस तरह से वह खांडसारी उद्योग की भी सहायता कर सकते हैं।

मैं इस दृष्टिकोण से जब देखता हूं तो जितना गन्ना इस देश में पैदा होता है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा चीनी की मिलों में जाता है, बाकी गुड़ और खांडसारी में खपत होती है। अगर ये बोर्ड इसमें सफल हो सकें, कि जहां मिल नहीं हैं, जिन हिस्सों में गन्ने की उपज काफी है, जहां वह साधन नहीं हैं जिनसे वह मिलों तक अपना गन्ना पहुंचा सकें, उनको खांडसारी बनाने में, गुड़ बनाने में, उनको ठीक बाजार दे सकने में, अगर सहायक हो सकें और गन्ने के किसान में यह क्षमता पैदा कर सकें कि वह मिलों से मुंहमांगे दाम ले सकें---जैसा कि आज हाउस में हम पास करते हैं कि १ रुपया १२ आने मन गन्ने का भाव होना चाहिए, लेकिन मिल वाले नहीं देते, सरकार भी मजबूर है अगर हम इन बोर्डों के जरिये मदद देकर किसानों में यह ताकत पैदा कर सकें कि वह अपनी शर्त के ऊपर मिल वालों से गन्ने के दाम ले सकें, तो इन बोर्डों की बड़ी सफलता होगी।

इस विधेयक में मैं यह जरूर पाता हूं कि इसमें इस बात की बहुत गुंजायश है कि इससे ग्रामोद्योगों को अच्छे स्तर पर ला कर उनसे जनता की हालत अच्छी कर सकते हैं।

कुछ लोगों का शुबहा है कि बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसे वर्ग का उदय हो रहा है जो सरकारी नौकरों का वर्ग है, जो समय-कुसमय यह चाहता है कि मेरा आधिपत्य हो, लोगों का जीवन मेरे काबू में रहे, मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, मुझे भत्ते में हर तरह का सुभीता और तनख्वाह में बढ़ोत्तरी मिले, जिसको इस चीज की परवाह नहीं है कि जिसका वह अपने को नौकर कहते हैं, जो उनको पैसा देने वाला है, उसकी हालत क्या है, उसकी हालत, आमदनी और रहन-सहन को देख कर अपनी तनख्वाह मांगें, उस स्तर को देखते हुए अपने स्तर को बनाएं, यह न करके उस वर्ग में जो हों, उद्योग विभाग के संचालक भी होंगे, कोआपरेटिव रजिस्ट्रार भी होंगे और उद्योग सचिव भी होंगे, ये सब के सब जो इसके भीतर होंगे, उनसे कितनी दिक्कत पड़ती है, उस गरीब जनता को जिसके पैसे से यह ऊंचे महलों में रहते हैं, मोटर गाड़ियों पर चलते हैं और हर तरह के सरकारी काम करते हैं, अधिक से अधिक पैसा ले कर आराम से जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, उनके प्रभाव को इस बोर्ड में जितना कम किया जा सके उतना कम करना चाहिए।

[श्री उदयशंकर]

जो इसमें गैर सदस्य हैं वह गैर सदस्य मनोनीत न होकर अगर ऐसा हो कि बोर्ड के बनने के पहले मनोनीत कर दिये जायं तो अच्छा हो लेकिन बोर्ड के बनने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था इसके भीतर रहे कि आगे चलकर, जो यूनिट बनें उन यूनिट्स के प्रतिनिधि किसी प्रकार से इस बोर्ड के सदस्य हो सकें और उनके जरिये, जो उसका बोर्ड बने, वह बोर्ड इन चीजों को देखें कि जो प्रतिद्वन्द्विता बड़े उद्योगों में और छोटे उद्योगों में है, उसको रोके। पैसे का सही-सही उपयोग हो और सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो।

एक बड़ी शिकायत, जो इस मुल्क की है, वह यह है कि इस मुल्क में धन को पैदा करने वाले किसान और मजदूर गरीब हैं। हमारी पैदावार को बदलने वाला और विनिमय करनेवाला धनवान ही है। अगर यह विधेयक हमारी इस स्थिति को बदलने के लिये, इस स्थिति में ठीक रूप से सामंजस्य लाने के लिये और धन पैदा करने वालों के स्तर को ऊंचा बनाने में सफल हो सके जिसकी कि मैं कामना करता हूं तो मैं समझता हूं कि सरकार एक बड़ा कदम और एक अच्छा कदम उठायेगी। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह सुझाव दें जिन सुझावों से, जो यह विधेयक बन रहा है, उसके अन्तर्गत पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग हो।

सरकार सही ढंग से पैसे का उपयोग करना चाहती है। जितने सरकार को सुझाव मिलेंगे उससे वह अपने को बंधा समझेगी कि वह पैसे का ठीक-ठीक उपयोग करे और उस पैसे के ठीक ठीक हिसाब के लिये यह देखे कि जहां दिया जाता है उसका ठीक खर्च होता है या नहीं। अगर इसके एक पैसे की भी कहीं कोई गड़बड़ी हो, चाहे वह बोर्ड के जरिये से या किसी सचिव के जरिये से या किसी कर्मचारी के जरिये, वह सब पैसा उनसे वसूल किया जाय, इस तरह का कोई प्राविजन इसके भीतर नहीं है। जिस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता है उस तरह से कोई प्राविजन इसमें नहीं नजर आता है। वहां पर ऐसा है कि अगर कोई पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसको सरचार्ज कर सकते हैं। ऐसी कोई सरचार्ज की बात मुझे इसमें नहीं मिली। अगर ऐसी बात इस विधेयक में ले आयें कि जो पैसे को खर्च करने वाले हैं अगर वह पैसे को बेजा खर्च करते हैं, गलत तरीके पर खर्च करते हैं तो उनसे वह वसूल किया जा सकता है तो अच्छी व्यवस्था होगी। उद्योग धंधे को कायम करने के लिये अनुदान के अन्तर्गत जो कर्जा देते हैं अगर एक निश्चित समय के भीतर वह उद्योग कायम नहीं हुआ, वह उद्योग चला नहीं तो पूरा का पूरा पैसा फौरन वापस लिया जा सकता है, ऐसी कोई चीज इस विधेयक के भीतर होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, गवर्नमेंट इस बिल को लाकर जो बहुत देर से गलती करती आ रही थी उसको धोने और दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। बिल के उद्देश्य में यह साफ लिखा हुआ है कि कई स्टेट्स ने इस प्रकार के कानून पहले से बना रखे हैं। मैं समझता हूं यहां अगर पहले से यह कानून बना होता तो शायद खादी और ग्राम उद्योग को कुछ सहायता मिली होती। दोनों बातें बहुत साफ हैं कि अगर इस प्रकार का कोई कानून स्टेट में बना होता तो उससे अधिक सहायता हुई होती और उससे अधिक संगठन हुआ होता और उससे अधिक सहायता लोगों को सरकार ने पहुंचाई होती। अगर पहले से नहीं हुआ तो यह गलती हुई और इसको स्वीकार करना चाहिये अगर इसके जबाव में यह कहा जाय कि कोई गलती नहीं हुई तो फिर इस प्रकार के विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

(इस समय २ बज कर ४४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

बिना विधेयक के, बिना बोर्ड के ही काम चलता रह सकता था। सरकार की निगाह में अगर कोई ऐसा काम न हो कि जो रुका हो तो इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं। यह दोनों बातें कहीं नहीं जा सकतीं। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि गलती हुई तो उसको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माफी मांग चुका हूं। कह चुका हूं।

श्री गेंदासिंह---बहुत बहुत धन्यवाद ! मेरा खयाल है कि कल सुबह यह हाउस बैठा नहीं था। बाहर कहीं माफी मांगी होगी। आज सुबह कहते तो मैं समझता कि शायद आपने सदन में कहा होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कल सुबह आपने कहां सुना। मैंने आज कहा था।

श्री गेंदासिंह---खैर ! यह कानून अगर इसी तरह से बन जाय जैसा कि यह विधेयक है तो मैं समझता हूं कि जिन गलतियों का सुधार करने का इरादा सरकार का है उनमें सुधार नहीं हो सकेगा। सरकार का सबसे बड़ा काम इसमें बोर्ड बनाकर इस प्रदेश के ग्रामोद्योग को सहायता पहुंचाने का है। मैं पहले इस बोर्ड के स्वरूप पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं।

यह बोर्ड क्या होगा। यह शायद १५ आदमियों का बोर्ड होगा जिसमें ५ तो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, शायद सचिव हों, जिनकी सहायता सरकार को आज भी प्राप्त है। इनके अलावा ६ से ९ तक की संख्या में---ये अंक भी अजीब हैं---ऐसे आदमियों को सरकार नामजद करेगी जिनकी क्षमता और कार्यशैली में सरकार को विश्वास होगा। ऐसे लोगों को ६ से ९ तक की संख्या में वह बोर्ड का मेम्बर बनायेगी। मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश में किस प्रकार के लोगों को सरकार पसंद करेगी। मैं कह सकता हूं कि सरकार जिस प्रकार के लोगों को नामजद करने का जिक्र विधेयक में किया गया है, उनको अगर नामजद करे तो यह हो सकता है जिस उद्देश्य को लेकर सरकार यहां यह बिल लायी है उसको वे पूरा करने वाले न साबित हों।

मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है पंडित नेहरू के भाषण की जो उन्होंने मैन्यूफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन के एक सम्मेलन में दिल्ली में किया था। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कुछ इंस्टीट्यूशन्स भी बनाये हैं इसलिये कि वे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को सहायता पहुंचायें और उसके लिये हमने अलग से फंड दिये, लेकिन हमने देखा कि वह फंड सब बड़े उद्योगों में चला गया। यह पंडित जी के शब्द हैं कि हम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो सहायता पहुंचाना चाहते थे वह नहीं पहुंचा पाये। इंस्टीट्यूशन्स का जिक्र उन्होंने किया है। मैं नहीं कह सकता कि वे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन कहना चाहता हूं अपनी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से एक जवाब मिला अभी, बहुगुणा जी और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जो ३७ लाख रुपया प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गुड़ डेवलपमेंट में खर्च होने वाला था वह इसलिये नहीं हुआ कि आल इंडिया खादी कमीशन जो है उसने उस रुपये को नहीं दिया। गुड़ डेवलपमेंट के लिये तो उसने वह रुपया नहीं दिया और इसके बाद अगर बहुगुणा जी और पंडित जी की बात को एक जगह किया जाय, तो देखा जाना चाहिये कि क्या नतीजा उसका निकलता है। जब यह सवाल उस सवाल पर पूछा गया कि कितना रुपया प्रथम और दूसरी योजना में खर्च होने वाला था और कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने बतलाया कि ३७ लाख रुपया खर्च होने वाला था जिसमें से १९ लाख खर्च हुआ और १८ लाख खर्च नहीं हुआ है। मैंने पूछा कि इस साल या डेढ़ साल में, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बाकी समय है, क्या यह खर्च हो सकेगा तो उन्होंने कहा कि यह कहा नहीं जा सकता, कोशिश की जायगी।

मैं समझता हूं कि अगर खादी कमीशन ने गुड़ डेवलपमेंट की स्कीम पर जो रुपया खर्च होने वाला था उसको नहीं दिया और पंडित जी का यह कहना कि वह बड़ी इंडस्ट्रीज को दे दिया गया, इन दोनों बातों से मैं अब नतीजा निकालना चाहता हूं कि वह इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र पंडित जी ने किया है क्या उससे भी बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन हमारी सरकार बनाने जा रही है ? इस इंस्टीट्यूशन में ५ तो सरकारी सदस्य होंगे---वित्त सचिव, उद्योग सचिव, उद्योग संचालक, विकास आयुक्त तथा निबंधक, यह लोग होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री के तथा दूसरी संस्थाओं के लोग होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ५ सदस्य सरकारी हैं, इनकी राय तो आपको

[श्री गेंदा सिंह]

पहले भी हासिल थी। यह जो और ९ आदमी चुने जायेंगे, उनकी क्षमता पर चाहे सरकार को विश्वास हो, लेकिन हमको यह सोचने का हक है कि हमको उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं है और मैं सोचता था कि इस बोर्ड के बनाने का कुछ दूसरे प्रकार का ही संगठन होना चाहिये था। जब इस पर क्लाज वाइज डिस्कशन होगा तब मैं उस बात पर रोशनी डालूंगा कि किस प्रकार का संगठन होना चाहिये था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के किसी भी संगठन का नाम इस विधेयक में नहीं है। जो यह विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनसे संबंध रखने वाले किसी आदमी को इसमें नहीं रखा गया है और यह मुनासिब नहीं समझा है कि इस सदन में उनका जिक्र करें। मैं समझता हूं कि इस सदन में उनका जिक्र सरकार को करना चाहिये था।

श्रीमन्, मैं सरकार के किसी व्यक्ति की नीयत पर हमला करने का इरादा नहीं रखता हूं, लेकिन सरकार की जो इंडस्ट्रियल पालिसी को इमदाद करने की जो पालिसी है, जिसका जिक्र भी किया जा चुका है, जिसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जा चुका है, माननीय जगदीश शरण जी इस समय यहां हैं, कालीचरण अग्रवाल जी नहीं हैं, मैं इनको गवाह के रूप में खड़ा करूंगा, और मैं समझता हूं उनको इस बात को कहना चाहिये कि गुड़ और खांडसारी उद्योग के साथ इस सरकार की क्या पालिसी रही है? कितनी उपज उसकी होती है और कितने लाख आदमी उसमें लगे हुये हैं, कितने लोगों को कितने महीनों के लिये रोजी मिलती है?

सारे प्रदेश में सन् ५६ में ३,५०,००० (तीन लाख पचास हजार) कोल्हू चल रहे थे। उन कोल्हुओं को मदद करने के लिये कुछ थोड़ी सी रकम रखी गयी लेकिन उस रकम को सरकार ने जबरदस्ती खर्च नहीं किया। किसने खर्च नहीं किया। इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट ने खर्च नहीं किया, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी ने खर्च नहीं किया। मैं साफ कहना चाहता हूं, क्यों नहीं खर्च किया गया? माननीय बहुगुणा जी अपने भाषण में यह बतायें कि खादी कमीशन ने अगर यह रुपया नहीं दिया तो क्या इसकी शिकायत गवर्नमेंट आफ इन्डिया से की गयी? और अगर शिकायत की गयी, तो शिकायत करना ही काफी नहीं है, क्या सरकार ने इस हाउस को कान्फीडेन्स में लिया या नहीं? अगर यह बात हाउस को मालूम होती तो हो सकता है कि कोई और बात निकाली जाती।

मैं यह कहना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट कि सरकार का इरादा था बड़ी इंडस्ट्री को मदद करने का और बड़ी इंडस्ट्री के इशारे पर सरकार ने यह काम किया कि कोल्हू को डिस्करेज किया। इतना ही नहीं, जितना उसको खर्च करना चाहिये था उस कोष में जिसमें हम कर का रुपया देते हैं, उस थाती को हमसे लिया और लेने के बाद उस गरीब उद्योग में जो मदद करनी चाहिये थी वह नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ उन करोड़पतियों की मदद उसने की और अगर ७ बैल का कोल्हू लगा है तो उस पर टैक्स लगाया, फारवर्ड मार्केट कमीशन बनाया और कीमत बढ़ने लगी गुड़ की तो उसको गिराया। तो मैं साफ साफ इल्जाम लगा रहा हूं, सरकार जवाब दे, इधर उधर भटकने से कोई काम नहीं चलेगा।

खांडसारी के साथ आपने क्या बर्ताव किया? क्या गुड़ खांडसारी और चीनी का व्यापार सिर्फ उत्तरप्रदेश में होता है? आंध्र में भी होता है, बिहार और बम्बई में भी होता है। पावर क्रशर्स के ऊपर यू० पी० में तो यह जुल्म किया कि नहीं चलने देंगे। बहुगुणा जी को कम से कम बरेली के उस सम्मेलन में जिसमें पाटिल साहब तशरीफ लाये थे और हजारों आदमी इकठ्ठे हुए थे गुड़ और खांडसारी वाले, वहां जाने के लिये उनको समय निकालना चाहिये था। इंडस्ट्री के सर्वेसर्वा बहुगुणा जी हैं। मैं भी दौड़ा गया, मैंने तो कह दिया था कि बुलवाओगे तब भी जाऊंगा और न बुलवाओगे तब भी जाऊंगा, वहां तो गुड़ खंडसारी वालों का नाम है, मैं जाकर बैठूंगा जरूर। मैं उम्मीद करता था कि वह जायेंगे लेकिन वह गये नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारी तरफ से तो आप चले गये!

श्री गेंदासिंह—जो काम आप कर सकते हैं मैं तो नहीं कर सकता, यह ठीक है कि म आपकी तरफ से गया। लेकिन जो मैंने पाटिल साहब से कहा उसको भी सुन लीजियेगा तब कहियेगा कि किसकी तरफ से गया था। जगदीश शरण जी से पूछ लीजियेगा कि मैंने क्या कहा। तो खांडसारी के संबंध में कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में ही तो नहीं है खांडसारी यह लाइव स्टाक सेंसस रिपोर्ट है १९५६ की, वह मैं उनकी सेवा में भेजता हूं, इसमें पावर क्रशर की भी गिनती है।

हमारे यहां १९५१ में ५,०८६ पावर क्रशर चल रहे थे, १९५६ में २,५७८ हो गये। ये फिगर मेरी नहीं है, आपकी हैं। अगर गलत हो तो सुधार लें। जब हमने पंचवर्षीय योजना में कोशिश की कि छोटी इंडस्ट्री को मदद करें तो पांच साल में आधी संख्या रह गयी। बिहार में उसी अवधि में १९५१ में संख्या १,७३१ थी वह १९५६ में ४,४२७ हो गयी और बम्बई में थी १९५१ में ६,५६५ और १९५६ में ६,११९ हो गई, ४०० कम हुई। लेकिन बहुगुणा जी की जानकारी में यह बात है और इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट समझता है कि जितनी शुगर इंडस्ट्री देश में कुल थी उसकी ३० परसेंट से अधिक बम्बई में खुली। उसके बाद भी ४०० पावर क्रशर कम हुए लेकिन उत्तर प्रदेश में १९५१ के बाद १९५६ में २५०० पावर क्रशर कम हुए। इनमें कोल्हू भी कम हुए। कोल्हुओं में ज्यादा कमी तो नहीं हुई लेकिन कमी हुई और वह अपनी कजा पर जिन्दा रह गये। तो मैं कहता हूं कि मैं जो यू० पी० की सरकार के खिलाफ इल्जाम लगाऊं उसे उसको अपने कागजों के आधार पर स्वीकार करना चाहिये और अगर सरकार उसको मानेगी तो अपनी गल्ती का आगे बन्दोबस्त कर ले और अगर इल्जाम को नहीं मानेगी तो फिर बड़ी कठिनाई होगी कि वह उस इलाज को करे।

इस बोर्ड के सिलसिले में जो उद्देश्य दिये गये हैं कि आप अनइम्प्लायमेन्ट को दूर करना चाहते हैं, आप गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, गांवों में उद्योग धन्धों को बढ़ाना चाहते हैं, यह सारी चीजें हैं। आपके उद्देश्य तो पवित्र हैं लेकिन जिस तरह से आपकी कार्यशैली है उससे तो गांव वालों के धंधों को चौपट करना है। मैं बड़े प्वाइन्टेडली सवाल कर रहा हूं कि आखिर सरकार को बताना चाहिये कि अगर वह गुड़ की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहती है जिसमें चार करोड़ मन गुड़ तैयार होता है हमारे सूबे भर में और मोटे तौर पर इसमें १२ लाख आदमियों को रोजी मिलती है ६ महीने के भीतर।

जिस उद्योग में १२ लाख आदमियों को ६ महीने का रोजगार मिलता हो उसको बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या किया? क्या पिछले दो तीन वर्षों में गुड़ के डेवलपमेन्ट की कोशिश की गई? इसमें कुछ लोग निकाले गये या नहीं और इस साल भी कुछ लोग निकाले गये या नहीं, इसको भी उद्योग मंत्री जी बतलायें। क्या इस विभाग को जो पिछले १०–१५ वर्षों से चल रहा है परमानेन्ट किया गया? उद्योग मंत्री जी की तरफ से जबाब होता है कि जरूरत नहीं समझी गई कि इसको स्थायी किया जाय। क्योंकि यह डिपार्टमेन्ट गुड़ वालों की, गरीब आदमियों की मदद करता है इसलिये उन्होंने इसको परमानेन्ट करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन ऐसे डिपार्टमेन्ट्स को जिनकी कि कतई हमारी निगाह में जरूरत नहीं थी उनको स्थायी करने की जरूरत उनकी निगाह में थी। मैं समझता हूं कि सरकार खादी या किसी दूसरे ग्रामोद्योग की तरफ अच्छी निगाह से नहीं देखती है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अभी जब कामर्स और इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री पर बहस हो रही थी तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने यू० एस० ए० का उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि वहां पर श्रीमन् जो लोहे और स्टील की इनडस्ट्री है उसमें ५० यूनिट्स ऐसे लगे हैं जो छोटे छोटे हैं और वह लोहे और स्टील की बड़ी इन्डस्ट्री से कम्पीट करते हैं। एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज के लिये हजार मर्तबा वहां चर्चा की गई है कि इस तरह की इन्डस्ट्रीज चलाकर, बड़ी इन्डस्ट्रीज वहां लगावो जहां छोटी इन्डस्ट्रीज को मदद की जाय

[श्री गेंदा सिंह]

लेकिन हमारे यहां सरकार छोटी इन्डस्ट्रीज को मदद नहीं कर सकती है। वह छोटी इन्डस्ट्रीज की मौत पर जिन्दा रहेगी और सरकार डंडा लेकर कंधे पर शुगर इन्डस्ट्री को ढोयेगी।

उसी तरह से मैं टेक्सटाइल इन्डस्ट्री की भी बात कहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि जो रकम टेक्सटाइल हैन्डलूम में खर्च करनी चाहिये थी वह रकम खर्च नहीं की गई? इवलुएशन कमेटी के मेम्बर साहब माननीय बहुगुणा जी के बगल में बैठे हैं, जरा वह याद करें कि हैन्डलूम पर और करघों पर जितना रुपया खर्च करना था सरकार को पिछले वर्षों में वह रुपया सरकार ने खर्च किया या नहीं। अभी उसी दिन इस सदन में किसी ने कोल्हू के संबंध में सवाल पूछा था तो बहुगुणा जी की तरफ से जबाब मिला था कि यह सिर्फ गोरखपुर और आजमगढ़ तक सीमित है और उस दिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं और कई तरह की दिक्कतें हैं जिनके कारण उस रुपये को खर्च नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं---वह हाथ डुला रहे हैं---कि क्या हैंडलूम पर जितना फाइव ईयर प्लान में खर्च करना था वह खर्च किया गया या नहीं और अगर नहीं खर्च किया गया तो क्यों नहीं खर्च किया गया? मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये जितनी रकम इस सदन से मांगी जाती है, और सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये ही नहीं किसी काम के लिये भी, जितना मांगा जाता है उसको हम इन्कार नहीं करते, उस खर्चे को हम कबूल करते हैं सरकार की इच्छा के मुताबिक....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आप इन्कार करते हैं लेकिन वह पास हो जाता है।

श्री गेंदासिंह---कई चीजों को हम कबूल भी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---इस तरह की बात तो गेंदा सिंह जी सदन की तरफ से बोल रहे हैं कि हम पास कर देते हैं।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने एक सही रूलिंग दे दी। और वह तो सदन दे देता है आपको, हम इंकार करें या न करें वह सब की तरफ से इकरार ही हो जाता है, लेकिन उस रकम को आप खर्च नहीं करते हैं। अब इसको हम इनएफीशियेंसी कहें या नीयत की खराबी कहें, दोनों में से आप कुछ भी मान लें। मैं नहीं कहता कि आपकी नीयत खराब है लेकिन अगर जानबूझ कर आप उसको करते हैं तो आप उसमें सुधार कर लें। अगर इसमें सुधार हो सके तो अच्छा है।

एक बात को कहते हुए मुझे कुछ डर सा लगता है। बोर्ड के द्वारा जो कर्जे दिये जायंगे क्या वे कुछ रूठे हुए लोगों को मनाने के लिये तो नहीं दिये जायेंगे? वे ऐसे लोगों को न मिलें और ऐसे लोगों को मिलें जिनको वास्तव में इस काम के लिये आवश्यकता है, इस प्रकार का कोई प्रावीजन इस बिल में नहीं है, वह करना चाहिये।

एक बात और है और उपाध्यक्ष महोदय, वह आपसे ज्यादा ताल्लुक रखती है। उद्योग मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि पांच सौ रुपया से ज्यादा तनख्वाह देने की अगर बोर्ड की तबियत हो तो वह राज्य सरकार से सलाह ले। मैं पूछना चाहता हूं कि पांच सौ रुपये से ज्यादा देने की बोर्ड की तबियत ही क्यों हो? ग्रामोद्योग में आज मैं गांधी आश्रम को आदर्श समझता हूं। माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी इस समय यहां तशरीफ नहीं रखते। उन्होंने जरूर इस माने में गांधी आश्रम की मान्यताओं और सिद्धान्तों की अवहेलना की है कि वे १२ सौ रुपया, १५ सौ रुपया, तनख्वाह ले रहे हैं। आश्रम में ५०० रुपये से ज्यादा कोई वेतन नहीं लेता है। गांधी आश्रम में डिस्पेरिटी है इसलिये ही वहां पर असंतोष है।

फैजाबाद की बात तो आप जानते ही होंगे ? हम लोगों की जो स्पिरिट है उसको आपने, श्रीमन् कायम रखा है किन्तु आपने ऐसा काम किया है जिसका अनुकरण इस खादी और ग्रामोद्योग में होना चाहिये। आपको १ हजार रुपया मिलना चाहिये था लेकिन आपने केवल ५०० रु० कबूल किया। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में ५०० रु० से ऊपर की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये क्योंकि ग्रामोद्योग बोर्ड का संबंध गांवों से होगा और उस संबंध को हम कायम रखना चाहते हैं सच्चे माने में। इसलिये उसमें ५०० रु० से ऊपर तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। मालूम होता है कि सरकार का कुछ इरादा ५०० रुपया से ज्यादा तनख्वाह देने का है नहीं तो सरकार अपनी तरफ से उसमें इशारा क्यों रखती ? अगर नहीं है तो इस झगड़े को इसमें रखा ही क्यों जाता है कि ५०० रुपये से ऊपर हो तो सरकार की सलाह ली जाय।

कुछ चर्खा केन्द्र खोले गये। वे खोले गये उन लोगों के लिये, उनकी सहायता के लिये जो विधवा हों, अनाथ हों, जिनकी जीविका का कोई साधन न हो, बाढ़ या दूसरे प्रकार से जो लोग मुसीबत में हों। अब एक एकोनामी ड्राइव चला। यह भी तय हुआ कि बड़ी मोटरें सरकारी अफसरों के पास नहीं रहेंगी लेकिन वे तो फिर चली गयीं। लेकिन इधर एकोनामी हुई चपरासियों और चर्खा कातने वालियों पर। वे सरकार की तरफ से कुछ सब्सीडी पाती थीं, उसको सरकार ने बन्द कर दिया और इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह आगे रेस्टोर न होने पाये। मुझे तो यह जानकारी है। और फिर उस इकोनामी को मैं इकोनामी नहीं समझता मैं समझता हूं कि उससे गरीबों की हत्या हुई। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी कहीं गुंजायश नहीं है और फिर उसी इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट को सारा का सारा इसका इंचार्ज बना दिया गया है।

इस विधेयक में श्रीमन्, आप देखें कि सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन कहीं यह चर्चा नहीं है कि मजदूर जो इस काम में लगेंगे उनके लिये बोर्ड कुछ कर सकेगा। अगर कोई चर्चा हो तो माननीय बहुगुणा जी बतलावें, मैं अपनी गलती ठीक कर लूंगा। मैंने बहुत मेहनत करके इस विधेयक को पढ़ा है। बोर्ड सब कुछ तय करेगा लेकिन यह नहीं तय कर सकता है कि कतिनों को कितना पैसा मिलना चाहिये। कहा जाता है कि गांधी जी के इरादे के अनुसार बोर्ड बनेगा और इससे गांधी जी का स्वप्न पूरा हो जायगा लेकिन जो कतिने हैं, जो कातने वाले हैं या जो आदमी उसमें काम करने वाले हैं गुड़, खांडसारी या बेंत का काम करने वाले हैं, रुई, सन, सूत की बात तो शैड्यूल में रखी हुई है कि उन सारी बातों को बोर्ड करेगा लेकिन उन मजदूरों की मजदूरी की बात को बोर्ड छुयेगा भी नहीं इसकी क्या वजह है ?

यह विधेयक जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक का लाना अच्छा है, यह विधेयक अच्छा है लेकिन इसका जो स्वरूप है वह खराब है। इसका यह स्वरूप नहीं होना चाहिये, इसके स्वरूप को बदलना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसीलिये अवस्थी जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को यहां हाउस में बदलने में दिक्कत होगी, और हमने इस विधेयक पर १४,१५ अमेंडमेंट्स भी भेज रखे हैं जो जल्दी में छपे नहीं हैं, शायद इस उम्मीद में कि आज इस विधेयक पर दूसरे रूप में बहस होगी, दूसरे दिन वे अमेंडमेंट्स आवेंगे। तो उन अमेंडमेंट्स को कबूल करने के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी को तैयार रहना चाहिये और खड़े होकर नहीं बल्कि बैठ कर सेलेक्ट कमेटी में इस पर सोचना चाहिये कि पिछली गलतियों को हम फिर यहां नहीं दोहरायें।

एक बात इसमें यह है कि इस डिपार्टमेन्ट का बजट बगैर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की मंजूरी के पास नहीं होगा। इसमें लिखा है कि बिना उनके माध्यम के बजट मंजूर नहीं होगा। यह क्या बात है ? श्रीमन्, उसी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को सरकार माध्यम बनाना चाहती है जिन्होंने गुड़, खांडसारी आदि सब चीजों की बधिया बैठा दी ? अगर आप उन सज्जन को

[श्री गेंदासिंह]

माध्यम बना दें जो कि बगल में बैठे हुये हैं, और आजमगढ़ से आते हैं तो शायद गरीबों की कुछ मदद हो जाय लेकिन आप उनको माध्यम बनाना चाहते हैं जिनकी खादी से दुश्मनी है। आप पूछिये, डायरेक्टर साहब कभी खादी पहनते हैं ? शायद खादी हुंडी बेंचने में बहुत जोर दबाव पड़ता हो। गुड़ खाने की तो शायद उन्होंने कभी तकलीफ ही न गवारा की होगी। बरेली में गया था तो वहां गुड़ उद्योग के ऊपर एक छपी हुई किताब मिली जो शायद इस सदन के किसी माननीय सदस्य को हासिल नहीं हुई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी न मिली होगी। तो उनको छाप कर बांटा जाता है प्रचार करने के लिये। पाटिल साहब ने कहा है प्रोपेगेंडा की बात नहीं होनी चाहिये। तो श्रीमन्, मैं किसी भी हालत में इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि डायरेक्टर साहब को इस विधेयक का नायक बना दिया जाय, वे नायक नहीं बन सकते। अगर आप सचमुच खादी और ग्रामोद्योग के काम को आगे बढ़ाना चहते हैं तो जैसा कि मैंने संकेत किया, माननीय उद्योग मंत्री जी इसके ऊपर विचार करें और विचार करके माननीय मोतीलाल अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करके विधेयक को सुधारें।

आखिर में मैं एक बात और कहूंगा, वह बात मुझे बहुत चुभी कि गैर सरकारी लोग जब यह सरकार चाहे निकाले जा सकते हैं लेकिन जो सरकारी लोग हैं वे इस बोर्ड से कभी नहीं निकाले जा सकते। आज वह उल्टे चलें, सिर के बल चलें, किसी तरह से चलें वह नहीं निकाले जा सकते। इस बिल में ऐसा है, न हो तो मुझे बताया जाय। मैं तो कहता हूं कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज या यह जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे जितने लोग हैं, अगर हमारा बस चले तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और ग्राम उद्योग से उन्हें निकाल कर पहले बाहर कर दें। बिना उनको निकाले यह उद्योग पनपेंगे नहीं, वह तो बड़ी इंडस्ट्रीज वालों से मिले हुये हैं, मैं आप से साफ कहे देता हूं। एक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब बड़ी जगह पहुंच गये हैं, मैं उनके पास एक बार गया, चौधरी साहब कोई थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता जिस वक्त मैंउनके पास गुड़ गन्ने की बात कहने गया तो उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, इस पर मैंने सोचा कि और खड़ा रहता हूं तो मेरी तौहीन है या उनकी तौहीन है, मैं हंसता हुआ वहां से निकल आया। जब उन्होंने मुझे डांट पिलाई तो मैं समझा कि मुझसे कुछ गुस्ताखी हो गई है। बाद को मालूम हुआ कि वह गुस्ताखी मुझ से ही नहीं हुई उनसे रोज होती है। उन्होंने आखिरी दम तक शुगर इंडस्ट्रीयलिस्ट्स की मदद की। (एक आवाज साढ़े १७ लाख रुपया खा गये।) उनकी मदद वह बराबर करते हैं।

केन्द्रीय सरकार का प्राइस लिन्किंग फारमूला था और उस में च्वाइस दे रखी थी कि इस फारमूले के मुताबिक डिफर्ड पेमेन्ट गन्ना उत्पादकों को दिलाया जाय। अगर स्टेट गवर्नमेन्ट चाहती है कि आल्टरनेटिव फारमूला बनाया जाय तो उसकी प्लान बनाकर केन्द्र को भेजी जाय और उसके मुताबिक पैसा बटवा दें। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो उस ५८–५९ के स्टेट्यूटरी फारमूले को न तो आज तक बदला गया और न शुगर केन बोर्ड की सर्वसम्मत्ति को ही माना गया और हर चीज को टाला गया। उसी उद्योग सचिव को फिर इस बोर्ड में लाकर क्यों रखा जा रहा है, उन्हें तो बड़े उद्योगों का खयाल है, इस काम के लिये दूसरे लोगों को रखें, ऐसे आदमी रखें कि जो छोटी इंडस्ट्रीज को मदद कर सकें। अन्त में माननीय बहुगुणा जी से इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसका वह उत्तर देने की अवश्य कोशिश करें, वह इधर उधर हमें बहका तो सकते हैं, उनकी वाक्शक्ति बहुत तेज है, तो बहुत ब्योरे में न जाकर वह हमारी बातों का उत्तर दें और जो गलत कहा हो वह ठीक कर दें।

मैं माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वह खांडसारी गुड़ वालों के प्रतिनिधि हैं, वह कम से कम इस सदन में उनका ऐसा प्रतिनिधित्व अवश्य करें कि जिससे सचमुच खांडसारी और गुड़ वालों का भला हो।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । परन्तु मुझे खेद है कि इसके सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता ।

श्रीमन्, देश की एक महान समस्या को समझने के लिये मैं कुछ वस्तु स्थिति सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं । आज हम सभी जानते हैं कि ग्रामों में, हमारे देश की और हमारे प्रदेश की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है और यह भी हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अधिकांश लोग भूमि पर निर्भर करने वाले हैं और उनका औसत इन १० सालों में घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है । यह भी हम जानते हैं कि जिस प्रदेश में अधिक लोग भूमि पर अवलम्बित हैं उस प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता । यह ऐसी कुछ मौलिक बातें हैं जिनके संबंध में कुछ अधिक मतभेद नहीं है ।

आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें इस प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना है तो सबसे पहले हम भूमि पर बढ़ते हुये भार को रोकें और भूमि पर जो लोग अवलम्बित हैं उनकी संख्या को कम करें और उन्हें दूसरे कामों में लगायें । हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम उन भूमि पर अवलम्बित व्यक्तियों को उस काल के लिये जब कि उनके पास काम नहीं होता है काम भी प्रोवाइड करें । आज इस देश के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये भी जो प्रयत्न हो रहे हैं और हमारे सामने जो आर्थिक कठिनाइयां है उनमें हमारा एक ही बल है और वह है मैन पावर । हमारे पास जो मनुष्य की शक्ति का बल है उसी को हम मोबीलाइज करके, उसी को संगठित करके इस देश की गरीबी और भुखमरी को दूर कर सकते हैं । इस संबंध में मैं समझता हूं कि कुछ अधिक मतभेद नहीं है ।

आज से कोई ५ साल पहले छोटे और गृह उद्योगों के लिये मैंने इस सदन में एक प्रस्ताव रखा था, एक रूपरेखा रखी थी कि किस रूपरेखा पर सरकार को छोटे और गृह उद्योगों को संगठित करना चाहिये । उसमें इलैविन पाइंट प्रोग्राम जो हमने रखा था आज ५ साल में उसमें कितना काम हुआ है इसका हमें थोड़ा सा रिव्यू कराना आवश्यक है । मैं यहां केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सामने कुछ मौलिक समस्यायें हैं और कुछ मौलिक प्रश्नों को हमें तय करना है । चाहे हैन्डलूम बोर्ड की बात हो, चाहे खादी का काम हो या ग्राम-उद्योग और छोटे छोटे उद्योगों को संगठित करने का काम है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारी जो योजना है उसको देखते हुये हम यह निश्चय करें कि हमारे नक्शे में कौन सा स्थान बड़े उद्योगों के लिये होगा, कौन सा छोटे उद्योगों के लिये होगा और कौन सा स्थान हम गृह उद्योग और ग्राम उद्योग के लिये रखना चाहते हैं । मुझे खेद है कि आज तक इस संबंध में हमारे सामने जो नक्शा है वह बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है । बहुत सी कठिनाइयां हैं । मैं जानता हूं, वह कार्य हमारे प्रदेश की सरकार का ही नहीं है । प्लानिंग कमीशन के सामने से जो नक्शा बन कर आता है उसी पर हमारी सरकार कार्य करती है, उससे अलग इधर उधर जा कर कुछ नहीं कर सकती । आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से और नान-आफिशियल तरीके पर हमने ग्राम उद्योगों और खादी को संगठित करने का प्रयास किया । गांधी जी का जो संदेश था वह तो जीवन को पैदा करने वाला था और उसके आधार पर इस देश में कुछ प्रयत्न भी हुये ।

आज हम दूसरे देशों का साहित्य पढ़ते हैं, उनकी योजनाओं को देखते हैं, जैसे अमेरिका और रूस, उनके कदमों पर चलना चाहते हैं । परन्तु हमें यह भी देखना है कि रूस और अमरीका की समस्यायें हमारे यहां की समस्याओं से भिन्न हैं । उन देशों में काम और साधन बहुत हैं, मनुष्य बल कम है जब कि इसके विपरित हमारे देश में शक्ति, साधन कम है लेकिन मनुष्य बल बहुत अधिक है । उसका उपयोग किस तरह से किया जाय यह समस्या हमारे सामने है । जैसे जैसे आबादी बढ़ती है बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है । तो उसको दूर करने के लिये इसमें कोई शक नहीं कि अगर देश में औद्योगीकरण ले आना है तो हमें बड़े उद्योगों का भी प्रयोग करना पड़ेगा । इसलिये हमने मिक्स्ड इकोनोमी को ग्रहण किया है ।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

बहुत से और सवालात हैं जिसको अभी तक तय नहीं किया गया । जैसे कपड़े का उद्योग है । अगर खादी को बल देना है, हैन्डलूम इंडस्ट्री को बल देना है तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि किन किन स्थानों पर उनके बने हुये माल का उपयोग करना चाहिये ताकि उसमें मिल के कपड़े का प्रवेश न हो पाये। तब तो खादी को बल मिलेगा, उनके लिये मार्केट होगा और फिर सरकार को भी रिबेट, या स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी । इसलिये इसको अवश्य तय किया जाय । अगर ऐसा होगा तो देश में छोटे उद्योग धंधों में लोग खुद ब खुद काम करते हुये पाये जायेंगे । हमारा यह भी दिमाग साफ होना चाहिये कि ग्राम उद्योग से क्या मतलब है । क्या हमारे सामने एक ही नक्शा है कि जो पुराने तरीके पर उद्योग चलते आ रहे हैं उसी तरीके पर उनको चलायें ? मेरा खयाल है आज टेक्नालाजीकल ऐडवांसमेंट के युग में यह असम्भव है । जो लोग इन कामों में लगे हुये हैं स्वयं उनके दिलों में इस बात का विश्वास नहीं है कि, छोटे उद्योग और ग्राम उद्योगों का संचालन इस तरह से किया जा सकता है जिससे कि जीवन स्तर इस देश को ऊंचा उठ सके ।

मैंने काफी लोगों से इस सम्बन्ध में समय समय पर इन स्कीम्स व योजनाओं को चालू करने की जिम्मेदारी जिन पर है उनसे बातें की हैं और मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि उनके दिल में कोई जोश नहीं है, उत्साह नहीं है । तो आखिर इन ग्रामोद्योगों का रूप क्या होगा ? लम्बी व्याख्या करके मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी बड़ी मिलों का कर दें ।

जो लोग यह सोचते हैं कि हम बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, हम मशीन का उपयोग नहीं करेंगे यह गलत है और न कभी गांधी जी ने ऐसा कहा है । आप को याद होगा कि आचार्य विनोबा जी ने कहा कि हमको अगर छोटे उद्योगों का संचालन करने के लिये आटोमिक एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा तो हम उसका भी उपयोग करेंगे । तो जो लोग ऐसा समझते हैं उनका दिमाग साफ होना चाहिये कि हम जो यह चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी मिलें डिसेंट्रलाइज होना चाहिये उसका अर्थ यही है कि गांव गांव में हम मिलें फैला दें । बिजली का वहां उपयोग हो और घर घर में काम हो । काटेज इंडस्ट्रीज का मतलब यह नहीं है कि पुराने तरीके का ही हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि काटेज इंडस्ट्रीज का मतलब यह है कि एक काटेज पर जो काम हो सके वह किया जाय और उसमें दूसरे लोगों का एक्सप्लायटेशन न हो और अधिक से अधिक लोगों को हम उसमें रख सकें । यह काटेज इंडस्ट्रीज का हमारा रूप होना चाहिये ।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो हमारी योजना तैयार हो उसे हमको १०, २०, ५० गांव को लेकर चालू करना चाहिये और फिर देखें कि वास्तव में वह योजना देश के लिये उपयोगी हो सकती है या नहीं और यह भी देखें कि हम इस देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की हैवी इंडस्ट्रीज का भी मुकाबला कर सकते हैं या नहीं । आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जापान ने केवल इसी देश में नहीं, एशिया में नहीं बल्कि तमाम यूरोप के बाजारों को अपने माल से पाट दिया था और उसका मुकाबला करना वहां के इंडस्ट्रीयलिस्ट के लिये एक समस्या हो गई। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और हमारे सामने नीतियों का निर्देशन नहीं है कि क्या नीतियां होंगी, किस तरह से ग्रामोद्योग होगा ? यह विषय है विचारणीय । एक बात जरूर गेंदा सिंह जी ने कही और वह यह कि इस कार्य में, इस ग्रामोद्योग में उन लोगों को ही लगना चाहिये जिनको दिल से इसमें विश्वास हो ।

मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह कि जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज होंगी, उनमें आपने प्राइस प्रिफरेंस देने की नीति का निर्धारण किया लेकिन मुझे खेद है कि उसका वास्तविक प्रयोग नहीं हो सका । उसका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिये । रिबेटिंग का जहां तक सम्बन्ध है, उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है । खादी में तो शायद उसका इतना ज्यादा दुरूपयोग इसलिये नहीं हो सका क्योंकि खादी आश्रमों में कार्यकर्त्ताओं का एक ऐसा समूह है जिस पर हम अवलंबित हो सकते हैं लेकिन हैंडलूम बोर्ड में इसका काफी

दुरुपयोग हुआ है। हैंडलूम बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से मुझे कुछ शहरों में जाने और देखने का मौका मिला, लेकिन जो मैंने वहां देखा उससे मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रिबेटिंग एक सही रास्ता नहीं है। उससे बहुत सी खराबियां और समस्यायें पैदा हो सकती हैं। हां, प्राइस प्रिफरेन्स जो गवर्नमेंट ने दिया उसका अधिक उपयोग होना चाहिये था।

एक बात मैं और कहना चाहता था जैसा कि मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि हमारा यह प्रदेश देश के और प्रदेशों के मुकाबले में छोटे उद्योग-धन्धों के लिये खासतौर से उपयुक्त है। लेकिन इसके लिये जरूरत इस बात की है कि यहां एक टूल मशीन फैक्टरी का निर्माण किया जाय जिसमें छोटी छोटी मशीनें बनायी जायं जिनका गांवों में उपयोग किया जा सके चाहे उनमें कुछ हाथ से भी चलने वाली हों और कुछ बिजली से चलने वाली हों। इस सम्बन्ध में हम जापान और दूसरे देशों से काफी सहायता ले सकते हैं।

दूसरी बात मुझे बिजली के सम्बन्ध में कहनी है। अगर आप वाकई में इन योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको गांवों में भी बिजली पहुंचानी पड़ेगी और वह बिजली केवल आटे की चक्की या तेल का कोल्हू या इसी तरह के काम के लिये नहीं बल्कि और कामों के लिये भी देनी पड़ेगी और उसके लिये अगर आपके पास छोटी छोटी मशीनें किस्तों पर देने के लिये हों, तो बहुत काम हो सकता है।

एक बात और मुझे मार्केटिंग के सिलसिले में कहनी है। मुझे याद है कि जापान से एक डेलीगेशन आया था और उसने भी इस बात पर काफी जोर दिया था कि यहां जो मेन्यु-फैक्चरर्स हैं और खासतौर से छोटे और ग्राम उद्योगों के उनका एक कोआपरेटिव बेसिस पर संगठन होना चाहिये जो कि मार्केटिंग की व्यवस्था करें। इसमें आपने एजेन्सी कायम की है। उस पर माननीय गेंदा सिंह जी ने थोड़ी सी आलोचना इस बात की की कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज एक एजेन्सी रहेगा।

मैं समझता हूं कि इसका ज्यादा रूप आये तो पता लगेगा, लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि इस कार्य को ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देना चाहिये जो इसमें विश्वास करते हों तो वह अवश्य सफल होंगे। बाकी इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जरूर सहयोग करे और इसका नियोजन भी करे, लेकिन उसके हाथ में बिलकुल ही दे देने यानी गवर्नमेंट मशीनरी में डाल देने से सफलता नहीं मिलेगी। जो बिल आपने पेश किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस भावना से और प्रेरणा से आपने इस बिल को पेश किया है अगर उसी भावना से और प्रेरणा से कार्य किया जायगा तो हमारे प्रदेश में जो एक बहुत दिनों का स्वप्न है वह हमें पूरा होता दिखाई देगा। गांव गांव में जो बेकार लोग हैं उनको हम छोटे छोटे काम देकर या किसानों को उनके खाली समय में इन कामों में लगाकर उनकी जीविका के साधनों को बढ़ाने में हम उनको मदद कर सकेंगे। ऐसी मेरी आशा है और इसी आशा के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सरकार की ओर से पेश हुआ है उसकी भावना का मैं आदर करता हूं, स्वागत करता हूं और जो उद्देश्य इसके कहे गये हैं वह बहुत ऊंचे और अच्छे हैं। लेकिन श्रीमन्, दिक्कत एक पड़ती है कि दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। जो दिक्कत हमारी ओर से यानी विरोधी पक्ष की ओर से आई वह यह है कि जो बोर्ड बनेगा और जो उसके नान आफीशियल मेम्बर्स होंगे उनके छांटने की ताकत राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। इससे ही ज्यादा विरोध मालूम होता है और बिल से कम।

श्रीमन्, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। अभी एक समिति बनी जिसमें दस एम० एल० एज० और दस एम० पीज० रखे गये और दस अन्य लोग रक्खे गये, जो आदमी रखे गये उनमें सिर्फ कल्याणचन्द मोहिले जी को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

थे। ऐसे ही आर० टी० ए० में जितने आदमी हैं उनमें से एक भी विरोधी पक्ष का नहीं है। पुलिस कमीशन बना उसमें केवल नारायणदत्त तिवारी जी नाम के ले लिये गये और कोई नहीं लिया गया। मैं गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी ऐसे सदस्यों को केवल खुश करने के लिये लेते हैं जैसे उक्त कमेटी में भी ऐसे आदमी ले लिये गये हैं कि कार्यवाही कमेटी की अंग्रेजी में चलती है और वह चुपचाप बैठे रहते हैं। श्रीमन्, सरकार ने ऐसी कमेटी छांटने की ताकत अपने हाथ में ले ली है। मद्य निषेध की कमेटी बनी उसमें भी विरोधी पक्ष का कोई नहीं लिया गया। वेयरहाउसेज के सम्बन्ध में कमेटी बनी उसमें भी विरोधी दल का कोई आदमी नहीं लिया गया। व्यक्ति विशेष के जबकि एक खास जिले व तहसील के ज्यादा लोग रक्खे गये ऊंचे ओहदे पर इसमें जमाई तक रख लिये गये।

इसी तरह से बदरीनाथ टैम्पिल कमेटी में दो सदस्य होते हैं और यू० पी० बोर्ड आफ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट एजूकेशन में दो सदस्य होते हैं लेकिन एक भी विरोधी दल का सदस्य इनमें नहीं रखा गया। हमारा यह सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार जब कोई ऐसा विधान रखती है तो वह देखती है कि कांग्रेस पार्टी के कितने आदमी खपाये जांय और कितने आदमियों को खुश रखा जाय। इसीलिये इधर के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह यह कहें कि नये बोर्ड में राजनीति से सम्बन्धित कोई भी आदमी न रहेगा तो सारा झगड़ा खत्म हो जायगा और "न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।" लेकिन जब किसी काम में राजनीति का पुट घोल दिया जाता है तो काम ठीक नहीं हो पाता है। उसमें तो "अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी चीजें" हो जाती हैं।

इस विधेयक के खंड ६ में अनर्हतायें लिखी हैं कि "बोर्ड के सरकारी सदस्य की पदावधि उसके अपने पद पर रहने की अवधि तक होगी।" इसके आगे है कि "राज्य सरकार बोर्ड के किसी ऐसे गैर सरकारी सदस्य को उनके पद से हटा सकती है :—

(क) जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हुआ हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन समन्वित हो।" आदि आदि।

अगर ऐसी बात आ जायगी कि जो पोलिटीकल पार्टीज से सम्बन्धित होंगे वे नहीं रहेंगे और उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले लोग इसमें आयेंगे तो यह कार्य अवश्य आगे बढ़ेगा। लेकिन हम जो रोजमर्रा देखते हैं अगर ऐसी पार्टी विशेष की ही कमेटी बनाई गई तो श्रीमन्, इससे नतीजा अच्छा होने वाला नहीं है और न उद्योग ही इससे प्रगति कर सकेंगे। अभी उधर से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भाई सेलेक्ट कमेटी में जाने की बात क्यों करते हो? मैं कई बार कह चुका हूं कि यह एक संसदीय प्रथा है। प्रवर समिति में लाने के लिए एक संशोधन लाया जाता है। अगर ऐसा न हो तो बहस के लिये दूसरा तरीका यह है कि समस्त बिल का विरोध किया जाय। तो माननीय सदस्य क्या चाहेंगे क्या वे यह चाहेंगे कि सेलेक्ट कमेटी में जा कर उसमें कोई गलती न रहे या यह चाहेंगे कि हम आउट राइट सारे बिल का विरोध करें? दोनों में से वे किसे पसन्द करेंगे?

दूसरी बात यह है कि अगर यह संशोधन न आता तो उनको भी बोलने का मौका कैसे मिलता? पार्लियामेंटरी पद्धति को जो सदस्य खुद न समझें और विरोधी दल पर आक्षेप करें तो उनका यह कहना उचित नहीं। उन्हें तो हमारा अनुगृहीत होना चाहिये कि हम उन्हें इस प्रक्रिया से बोलने का मौका देते हैं।

इस बिल में शक इस लिये ज्यादा होता है कि आज तक गृह उद्योगों और खास कर छोटे उद्योगों की विशेष अवहेलना सरकार द्वारा की जाती रही है। उदाहरण के लिये कत्थे का उद्योग ले लें। इसी आदरणीय सदन में कत्थे के बारे में आ चुका है कि बरेली के उड प्राड-

क्ट्स को जिन पांच साल तक सस्ते दामों पर पेड़ दिये गये, केवल उसमें ३५ लाख का सरकार का नुकसान हुआ। कृष्णा कत्था फैक्टरी को सस्ते दामों पर ४,५०० पेड़ दिये गये, जिसमें ५ लाख रुपये का नुकसान हुआ। पहले कहा गया कि अब कोई फैक्टरी को, इस सम्बन्ध में पेड़ रियायत से नहीं देगें और इस प्रकार खोलने की आज्ञा नहीं दी जायगी। लेकिन नजीबाबाद में फैक्टरी लगा दी गयी और उसे कम कीमत पर बाद को पेड़ दिए गए। चाई लोग जो गृह उद्योग के रूप में कत्थे का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना आजतक नहीं है।

और भी उदाहरण हैं। लीसा उद्योग को ले लीजिये, कुमाऊं उद्योग मूल्यांकन समिति जिसमें सारे कांग्रेसी सदस्य थे, उन्होंने यह कहा है कि जहां-जहां पर छोटे पैमाने पर लीसे का उद्योग सहकारी आधार पर किया गया है, वहां ज्यादा मुनाफा हुआ है। लेकिन ऐसी फैक्टरी को कितना लीसा दिया गया? पहले साल नौ हजार मन और दूसरे साल पांच हजार मन। लेकिन बरेली की बड़ी फैक्टरी को ज्यादा-ज्यादा माल दिया जाता रहा है।

छोटी इंडस्ट्री के नाम पर विधेयक लाया जाता है, उस बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन अमल में कुछ और होता है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसीलिये विरोध होता है। अगर सरकार की कथनी और करनी में अन्तर न हो तो हमारा भी हर्गिज विरोध न हो।

माननीय विभव जी ने बड़ी सुन्दर बात कही कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकेन्द्रीकरण हो सकता है। उसके छोटे-छोटे पावर लूम गांवों में लगाये जा सकते हैं। भारत सरकार ने भी जो मूल्यांकन किया था उसमें तीन बातें कहीं हैं :—

(१) उत्पादन के क्षेत्रों का विभाजन और वर्गीकरण करके उनको सुरक्षित किया जाय,

(२) बड़े उद्योगों की सामर्थ्य का विस्तार न होने दिया जाय,

(३) बड़े उद्योगों पर विशेष कर लगाया जाय।

लेकिन यहां पर देखते हैं कि सारा प्रोत्साहन, और रा मैटीरियल बड़े-बड़े मिल वालों को दिया जा रहा है। अगर गरीब किसान के ऊपर एक पायी बकाया रह जाता है तो उसकी जायदाद कुर्की—नीलाम हो जाता है। और लैंड रेवेन्यू की बाकी के रूप में कुर्की करके उसको वसूल किया जाता है लेकिन यह आदरणीय सदन बराबर इस बात को पूछ चुका है जब कि सरकार कई इस किस्म के कानून यहां पर लाई है कि एलेक्ट्रिसिटी का जो बकाया मिल मालिकों पर है उसके लिये इस सरकार ने क्या कदम उठाया है। मिल मालिकों पर जो सेस का बकाया है उसके लिये यह सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है।

इस बिल में इस बात की आवश्यकता है कि कुटीर उद्योग क्या है, जिनको आप पनपाना चाहते हैं उनकी सब से पहले उचित परिभाषा होनी चाहिये। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि इसमें यह लिखा है कि 'ग्राम उद्योग' का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी उद्योग से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य उद्योग भी है जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के कारण अनुसूची में उल्लिखित किया गया, समझा जाय यानी इसका मतलब यह है कि सरकार जिसको चाहे उसको कुटीर उद्योग लिख दे और जिसको चाहे छोटा ग्राम उद्योग लिख दे और जिसको चाहे वहां से उठा ले। यह कोई परिभाषा नहीं होती है। यह सरकार परिभाषा पर भी कंट्रोल रखती है। अगर वाकई में सरकार जम्हूरियत की कायल है और प्रजातन्त्र में विश्वास करती है तो सरकार को इतनी बड़ी ताकत अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

यह थोड़े से उद्योग अनुसूची में लिख दिये हैं और आगे घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकार किसी उद्योग को सूची में घटा और बढ़ा

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

सकती है, लेकिन उद्योग की नेचर को बदल नहीं सकती है। उसकी निगाह में भी लघु उद्योग कुटीर उद्योग ही हैं तो फिर सरकार के जांचने की कौन सी बात रह जाती है। जैसा कि गोविन्द सहाय कमेटी की सिफारिश है कि मधुमक्खी पालन, कृषि औजार बनाना और फल संरक्षण कत्था निकालना आदि सब छोटे उद्योग ही हैं लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने यह लिमिटेड लिस्ट ही क्यों बनाई है? क्यों नहीं इन चीजों को इस लिस्ट में स्थान मिला? सरकार यह कह सकती है कि इस अनुसूची पर बाद में, जो बोर्ड बनेगा, वह निर्णय लेगी किन्तु मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि फिर सारा निर्णय उस पर ही रखिये जो वह निर्धारित करे। कुछ उद्योग तो अनुसूची में आपने रख दिये और कुछ के लिये हरडिल रख दी कि इस हरडिल को क्रास करें तो तब आगे इस श्रेणी में आना हो सकेगा। ऐसी नीति सरकार को नहीं बरतनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाने दें और वहां पर हर चीज पर शांत चित्त से बहस हो जायगी।

अब जो हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि यह सरकार की बोर्ड है, उन्हीं के इसमें सभापति, हैं और उनका ही इसमें बहुमत है और उनके द्वारा ही इसमें भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है तो यह बात सही है। अगर गोविन्द सहाय समिति सरकार की निगाह में कोई महत्व रखती है तो सरकार जो बोर्ड बनाये उसमें भी इस का खयाल रखे। सरकार को हमारी परिभाषा की बात मान लेना चाहिये। जो चीज इस सूची में शुमार होनी चाहिये उनको सरकार नहीं मानती है तो यह फिर मेरी समझ में नहीं आता कि न मानने में कौन-सी अक्ल की बात है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि छोटे व बड़े उद्योगों के क्षेत्रों का बटवारा होना बहुत जरूरी है यानी कौन से उद्योग हमारे बड़े उद्योगों के क्षेत्र के अन्दर आते हैं और कौन से हमारे छोटे उद्योग के अन्दर आते हैं। मैं अपनी पार्टी के सिद्धांत की बात कहता हूं कि राष्ट्री करण केवल बेसिकडिफेन्स का होना चाहिये शेष को रहने दीजिये। जो टेक्सटाइल मिल चलती है उन्हें चलने दीजिये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि उनको बन्द किया जाय लेकिन आगे उनकी कैपिसिटी न बढ़ाइये। जैसा बापू जी ने कहा था माननीय मंत्री जी को उनकी बात मानना चाहिये। इस उद्योग को छोटे-छोटे लूमों के आधार पर विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। मा० मंत्री जी ने जो किताब अपने कमरे में रखी है उसको सड़ने न दिया जाय। सरकार की पार्टी यह बात मानती है और सब मानते हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है और लिखित पालिसी है कि इनकी कैपिसिटी न बढ़ने दी जाय। बल्कि बड़ी नई टैक्सटाइल मिल लगाने पर रोक लगाई जाय ताकि इनका विकेन्द्रीकरण हो। इससे जनता का फायदा होगा।

अब हिन्दुस्तान उतना सुरक्षित नहीं रह गया है जितना पहले था। अब हिमालय का हमारा प्रहरी भी कमजोर हो गया है हमारी गलत नीतियों के कारण और आज हमारी सीमा पर एक खूंखार दरिन्दा खड़ा हुआ है जो किसी समय भी हमारे हिन्दुस्तान के निरीह लोगों को हड़पने के लिये तैयार है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमने बड़े-बड़े उद्योगों को अपना आधार बनाया तो एक बम में ही वे सब खत्म हो सकते हैं। इस लिये जरूरी है कि विकेन्द्रीकरण हो। बड़े-बड़े उद्योगों को हम छोटे-छोटे यूनिट्स में अलग-अलग बांटें। लड़ाई किसी समय भी हो सकती है और अगर उन उद्योगों का सेंट्रलाइजेशन किया गया तो वे सब किसी भी समय विनष्ट हो सकते हैं और उस दिन के लिये हम सब को तैयार रहना चाहिये।

अब रही बिक्री की बात। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, जब तक बाजार का इंतजाम, उसकी बिक्री का इंतजाम सरकार नहीं करेगी उस समय तक अगर किसी ने माल तैयार भी किया तो वह वहीं पड़ा रहेगा। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर किसी छोटे उद्योग वाले ने माल तैयार किया तो उस के अगेन्स्ट उसे लोन मिल सके इसकी व्यवस्था इस में स्पष्ट रूप से होनी चाहिये। अस्पष्ट व्यवस्था करने की बात कही गयी है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। किसान कच्चा माल तैयार करता है और अगर उसे पैसे की जरूरत

पड़ती है तो उसके लिये जैसी व्यवस्था हमारे खाद्य मंत्री जी ने की है उसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिये। ऐसा होने पर उसे अपना माल रोक रखने की सामर्थ्य हो सकेगी और वह भी सम्पन्न हो सकेगा।

पुनर्विनियोग की बात इसमें कही गयी है। लोक-लेखा समिति का एक पुराना सदस्य होने के नाते मुझे इस पुनर्विनियोग का थोड़ा सा अनुभव है। बहुत बार होता यह है कि एक बड़े हेड में बहुत सी बातें अलग अलग हेडों में आ जाती हैं, नालियां बनाना, गूलें बनाना, मशीनें लगाना और इस्टैबलिशमेंट चार्जेज आदि सब आ जाते हैं। हमने आजतक ९० फीसदी केसेज में देखा है कि एक सब हेड से दूसरे सब हेड को रुपया ट्रान्सफर कर दिया जाता है और कह देते हैं कि चूंकि एक में रुपया खर्च नहीं हो सकता था इसलिये ऐसा कर दिया और चूंकि हम रिएप्रोप्रिएट कर सकते हैं इसलिये हमको लेजिस्लेचर के सामने जाने की जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विकास का रुपया विनियोग करके इस्टैबलिशमेंट में कम से कम वह बिना इस सदन की आज्ञा के कंवर्ट न हो सके.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि इस समय सदन में दो सदस्य खड़े हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, शायद वह किसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके कोई हवाई जहाज से आने वाले हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि कम से कम जो प्रोडक्टिव चीजों के लिये रुपया रखा गया है वह इस्टैबलिशमेंट के लिये पुनर्विनियोग न हो सके और अगर जिस नेचर के काम के लिये वह रुपया रखा गया है उसी नेचर का वह दूसरा काम है तब तो रिएप्रोप्रियेशन हो सके नहीं तो रिएप्रोप्रियेशन हो और ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो सेंक्शनिंग अथारिटी हो उसके सामने पुनर्विनियोग हेतु जाना पड़े। माननीय मंत्री जी ने इसमें यह व्यवस्था रखी है कि इंडस्ट्रीज विभाग के पास वह बातें आयेगी और वहां से पूरक या अनुपूरक बजट की शकल में यह सरकार के पास आयेगी और सरकार इसमें सेंक्शन देगी। उसकी आडिट रिपोर्ट जो भी हो, मैं चाहूंगा कि वह उसी तरह से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास जाय जिस तरह से कि ए० जी० की रिपोर्ट जाती है। इससे अर्थ के खर्चे पर एक बड़ी रोक रहती है और ठीक-ठीक पता चलता है कि कितने रुपये का सदुपयोग हो रहा है और कितने का दुरुपयोग।

आज इस तरह की अवहेलना कितनी ही जगह होती है। जो सुदूरवर्ती जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, उन के बारे में मैं एक उदाहरण दूं। यहां सरकार कहती है वहां के उत्थान हेतु इतना हमने फंड दे दिया। एक साल की मैं बात बताऊं कि २० लाख रुपया बजट में रखा गया और उसमें से १५ लाख लैप्स हो गया। कई उदाहरण इस तरह के हैं। अभी गुड़ और खांडसारी की बात माननीय गेंदासिंह जी कह रहे थे कि ३७ लाख की व्यवस्था की गयी और १८ लाख केवल खर्च किया गया बाकी रुपया खर्च नहीं किया गया। स्वयं भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक अरब रुपये के करीब छोटे उद्योगों के लिये रखा जिसमें से करीब ५७ करोड़ ही रुपया खर्च हो पाया। यानी छोटे उद्योगों का जहां पर नाम आता है वहां पर यह ऐसा डरते हैं कि उनके लिये कुछ नहीं हो पाता। बड़े उद्योगों के लिये सब कुछ हो जाता है। उनके लिये हमेशा एक साफ्ट कार्नर यह सरकार रखती है।

बरेली में एक रोजन टरपेन्टाइन कम्पनी है। कई लोगों ने कहा कि इसकी कैपेसिटी न बढ़ाई जाय। उसकी अवधि खत्म हो चुकी थी, जो कान्ट्रैक्ट था वह खत्म हो चुका था, लेकिन नहीं, यह सरकार नहीं मानी। उधर के बैठने वाले कांग्रेसी सदस्यों ने भी यह मांग की थी कि उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़नी चाहिये, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना गया। जनता के प्रतिनिधि यहां जो कुछ कहते हैं यह सरकार बिल्कुल उसका उल्टा करती है। आज कांग्रेस के जो डिप्टी मिनिस्टर बन गये हैं उन्होंने भी कल यह मांग की थी, लेकिन सुनने वाला है कौन? कोई सुनता ही नहीं।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अब एक जगह मेरा माननीय गेंदा सिंह जी से मतभेद है। उन्होंने कहा कि कोई आदमी ऐसा न रखा जाय जो ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह वाला हो। श्रीमन्, निजी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी जो इन्डस्ट्रीज हैं उनमें बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं। उनका इन्डस्ट्रीयल एप्टीट्यूड होता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां उद्योगों को चलाने के लिये आई० ए० एस० आफिसर रखे जाते हैं, वे अपने कार्य में काबिल जरूर होते हैं लेकिन उनका वह इन्डस्ट्रियल एप्टीट्यूड नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं कभी सात पुरखों तक जिनके यहां बिजनेस नहीं हुआ है, वे जानते ही नहीं कि बिजनेस कैसे होता है, वे केवल लाल फीते के सहारे अपना कार्य करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें ऐसे लोग हों जो बिजनेस का अनुभव रखते हों। वही लोग रखे जायं जिनको कुछ तजुर्बा हो। यह व्यवस्था जो हो वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से हो। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने वह चीज पूर्व स्वीकृति के लिये जाय।

श्रीमन्, अग्रगामी योजनाओं की हमें बहुत जरूरत है। मगर मौजूदा बिल में या उससे पहले कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी। पाइलेट प्रोजेक्ट का बहुत बार जिक्र सुनने में आया। अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी इस विषय में कत्थे, लीसे खिलौने, आदि ग्रामीण उद्योगों के सेवा में अपने अधिकारियों द्वारा एक तजुर्बा हासिल करा लेते और फिर उस तजुर्बे के आधार पर इस बिल को रखते।

श्रीमन्, जो इस बिल में खंड १४ है उसमें लिखा है "बोर्ड अपने द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और उसके लिये प्रदिष्ट धनराशियों का उपयोग, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से करेगा।" यानी सारा कार्य, execution of work, उद्योग संचालक द्वारा होगा।

माननीय मंत्री जी ने अपनी शुरू की भूमिका जमाते हुए कहा था कि हमारे यहां जो कुछ काम होता रहा है उसमें कुछ अधिक टेक्निकलटीज हो गयी हैं जिनके कारण कार्य संभालने में अधिक विलम्ब होता है, उनको कटशार्ट करने के लिये हम यह मौजूदा बिल लाये हैं, ऐसी बात उन्होंने कही थी। अब एक तरफ हम टेक्नीकलटीज को कम करने, की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर जो टेक्निकलटीज के माहिर उद्योग संचालक हैं उनको ही सारा काम दे रहे हैं, यानी यह एक बाटिल-नेक है। हो सकता है कि बोर्ड कुछ और तय करे बिना संचालक की राय के, तो उद्योग संचालक कह सकता है कि मेरी राय के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इससे झगड़ा पैदा होगा काम में जल्दी नहीं हो सकेगी। तो इस पर आप पुनर्विचार करें। लेकिन मैं यहां से कहता हूं तो कांग्रेस के भाई चाहे मन में मुझसे सहमत हों, मगर उसकी सदन में वे ताईद नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो डिसीडेंट करार दिये जाते हैं तो यहां सदन में खुले रूप में स्वतंत्र रूप से विचार-विनिमय नहीं होता। हमारे पक्ष वाले भी कभी-कभी उनकी बात का वैसे ही जवाब देते हैं। उन्होंने "हां" कहा तो इधर वालों ने "ना" कह दिया और इधर वालों ने "हां" कहा तो उधर से "ना" हो गया। तो इस में क्या-क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं वह सदन में तय नहीं हो सकती हैं। पर कमेटी का वातावरण कुछ और होता है। माननीय मंत्री जी और कुछ साथी स्वीकार कर चुके हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, बल्कि कुछ ने तो यहां तक कहा कि इधर जितने बिल आये उन सब में यह महत्वपूर्ण है। तो जब इससे कम महत्वपूर्ण बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेज चुके हैं तो उनसे अधिक महत्वपूर्ण बिल पर अच्छी तरह से विचार न हो और यह कानूनी शिकंजे में न कसा जाय और कहीं अल्ट्रा-वाइरस हो जाय इसलिये बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजने में माननीय मंत्री जी को एतराज नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५४ में पहली बार पटना में होने वाले अखिल भारतीय खादी विलेज कमीशन में मांग हुई थी कि प्रदेशीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इस तरह का बोर्ड बने और इस मांग के पीछे आधार यह था कि इन छोटे गृह उद्योगों और कुटीर उद्योगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने में इंडस्ट्रीज और राज्य विभाग द्वारा लाल फीतेशाही का लम्बा रास्ता पार करना पड़ता है और उससे उसको वांछित सहायता समय-समय पर नहीं मिलती है। इस विशेष ध्येय को सामने रखते हुए यह मांग हुई थी। मान्यवर, सरकारों की जैसी गति होती है, १९५४ से १९६० तक कदाचित् ये मांगें विचाराधीन रही होंगी और आज १९६० में हमारे सामने यह विधेयक प्रस्तुत है।

जहां तक विधेयक के सिद्धांतों का सम्बन्ध है मुझे हर्ष है मान्यवर, कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने उसका स्वागत किया। मुझे विश्वास भी था कि जैसी महत्वपूर्ण चीजों से इसका सम्बन्ध है उसको ध्यान में रखते हुए विवाद करने की इच्छा इसलिये हो सकती है कि उसकी नीति पर प्रकाश डाला जाय, लेकिन सिद्धान्त में कहीं दो मत की गुंजायश कदाचित् न होगी।

जब मैंने इस पर प्रवर समिति के प्रस्ताव को देखा तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मान्यवर। एक तो प्रवर समिति की मांग भी जैसा कि अभी माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा कि पार्लियामेंटरी पद्धति का एक तरीका है। उन्होंने प्रत्यक्ष कह दिया कि कभी बोलने को मिल जाय, उसका अवसर प्राप्त करने का भी एक तरीका है। फिर जब यह प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी के द्वारा आया तो भी मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस सदन का जब इतिहास लिखा जायगा तो प्रवर समिति की मांग और विभाजन की मांग का जो अधिकार है उसका प्रतिपादन करने में सबसे बड़ा श्रेय उन्हें ही मिलेगा।

मान्यवर, जहां तक इस आयोग की आवश्यकता का सम्बन्ध है, मैं पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसे प्रदेशीय स्तर पर आयोग बनाना आवश्यक था। और गृह उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के और ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन की जो आवश्यकता है उसके लिये जो बहुत सारे कदम उठाये जाते हैं उनमें से एक कदम यह भी है। मैं निःसंकोच यह कहने के लिये तैयार हूं कि इन्डस्ट्रीज विभाग जिसके ऊपर गृह उद्योगों के संरक्षण का उतना ही दायित्व था, उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी कि प्रदेश के किसी भी दूसरे इन्डस्ट्री के लिये थी, वह उस जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल नहीं हुए।

मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि जो काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये, गृह उद्योगों के लिये उद्योग विभाग की ओर से कार्य हुए हैं उनमें कागजी कार्यवाही ज्यादा है, कागजी खानापूरी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसी साल की बजट की पुस्तिका ले लें और उसमें दी हुई गृह उद्योगों की फेहरिस्त देखें तो हम देखेंगे कि करीब-करीब पिछले चार पांच सालों की लिस्ट को ही दोहराया गया है। दूसरी कमी एक बड़ी कमी यह है कि हम अगर जरा अन्दर घुसकर देखें तो हम पायेंगे कि उद्योग विभाग की ओर से जो प्रयत्न गृह उद्योगों की उन्नति के लिये हुए हैं वह केवल इस तक ही सीमित हैं कि उनको आर्थिक सहायता दे दी गई, लोन दे दिया गया या ऐंड दे दी गई लेकिन उनको कोई नयी दिशा दी जा सके, नया मोड़ दिया जा सके, वैज्ञानिक सूचनायें दी जा सकें, अगर हम इस दिशा से देखें तो हम फिर निःसंकोच कह सकते हैं कि वह नीति सफल नहीं हुई। अतः आज यह आवश्यक था कि हम एक ऐसा बोर्ड बनायें जिसमें ऐसे व्यक्ति हों जिनको उसकी नीति में पूर्णतया विश्वास हो।

भारत के संविधान में गृह उद्योगों और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देना एक मानी हुई नीति है। हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा गृह और कुटीर उद्योगों के संरक्षण की नीति एक मानी हुई नीति है। व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे मुख्य मंत्री और उद्योग मन्त्री पूर्णतया विश्वास करते हैं हृदय से और मन से उस नीति के प्रतिपादन में। लेकिन मान्यवर मुझे इसके कहने में संकोच नहीं कि जिन लोगों पर इसके प्रतिपादन का दायित्व है, यह सही

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

है कि उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनका विश्वास उसमें उतना नहीं है जितना होना चाहिये और जितना कि उन नीतियों की सफलता के लिये आवश्यक है। यदि ऐसे लोग जिनको किसी नीति की सफलता पर ही विश्वास न हो वह उसका संचालन करें और फिर उसमें पूरी प्रगति हो सके, तो न इसमें आश्चर्य की बात है न अस्वाभाविक बात है।

मान्यवर, सरकारी मुलाजिम का यह कायदा होता है कि उसको जो काम सौंपा जाय उसे वह करता है। वह उसमें विश्वास करता हो, आस्था रखता हो या न रखता हो लेकिन उसके सुपुर्द जो काम किया जाता है उसको वह करता है। मान्यवर, अगर एक ही विभागीय अधिकारी के सामने दो कार्य हों, बड़ी इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट, उनका प्रोटेक्शन और साथ ही साथ छोटी इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट और प्रतिपादन भी हो तो यह स्वाभाविक है कि उसमें छोटी इन्डस्ट्रीज, गृह तथा कुटीर उद्योग पिछड़ जाते हैं और उनको उतना अटेन्शन नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिये।

मान्यवर, इसका एक मौलिक कारण और भी है। जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं उनके बारे में सूचनायें संकलित हैं, उनके बारे में अनुसंधान हुये हैं, उनकी जानकारी मौजूद हैं, केवल थोड़े से ज्ञान उपार्जन से उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन छोटे-छोटे गृह उद्योग जो हैं उनके बारे में जानकारी आज भी किताबों में नहीं मिल सकती है। उनकी जानकारी के लिये एक अधिकारी को जनता में जाना पड़ेगा और जनता के उस स्तर में जाना पड़ेगा जोकि वास्तविक भारतवर्ष है। इस कारण मान्यवर, मैं देखता हूं कि गृह उद्योगों के बारे में उन लोगों को ही पूरी जानकारी नहीं होती, उनके पास ही कोई ऐसी सूचना नहीं होती जिसमें कोई वैज्ञानिक दिशा देने की शक्ति हो जिससे वह गृह उद्योगों में लगे हुये आदमियों को कुछ मदद कर सकें, फिर वह दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं।

मान्यवर, मेरा एक दूसरा ख्याल यह भी है कि जो कुछ यत्न ग्रामोद्योगों की उन्नति के लिये आज तक हुये हैं उनमें आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है और जो प्रयत्न होते हैं उनके लिये कोई एक ऐसी ऐजेंसी नहीं है जो उन्हें उन लोगों तक पहुंचा सके जिनके हितों के संरक्षण के लिये उनकी आवश्यकता है। मिसाल के लिये अभी माननीय गेंदासिंह जी ने मुझे एक तरह से चुनौती सी दी कि मैं गुड़ और खाण्डसारी के हितों का प्रतिपादन करता हूं, आज सदन में भी उसे और मैं क्या निवेदन करूं? मैंने जब जब आवश्यकता पड़ी है उसका प्रतिनिधित्व निर्धारित किया है और करूंगा। वास्तविकता यह है कि किसी भी पार्टी का सदस्य होना या इस सदन का सदस्य होना भी उसके बीच में नहीं आवेगा लेकिन आज कोई अवसर मुझे नहीं दीखता कि मैं उस बात का कोई विशेष प्रतिपादन कर सकूं। आज गृह और कुटीर उद्योगों के बारे में हमें मौलिक रूप से सोचना चाहिये कि इसमें प्रगति क्यों नहीं होती है।

हमें विश्वास है कि बड़ी-बड़ी योजनायें जिनका आसरा हमने अपनी द्वितीय और पहली पंचवर्षीय योजनाओं में लिया वे हमें आगे बढ़ावेंगी मगर उसमें समय लगेगा। आज की भयंकर बेकारी की ज्वाला को शान्त करने के लिये वे बड़ी बड़ी स्कीमें उतनी जल्दी सक्रिय और सहायक नहीं हो सकती जितने ये ग्राम उद्योग कुटीर उद्योग हो सकते हैं। इसलिये आज यह परमावश्यक है कि सरकार उस नीति का प्रतिपादन करे जिससे ये कुटीर उद्योग जल्दी आगे बढ़ें। वह प्रतिपादन केवल कागजी न हों। उन लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाय जिनके ऊपर इसे कार्यान्वित करने का भार है और उस नीति में विश्वास करने वाले लोग ही इस कार्य के लिये छांटे जावें। इस आयोग के बनाने से हम कुछ कदम आगे बढ़ेंगे और लाल फीताशाही जो हमारे काम में रुकावट डालती है, उसकी ओर हम बहुत कुछ उन्नति कर सकेंगे।

अभी गेंदा सिंह जी ने कहा था कि जो रुपया गृह उद्योगों के लिये केन्द्र से मिलता है वह भी समय पर पूरा खर्च नहीं हो पाता है केवल इसलिये कि लाल फीताशाही का जाल बिछा हुआ है। वह बड़े-बड़े उद्योगों के मामले में स्वयं कट जाता है क्योंकि बड़े उद्योग-वालों में इतनी क्षमता होती है कि वे अपनी बात बतला सकते हैं। मैं सरकारी अधिकारियों को भी दोष नहीं देता हूं क्योंकि अगर मैं अपनी बात कह ही न सकूं तो वे क्या करें? छोटे-छोटे उद्योग सीधे-सादे लोगों के, गांव के रहने वालों के, हाथों में हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लाल फीताशाही के सामने सफल नहीं हो पाते। इसी से वह रुपया खर्च नहीं हो पाता है और यही उसका मौलिक कारण है। मान्यवर, मैंने इस आयोग के एम्स ऐंड आब्जैक्ट्स (Aims and Objects) को पढ़ा। मुझे क्षमा करें अंग्रेजी में पढ़ने के लिये, इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें लिखा है कि :

"To encourage and promote research in the technique of production of khadi and development of village industries or provide facilities for studying problems relating to khadi and village industries...."

इसमें उन्होंने यह व्यवस्था की है कि इन गृह उद्योगों के अनुसंधान और रिसर्च की ओर ध्यान देने का कार्य भी इस आयोग का होगा। इस दिशा में वास्तव में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। केवल गुड़ ही को लीजिए, गुड़ जो हमारे देश और प्रदेश में बनता है उसके लिये थोड़ा यत्न किया जाय तो, यह मेरी ही राय नहीं है, श्री बैकुंठ लाल मेहता, जिन्होंने इस दिशा में १०-२० साल से सराहनीय सेवायें की हैं, उनकी तथा अन्य विशेषज्ञों की राय है, ५० करोड़ रुपये की देश की आय बढ़ सकती है, केवल यत्न करने की आवश्यकता है।

खांडसारी को लीजिये। यह तो बहुत छोटी सी बात है कि फलां टैक्स लगाया जाय या न लगाया जाय, लेकिन जो मौलिक बात है वह यह है कि इसके बारे में बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। जो आजतक अनुसंधान हुए हैं वे नगण्य हैं। जो कुछ हुआ भी है उसको हम उत्पादकों तक पहुंचा नहीं पाये हैं। जो विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा हुआ है उसमें सामंजस्य नहीं है। खांडसारी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिये इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी के अन्तर्गत रुपया खर्च होता है। इसके जिम्मे तो रिसर्च का काम है और डेवलपमेंट का काम के लिये खादी उद्योग रेस्पांसिबिल है। लेकिन यह ड्युअल कंट्रोल चलता नहीं है। उसका परिणाम यह है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में सामंजस्य नहीं है। आवश्यकता है कि ये दोनों काम एक ही ऐजेन्सी के द्वारा हों।

मुझे हर्ष है और मैं माननीय उपमंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आयोग के ऐम्स ऐण्ड आब्जेक्टस में उसका उत्तरदायित्व अनुसंधान का भी रखा है। उन्होंने इसे रख तो दिया है, लेकिन इसके लिये उन्हें यत्न भी करना पड़ेगा और इसको करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जब तक यह हो इन दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिये, उन लाखों व्यक्तियों तक जिनकी जिन्दगी पर इन गृह उद्योगों का असर पड़ता है। यह प्रयत्न माननीय बहुगुणा जी को करना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि इसमें दिक्कतें हैं लेकिन इसका होना परमावश्यक है।

एक बात एम्स ऐण्ड आब्जेक्टस में यह भी रखी गयी है कि गृह उद्योगों की तरक्की के लिये और भी कुछ आवश्यकता हो तो उस पर सरकार विचार कर सकती है। इस प्रकार से एक दरवाजा खुला हुआ है उन बातों की तरफ भी विचार करने का जो गृह और कुटीर उद्योगों के लिये लाभप्रद हो सकती हैं। उनमें से एक तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके लिये एक प्रत्यक्ष आवश्यकता है। इन गृह-उद्योगों के बारे में जानकारी या स्टेटिस्टिक्स यही उपलब्ध नहीं हैं। माननीय बहुगुणा जी ने मेरे एक प्रश्न

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

के उत्तर में २४ तारीख को बताया था । मेरा प्रश्न था---"क्या सरकार की जानकारी में पिछले १० वर्षों में सरकार के मातहत या उसकी जानकारी में कोई ऐसी एजेन्सी है जो इस दिशा में ऐसे स्टेटिस्टिक्स रखती रही है ?" इसका जवाब था---"जी नहीं ।" यह देखने की बात है ।

जिस सम्मेलन का अभी माननीय गेंदासिंह जिक्र कर रहे थे, मुझे हर्ष है कि मैंने पाटिल साहब के सामने भी इसका जिक्र किया था । उन्होंने इस बात को माना और बड़े प्रबल शब्दों में कहा कि यह भारी कमी है और मैं देखूंगा कि केन्द्रीय सरकार का कितना भी व्यय हो वह इस कमी को पूरा करे । मैं प्रादेशिक सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह भी इस तरीके का कोई प्रबन्ध करें जिससे सारे गृह उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिये जिनको कि प्रादेशिक सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया है, उनके बारे में सही स्टेटिस्टिक्स, सही जानकारी और सही इनफार्मेशन इकट्ठा करे और उनको इकट्ठा करने के लिये कोई एक एजेंसी हो जो बराबर उनको इकट्ठा करती रहे और उसका संकलन करे ताकि उसे जनता तक जिसके हितों के लिये वे चलते हैं, उन तक पहुंच सके। यह एक परमावश्यक बात है । अगर हम यह करेंगे तो मान्यवर, हम अवश्य उस लक्ष्य की पूर्ति में, जिस लक्ष्य को लेकर माननीय उद्योग मंत्री जी ने इस बिल को इस सदन के सामने रखा है, सफल होंगे ।

मान्यवर, मैं सदन का काफी समय ले चुका, लेकिन एक बात जो मेरे मित्र गोविन्द सिंह बिष्ट ने कही थी, उसके बारे में बिना कुछ कहे हुए बैठना उचित नहीं समझता । उन्होंने यह कहा और बड़ी सफाई के साथ कहा कि इसमें सबसे बड़ा एतराज यह है कि नानआफिशियल को नामिनेट करने का अधिकार जो सरकार अपने हाथ में ले रही है वह गलत है । इसमें आशंका है और हमें डर है कि कहीं सरकार अपने ही आदमियों को उन आयोग में नामिनेट न कर दे । मान्यवर, एक सिद्धान्त की बात है । मैं तो यह निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी कोई कमेटी हो या ऐसा कोई कमीशन हो जो किसी नीति को प्रतिपादित करने के लिये, किसी नीति का इम्पलीमेंटेशन करने के लिये बनाया जाय तो उसमें केवल सरकार के पक्ष के लोग ही होंगे जो उसी की नीति को चलाना चाहते हैं, मेरे खयाल से वे ही सरकार के लिये अधिक सहायक होंगे । इसलिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

जहां तक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की बात है, उसमें अपोजीशन के सदस्य इसलिये होते हैं कि उन्हें वहां अधिकार है कि वे पब्लिक एकाउंट्स की जांच करें, अगर इस सदन की कोई कमेटी बनती है तो अपोजीशन को अधिकार है क्योंकि उसमें आपोजीशन का बड़ा गहरा दायित्व है कि वह हमें बतलाये कि किस तरह से हम उसे यह शक्ल दें । अगर किसी नीति के प्रसारण के लिये, किसी नीति के इम्पलीमेंटेशन के लिये अगर कोई कमेटी बने तो उन कमेटीज में उन नीतियों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को रखना ही उचित होगा ।

फिर एक अजीब बात उन्होंने कही जिसे सुन कर मुझे कुछ दुख और आश्चर्य भी हुआ । उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को उस कमीशन का सदस्य होने के अयोग्य करार देना चाहिये और उसे उस आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिये । मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जो मेरे बिलकुल पड़ोसी हैं और मित्र भी हैं और जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने इस बात पर बिना गौर किये हुए ही शायद किसी आवेश में कह दिया और अपने सारे मित्रों का कंडमनेशन कर दिया । इसलिये कि अगर यह मान लिया जाय कि राजनीति में आकर कोई अपने राष्ट्र के हित को, देश के हित को या ग्रामीण उद्योगों के हित को भूल सकता है तो फिर यह एक बड़े भयंकर सिद्धान्त को मानना हो जायगा ।

मान्यवर, एक तरफ तो यह कि हम आफिशियल पर पूरा विश्वास न करें और दूसरी तरफ नान आफिशियल हों तो आपत्ति हो और वह राजनीतिक टेव हो जाय, तो कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे वे आयोग को बना सकें । मैं तमाम चीजों का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन उसमें जो सिद्धान्त की बात है, उसको कहना मैंने आवश्यक समझा ।

एक बात का जिक्र मान्यवर, मैं आखिर में और कर देना आवश्यक समझता हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब मौजूदा संस्थायें इस काम के लिये मौजूद हैं तो इस बोर्ड की क्या आवश्यकता थी तथा आगे चल कर इन संस्थाओं तथा बोर्ड में क्लैश होगा । उनके कहने के अनुसार मौजूदा संस्थाओं से ही कार्य को सम्पन्न कराया जा सकता था । इस बात को कहते हुए उन्होंने इस पर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाला, इसलिये हम समझते हैं कि जहां उन्होंने मौजूदा संस्थाओं की चर्चा की वहीं पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में सभी ने विवेचना की उसके बारे में मेरा तो यह सुझाव है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में गृह उद्योग का विभाग बिल्कुल अलग होना चाहिये ।

उसके डायरेक्टर भी अलग होने चाहियें, उन का काम गृह और छोटे उद्योगों के संरक्षण का होना चाहिये और उस सेक्शन के डायरेक्टर उस आयोग में विभाग की ओर से सदस्य होने चाहियें । सरकारी कर्मचारी जिस के ऊपर कि किसी काम की जिम्मेदारी होती है उसकी उसी में विशेष रुचि हो जाती है और उसी में उन्नति लाने का वह प्रयत्न भी करते हैं । अगर इस का अलग डायरेक्टर कायम कर सकेंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी और संरक्षण एक कर्मचारी को दे सकेंगे तो हमें आशा है कि इस में अवश्य सफलता मिलेगी । कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिन को यह सदन पकड़ कर जिम्मेदारी दे सके कि अगर इन कुटीर तथा गृह उद्योगों में उन्नति नहीं होती है तो तुम जिम्मेदार होगे, इस तरह की जिम्मेदारी देकर हम यह काम पूरा करा सकते हैं ।

दूसरे मौजूदा संस्थाओं की ओर जो उनका इशारा था । गांधी आश्रम या विलेज इंडस्ट्रीज सोसाइटीज जो चल रही हैं वह तो जैसे हैं वह चलेंगी, उन का क्लैश इससे नहीं है । यह आयोग बनाने का एक ऐसा सुन्दर प्रस्ताव है कि इस पर चारों ओर से एक मत होने का अवसर हमें मिलेगा । मैं चाहता हूं कि आयोग का क्या कार्यक्षेत्र हो, वह कितना बड़ा हो, किस नीति का वह प्रतिपादन करे—इस सम्बन्ध में जो प्रकाश इस सदन में माननीय सदस्यों की ओर से डाला जाय उस पर गौर होना चाहिये ताकि हम इन कुटीर उद्योगों की एक सक्रिय सेवा कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करते हुये कुछ बातों की तरफ माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । मैंने इस विषय पर बोलने का जब इरादा किया तब मैंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में इस पुस्तक के कुछ पन्नों को उलटा-पलटा । इस दूसरी पंचवर्षीय योजना की ड्रैफ्ट आउट लाइन के पृष्ठ २३ पर दिया है कि विलेज तथा स्माल काटेज इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है । उसको देख कर मुझे ताज्जुब हुआ कि एक तरफ तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसविदे में यह है कि कि :

"The organisation and development of cottage industries on proper, systematic and co-operative lines is the chief feature of the State Plan for development of village and small industries."

इसका अर्थ यह है कि गृह उद्योगों को उचित ढंग से एक सिस्टेमेटिक तरीके पर, सहकारी लाइन्स पर संगठित करने और विकसित करने वाला एक मुख्य फीचर होगा स्टेट की दूसरी प्लान का और ग्राम उद्योग व छोटे उद्योगों के विकास के लिये इस तरह की एक प्लान बनेगी ।

[श्री मदन पांडेय]

इस में आप देखें कि को-आपरेटिव पर इतना जोर है लेकिन जब हम पूरे विधेयक को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोआपरेटिव शब्द का ही पूरा बहिष्कार किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर सहकारिता का ढोल पीटते पीटते सरकार के मंत्री और उनमें अमले का गला थक गया है और उनको अब सहकारिता शब्द से ही कोई चिढ़ सी हो गई है तो भी मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर इस बिल के उद्देश्य बताये गये हैं इन को पूरा करने के लिये जो सेक्शन इस में बनाये गये हैं उन में यह संशोधन अवश्य किया जाना चाहिये कि जितने भी विकास कार्य होंगे वे सब सहकारिता के आधार पर ही विशेष रूप से किये जायंगे ।

जहां तक इस की त्रुटियों की बात है उस सम्बन्ध में आज के सर्वोत्तम वक्ता श्री गेंदा सिंह जी ने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में इस की तमाम त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है और मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी बजिद कोई चीज करने वाले आदमी नहीं हैं और उन की बातों का उन पर असर अवश्य होगा ।

एकाध प्वाइंट जो इधर उधर छूट गये हैं मैं उनकी तरफ उनका ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं । बोर्ड का तजुर्बा हम लोगों को है । हाल ही में एक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है और उस बोर्ड के बनाने के बाद से उसके अन्तर्गत जो संस्थान वगैरह दिये गये हैं उनका इंतजाम जिस तरह से हो रहा है, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी जिस ढंग का व्यवहार पा रहे हैं, सरकार जिस प्रकार से हस्तक्षेप करती है, उसके आधार पर मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा जो बिल का ढांचा है इसमें बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है । उसमें से कुछ २-४ चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

एक तो ६ और ९ गैर सरकारी सदस्य सरकार की मर्जी पर है कि कितने व्यक्तियों को नियुक्त करेगी १५ के बोर्ड में तथा ५ पदेन सदस्य निर्धारित कर दिये गये हैं । इनके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि यदि केवल सरकार की मर्जी पर ही नामजदगी का काम रखा जाता है तो जैसा पिछला तजुर्बा है, पार्टीबाजी के आधार पर ही नियुक्ति होगी, यह रूल आउट नहीं किया जा सकता है । भले ही हमारे अग्रवाल जी को यह संतोष हो कि जहां पार्टी रूल होता है उसके सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि उस पार्टी की रीति-नीति में विश्वास करने वाले लोगों को ही उस कमेटी में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय, लेकिन जहां केवल पार्टी के प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है वहां तो इस चीज को अवश्य ही बचाया जाना चाहिये । क्यों बचाया जाना चाहिये ?

मैं समझता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड किसी पार्टी की नीति को कार्यान्वित करने के लिये बनाया जा रहा हो, ऐसा न तो इसके प्रिएम्बुल में है और न माननीय बहुगुणा जी ने ही कहा । तो यह सिद्ध है कि यह पूरे सदन की सहमति से ऐक्ट पास हो रहा है, इसके मातहत जो बोर्ड बनेगा यदि हम उसमें शुरू से इस बात को कंसीव कर लें कि यह पार्टी की ही विचारधारा को कार्यान्वित करने वाला है तो अनुचित होगा । यदि ऐसा कंसीव करना अनुचित है तो मौजूदा नामजदगी की प्रथा में परिवर्तन होना चाहिये ।

सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि नामजदगी करने के बजाय इस प्रकार का रूप रख दिया जाय कि जो बोर्ड बनेगा उसमें ५ सरकारी पदेन सदस्य रखे जाते हैं तो कम से कम ९ नियुक्त होना चाहिये गैरसरकारी सदस्यों को । इन ९ में से ५ या ६ विधान सभा द्वारा चुने हुये ऐसे होने चाहिये यदि कोई और मशीन नहीं है नीचे के लोगों को बोर्ड से एसोशियेट करने वाली तो---यह सदन जनता की तरफ से चुन कर आया हुआ है और सिंगिल ट्रांसफरेबुल वोट के आधार पर ५ या ६ सीट पर विधान सभा की तरफ से प्रतिनिधित्व रखा जाय और ३ या ४

सरकार जिनको मुनासिब समझे उन्हें नियुक्त करे। यह सुझाव है आशा है इस पर आज रात भर माननीय मंत्री जी सोचेंगे और कल अपने भाषण में इसका समर्थन भी करेंगे और बिल में एडमिट भी कर लेंगे, यह मेरी आशा है।

जहां तक सदस्यों की अनर्हता का सवाल है, उसमें भी एक जिक्र इस तरह का किया गया है कि मारल टरपीच्यूड से सम्बन्धित कोई मुकदमा भी किसी सदस्य के ऊपर चले तो भी सरकार मुनासिब समझे, सरकार की राय में यदि वह मारल टरपीच्यूड के अन्तर्गत आने वाला हो तभी उसको सदस्यता से वंचित किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री जी से कहना चाहूंगा और इस सदन से भी कहना चाहूंगा कि मारल टरपीच्यूड के अन्तर्गत कौन-कौन से अपराध आते हैं, किस प्रकार की सजाएं आती हैं, इसके लिये इस बिल में नई व्यवस्था न करें।

कानून बना हुआ है, मारल टरपीच्यूड के अन्तर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं इसके ऊपर नजीरें भी हो चुकी हैं, उन्हीं का पालन किया जाना चाहिये और एक पार्टी गवर्नमेंट के अधिकार में यदि यह छोड़ दिया जाता है कि किस सदस्य के किस अपराध को मारल टरपीच्यूड के अन्तर्गत माना जाय और किसको नहीं इससे किसी भी समय इस प्रकार जो निर्वाचित या नामजद सदस्य होंगे उनके किसी भी एक आचरण से असंतुष्ट हो कर सरकार उन्हें निष्काशित करने की कार्यवाही कर सकती है और इससे किसी के उचित अधिकारों पर आघात हो सकता है।

दूसरी चीज जो मुझे इस बिल के अन्दर देखने को मिली वह यह कि उद्योगों के प्रसार और खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में रिसर्च वगैरह का जिक्र किया गया है, लेकिन उनके औजारों के सम्बन्ध में रिसर्च वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिस तरीके से ग्रामोद्योग आप चलाना चाहते हैं गांवों में वैसे ही औजार भी आपको उन्नत तरीके के देने पड़ेंगे जिनसे आज के पुराने औजारों की बनिस्बत अधिक उन्नति हो सकें। मैं चाहूंगा कि इसमें औजारों की उन्नति और विकास के अनुसंधान का एक विभाग अवश्य होना चाहिये जिसके अन्तर्गत उनके विकास की योजनायें बन सकें और गांवों में लोगों को उचित ढंग के औजार मिल सकें और कुटीर उद्योगों की उन्नति हो।

अब मैं ऐसी चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में शायद माननीय सदस्यों ने समयाभाव के कारण ध्यान नहीं दिया। ग्रामोद्योग विभाग आज का नहीं है बल्कि १९३७–३८ से कायम है और उस समय जो नियुक्तियां हुई थीं उनको अभी तक अस्थायी रखा गया है जिसकी वजह से उन कर्मचारियों को यह डर रहता है कि मालूम नहीं कब निकाल दिये जायं। उनकी सर्विस के लिये कोई कोड, या मैनुअल नहीं है। जब यह विधेयक ऐक्ट बने यह आवश्यक है कि जो सर्विसेज अब तक रही हैं उनको स्थायी बनाने की इसमें व्यवस्था की जाय। इसमें यह व्यवस्था जरूर की गई है कि जो सर्विसेज होंगी, कर्मचारी होंगे उनके सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार बोर्ड को होगा। लेकिन इसके पहले हम कहना चाहते हैं कि जो अब तक पुराने लोग हैं उनके सम्बन्ध में स्पष्ट कह दिया जाय कि जो सर्विसेज अब तक काम करती रही हैं उन्हें अबसार्ब कर लिया जायगा और उनके जो अधिकार हैं वे सुरक्षित रहेंगे। यदि ऐसा न किया गया तो जो लोग अभी तक अनिश्चित अवस्था में काम करते रहे हैं उनके साथ भयंकर अन्याय होगा। आशा है मंत्री जी इस बिल में ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे।

अब मैं तालिका की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो विधेयक में दी गई है जिसमें उद्योगों का जिक्र किया गया जो इसमें सम्मिलित हैं। मैं अपनी पुरानी कहानी फिर दोहराता हूं। इसमें १२ उद्योगों की लिस्ट दी गई है और सरकार को यह अधिकार भी है कि आवश्यकतानुसार वह इन उद्योगों की संख्या घटा-बढ़ा सकती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि क्या बीड़ी का उद्योग, उद्योग नहीं है? आप भले ही उसको नशेबाजी की चीज कहकर कहना चाहें कि उसके प्रसार का कैसे इंतजाम करें। लेकिन आपने जो पंजीकृत कारखानों की गणना करायी उससे

[श्री मदन पाण्डेय]

स्पष्ट है कि बीड़ी उद्योग में ३७,००० मजदूर काम कर रहे हैं जब कि मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग ६०,००० मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। लेकिन इस सूची में कहीं पर भी उनका नाम नहीं दिया गया है। तेंदू की पत्ती जिससे बीड़ी बनती है उसका बहुत बड़ा भंडार हमारे विन्ध्य प्रदेश में तथा और जगहों पर पाया जाता है लेकिन इस उद्योग के विकास के लिये कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो नेगलेक्टेड सेक्शन है इसकी तरफ फिर से ध्यान दिया जाय।

हमारे यहां की नदियों में काफी बेंत हैं। यह बेंत उद्योग प्राइवेट तरीके पर चल रहा है लेकिन इसको अगर कुटीर उद्योग के तरीके पर सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें पचासियों हजार मजदूरों को काम मिलेगा और जो धन नदियों में हर साल बरबाद हो जाया करता है उससे उसकी सुरक्षा हो सकेगी। ये दो नाम मैंने गिनाये हैं। और भी नाम ऐसे हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और सरकार को इस लिस्ट को एक्सपेंड करना चाहिये और जो आवश्यक उद्योग हैं उनका समावेश करना चाहिये।

गुड़ व खांडसारी के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह व अग्रवाल जी ने काफी प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में पाटिल साहब बरेली में सम्मेलन का उद्घाटन करने गये थे। २२ लाख आदमी खांडसारी में तथा १३, १४ लाख आदमी गुड़ उद्योग में काम करते हैं। इसकी खुशी है कि इस सूची में गुड़ व खांडसारी उद्योग का जिक्र अच्छी जगह पर और अच्छे तरीके से किया गया है लेकिन इस बोर्ड के बनाने के बाद भी अगर उसी तरह का व्यवहार गुड़ और खांडसारी उद्योग के साथ रहा जैसा कि आज तक रहा है तो मैं समझता हूं कि यह बोर्ड बिलकुल फेलयोर होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो टैक्स लगाने की नीति है खांडसारी व गुड़ उद्योग के निर्माण के ऊपर उसे अविलम्ब बन्द करना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ बड़े लोग हैं जो खांडसारी उद्योग पर एकाधिकार किये गए हुये हैं। यह ठीक है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग २५, ३० हजार रुपया इंवेस्ट नहीं कर सकते लेकिन एक बड़ा आदमी अगर ५० हजार रुपया इस उद्योग पर इंवेस्ट करता है तो वह ५० आदमियों को रोजगार भी देता है। अगल-बगल के किसानोंका गन्ना काटकर खेत खाली करनेका मौका देता है और उनके गलों पर छूरी नहीं फेरता। अगर बड़े आदमियों से इस रोगजगार को बचाना है तो फिर कोआपरेटिव बनाइये लेकिन इस कुटीर उद्योग को जिसमें २२ लाख आदमी रोजगार पाता है उसे कतई बरबाद होने से बचाइये और २२ लाख परिवार जो हर साल इससे रोजगार पाता है उसको इस बिल के जरिये संरक्षण दीजिये। लेकिन इस बिल से हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिलता कि हमको फर्दर इससे कोई टैक्सेशन का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। तो यह जो मिल वालों का हमला इसके ऊपर चारों तरफ से हो रहा है उस हमले से इसको बचाइये और कोई माकूल बन्दोबस्त करिये।

इन शब्दों के साथ में यह कहूंगा कि यह बहुत ज्यादा विवाद की चीज नहीं है। इस बिल का सदन के लगभग सभी सेक्शंस ने स्वागत किया है और विरोधी दल की तरफ से जो खामियां बतलाई गयी हैं उन्हें यदि आप दूर कर डालें तो यह सोने जैसा बिल होगा और इसका हर तरफ से स्वागत होगा। लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति अपनाई गयी तो दूसरी बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि गांधी जी ने कहा कि कुटीर उद्योग पनपें और उनका गुणगान करती है, दूसरी तरफ कमरों में मिल मालिक कहते हैं कि खांडसारी उद्योग नेशनल वेस्ट है।

मिल का कोई मालिक मंत्रियों से बड़े उद्योगों के हक की बात करने बैठता है तो उसका कहना यही होता है कि खांडसारी नेशनल वेस्ट है, इस खांडसारी का कतई गला घोंट देना चाहिये और इस तरह की बातों को अगर चुपचाप माननीय मंत्री जी सुनते रहें और उसी के

मुताबिक मेजर्स लेते रहे गला घोंटने केतो एक नहीं पचास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसीलिये माननीय मोतीलाल अवस्थी का यह संशोधन कि इसे एक महीने के लिये एक सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय जो फिर से विचार कर के इन खामियोंको दूर करे बहुत उचित है और मैं समझता हूं कि यह छोटा सा अनुरोध जो अवस्थी जी का है उसे माननीय मंत्रीजी मान लेंगे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अतीकुलरहमान (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अगर बाज बातों के मुताल्लिक गहरा एहसास न होता तो शायद में इस वक्त कुछ अर्ज न करता। यह बिल मैंने अभी हासिल किया है और अभी पढ़ा है इसलिये हो सकता है कि उसकी बाज बारीक बातों की तरफ मेरी तवज्जह न गयी हो लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि मैं इसके मुताल्लिक गहरा एहसास रखता हूं इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक बोर्ड के कांस्टीट्यूशन का ताल्लुक है उसमें बड़ी खामियां हैं। बोर्ड की बनावट जैसी इस बिल में रखी गयी है वैसी होने से यह उम्मीद नहीं होती कि जो हमारा मंशा और मकसद है वह पूरा हो सकेगा। बोर्ड में, जैसा कि गेंदासिंह जी ने भी फरमाया, ५ सरकारी मेम्बर हैं। मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के इतने आदमियों की बोर्ड में कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार को इंडस्ट्री और फिनैन्स से मुताल्लिक कुछ लोगों को रखना है तो एक, दो आदमी काफी हो सकते हैं।

यह बात भी मालूम है कि हमारे प्रदेश और देश में बाज आर्गेनाइजेशंस काटेज इंडस्ट्रीज के सिलसिले में काम कर रहे हैं और वहां से नुमायन्दगी हम हासिल कर सकते हैं। शायद सरकार को यह खयाल है और उस खयाल में एक वजन और जान भी है कि अगर हम किसी एक आर्गेनाइजेशन से नुमायन्दगी मांगते हैं और रखते हैं तो शायद दूसरे आर्गेनाइजेशन्स को एतराज हो और एक रकाबत का एहसास पैदा हो और इस चीज का हम फैसला न कर सकें कि किस आर्गेनाइजेशन को हम नुमायन्दगी दें और किस को न दें। यह बात अपनी जगह पर वजनी है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। मुल्क में ऐसे आर्गेनाइजेशन्स भी जो बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं और जिनके काम का रेकागनीशन हर तरफ से है मौजूद हैं। उनको नुमायन्दगी दी जा सकती है। तो बोर्ड के कांस्टीट्यूशन के बारे में मेरी राय यह है कि सरकारी आदमियों को कम कर के और बाज आर्गेनाइजेशन्स को, मसलन गुड़ और खांडसारी का आर्गेनाइजेशन जो अभी बना है और खादी का आर्गेनाइजेशन मौजूद है ही, इस तरह के आर्गेनाइजेशन्स को नुमायन्दगी दी जाय और सरकारी आदमियों को कम किया जाय और नामिनेशन भी रखा जाय। इस सूरत से बोर्ड की एक नयी शक्ल पैदा करने की जरूरत है।

यह भी कहा गया और मुझे ताज्जुब हुआ—अगर्चे एक, दो साहबान ने ही कहा—कि बोर्ड को बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिये कि काटेज इंडस्ट्री का काम ऐसे किस्म का है कि जिसका फैलाव भी बहुत है और किस्में भी बहुत हैं।

इनके अलावा इसका सेंटर ने भी इंतजाम किया और वहां भी एक स्टैचुअरी बाडी है। इसको छोड़कर अगर हम इस काम की नौइयत और फैलाव को देखें तो इस बात की जरूरत है कि इसकी अजसरे नौ तंजीम करने के लिये बोर्ड की तश्कील है। यह काम इस बोर्ड के बगैर मुमकिन नहीं है। एक साहब ने यह भी फरमाया कि गुड़ और खांडसारी के मुताल्लिक सरकार ने कुछ सुविधायें नहीं दीं और वह लोग बड़ी मुश्किल में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब यह बोर्ड बनेगा और यह बोर्ड इस नुक्तेनजर से बन रहा है और काटेज इंडस्ट्रीज के लिये ही बन रहा है तो जो सुविधायें नहीं दी गई हैं और जो दुश्वारियां खत्म नहीं हुई हैं उनके हल होने में इससे और भी ज्यादा मदद और सहूलियत मिलेगी। इसलिये इस शिकायत का मौका नहीं है।

[श्री अतीकुलरहमान]

जहां तक इन इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है जो इस शिडूल में रखी गई हैं मैं समझता हूं कि इनमें इजाफे की जरूरत है और काफी गुंजाइश है। मस्लन मेरे जिले में शीशे की काटेज इंडस्ट्री है और भी बहुत सी हैं जिनका तजकिरा इसमें नहीं है। उनको इसमें शामिल करना चाहिये। बिल में इस बात का प्राविजन रखा गया है कि जिन इन्डस्ट्रीज को बोर्ड चाहेगा उन इंडस्ट्रीज को शामिल कर लेगा। लेकिन जो हमें अभी से मालूम हैं वह अभी से शामिल होनी चाहिये।

इसमें १५ मेम्बर रखे गये हैं। यह मय चेयरमैन के रखे गये हैं। अगर इसकी दफा ५(ए) में वाजे कर दिया जाय कि मेम्बर और चेयरमैन दोनों मिलाकर १५ होंगे तो वह चीज साफ हो जायगी। मेरे खयाल में अगर बिल में यह चन्द तरमीं में कर दी जायं तो इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं हैं। इन अल्फाज के साथ में इस बिल की ताईद करता हूं।

(श्री प्रतापसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---श्री प्रतापसिंह जी, अब आप कल भाषण दीजियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
६ अप्रैल, १९६०।